राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–1] नवम् विधान सभा के प्रथम् सत्र का छठा दिवस [संख्या–4

मंगलवार

20 मार्च, 1990

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन पटल पर रखा गया पत्र

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : श्री सचिव, विधानसभा।

श्री दिनेशचन्द्र दलेला (सचिव, राजस्थान विधान सभा) : महोदय, विधान सभा के सदस्यों द्वारा शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय की अधिसूचना पढ़कर सुनाता हूं जो निम्न प्रकार है :—

अधिसूचना संख्या प. 1 (4) संसद/90 दिनांक 18 मार्च, 1990

"दिनांक 8 मार्च, 1990 के आदेश जिसके द्वारा श्री पूनमचन्द विश्नोई को और दिनांक 12 मार्च, 1990 के आदेश जिसके द्वारा श्री सम्पत सिंह, श्री जीतमल जैन और श्री रघुवीरसिंह कौशल को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया गया था जिनके समक्ष नवम् राजस्थान विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ लेनी थी या प्रतिज्ञान करना था और उस पर हस्ताक्षर करने थे, को अतिष्ठित करते हुए, मैं डी. पी. चट्टोपाध्याय, राज्यपाल, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—

1. राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष,

2. राजस्थान विधान सभा के उपाध्यक्ष और

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड–2 के अनुसार राजस्थान विधान सभा के सदनों की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम व्यक्तियों को,

इसके द्वारा, उन व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनके समक्ष नवम् राजस्थान विधान सभा का कोई सदस्य शपथ ले सकेगा या प्रतिज्ञान कर सकेगा और उस पर हस्ताक्षर कर सकेगा।

डी. पी. चट्टोपाध्याय,
राज्यपाल, राजस्थान,"

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष : श्री चम्पालाल जैन ।

(श्री चम्पालाल जैन, सदस्य विधान सभा ने ईश्वर के नाम से हिन्दी में शपथ ग्रहण की ।)

श्री अध्यक्ष : श्री दलजीत सिंह

(अनुपस्थित)

श्री हरिश्चन्द्र ।

(श्री हरिश्चन्द्र कुमावत ने ईश्वर के नाम से हिन्दी में शपथ ग्रहण की ।)

परिचय

मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का परिचय

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का इस सदन से परिचय करवाना चाहूंगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : प्रश्नकाल के बाद ।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : इनको बहुत कम मौका मिलता है ।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन का जवाब देंगे इसलिए परिचय हो जाये तो ठीक रहेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना परिचय करवाने की आवश्यकता नहीं समझता, फिर भी आप चाहें तो मेरा नाम भैरोंसिंह शेखावत है, आपकी कृपा से मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री पद पर नियुक्त हुआ हूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा, स्वायत्त शासन मन्त्री,

श्री नत्थीसिंह, राजस्व मन्त्री

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री

श्री कृष्ण कुमार गोयल, उद्योग मन्त्री

श्री दिग्विजय सिंह, कृषि मन्त्री

श्रीमती सुमित्रा, ऊर्जा मन्त्री

श्री चतुर्भुज वर्मा, सहकारिता मन्त्री

सुश्री पुष्पा, पर्यटन मन्त्री

श्री विजयसिंह झाला, आज अनुपस्थित हैं ।

श्री राम किशोर मीणा, खाद्य मन्त्री

डा. चन्द्रभान, यातायात मन्त्री

राज्य मन्त्री

श्री हरलाल सिंह खर्रा,

श्री रमजान खां,

श्री फतहसिंह,

श्री हीरालाल देवपुरा : विभाग भी बता दें ।

श्री अध्यक्ष : वह हम बता देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री मोहन मेघवाल,

श्री जीवराज कटारा,

श्री कालूलाल गुर्जर,

श्री कुन्दनलाल ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री अमीन खाँ।

प्रश्न संख्या–1

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री डूंगरराम पंवार

श्री डूंगरराम पंवार : प्रश्न संख्या 2.

नोहर तहसील के गांवों में पेयजल

2. **श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गंगानगर जिले की नोहर तहसील क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल की भयंकर समस्या है ? यदि हां, तो इसके समाधान की राज्य सरकार की क्या योजना है एवं उसे कब तक क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : नोहर तहसील के 176 समस्याग्रस्त गांवों में से फरवरी 1990 तक 129 गांवों को विभिन्न जल योजनाओं से लाभान्वित कर दिया गया है। शेष 47 गांवों को धन उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में लाभान्वित किया जायेगा।

श्री डूंगरराम पंवार : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि तत्कालीन सरकार ने 176 समस्याग्रस्त गांवों में से फरवरी, 1990 तक 129 गांवों को जलयोजनाओं से लाभान्वित करना बताया है। 47 गांवों को धन उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में लाभान्वित किया जायेगा। ऐसा है कि 129 गांवों को भी जो लाभान्वित बताया गया है इन गांवों में, जो पी. एच. ई. डी. से जुड़े हुए गांव हैं, बराबर पानी नहीं जाता है। आप कृपया जांच करा लें। गर्मियों के दिनों में दस-दस दिन तक पानी नही जाता है। लोग बुरी तरह तड़पते हैं। कुएं तो इसलिए बन्द कर दिये हैं क्योंकि वाटर वर्क्स से लग गये हैं। इसलिए कुओं की आवश्यकता नहीं है। कुएं तो खराब हो गये। उधर पानी नहीं जाता तो बहुत बड़ी हालत खराब हो जाती है। यह इन्होंने बताया है कि लाभान्वित कर दिया गया है लेकिन पी. एच. ई. डी. से जोड़ देने के बाद भी बराबर पानी नहीं जाता है और अधिकारी ऐसे बैठा रखे हैं जिनका महीना बंधा हुआ था। वह अभी तक ××× बैठे हैं। गांवों को प्यासे मार रहे हैं। जितना मैटीरियल था वह खा गये हैं। उसमें जो डिग्गियां हैं वह खराब हुई पड़ी हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : असंसदीय है ××× शब्द।

श्री डूंगरराम पंवार : पाइप लाइन टूटी पड़ी हैं। उसकी जांच कराई जाय तो इनमें कई लोग फंसेंगे अच्छी तरह से। बहुत बड़ा घोटाला है नोहर तहसील में।

श्री अध्यक्ष : यह ××× शब्द निकाल दिया जाय।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री डूंगरराम पंवार : इसलिए इस पेयजल की व्यवस्था में सुधार किया जाय और इसकी जांच कराई जाय कि गांवों में कितने दिन में पानी पहुंचता है। उससे स्पष्ट हो जायेगा कि वह नाममात्र है। वहां पानी पीने का जाता नहीं है। और अफसर लोग मस्ती उड़ा रहे हैं। जितने टेण्डर होते हैं, डिग्गियां बनती हैं और जितने सरकारी हाउस बनते हैं....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री डूंगरराम पंवार : इनमें सब में घोटाला किया है।

श्री अध्यक्ष : आप अपना सवाल बताइये। आप सवाल पूछिये।

श्री डूंगरराम पंवार : इसकी जांच होनी चाहिये। मेरी यह मांग है, इसकी जांच कराई जाय। वहां पानी पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, कितना घोटाला हुआ है, टेण्डर किसके नाम हुए थे, एक्स. ईएन. जे. ईएन. ए. ईएन. कौन थे, किसकी ड्यूटी थी। जिसकी गलती है उसको सजा दी जाय और बराबर उन गांवों में पानी दिया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं। आप मुझे अपने क्षेत्र की जो जानकारी आपके पास है वह दें। पानी कहां-कहां ठीक से नहीं जाता है, उसमें किस तरह से सुधार हो सकता है, यह भी आप मुझ से चर्चा करेंगे तो मेरा विश्वास है कि यह गर्मी जो आ रही है उसमें अपन कुछ मदद कर सकेंगे। जहां तक भ्रष्टाचार या करप्शन का सवाल है, वह भी मेरी जानकारी में आप लाइये। मैं आपको और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी अधिकारी जो भ्रष्टाचारी है या काम ठीक नहीं करता है उसको पहले तो समझाया जायेगा वरना बख्शा नहीं जायेगा।

श्री डूंगरराम पंवार : तो आप मेरे से नहीं पूछें। गांवों में जाकर जांच कराई जाय, गांव-गांव जाकर पूछो तो गांव वाले बतायेंगे, कितने-कितने दिन से पानी आता है और कैसी हालत है वाटर वर्क्स में। स्पष्ट हो जायेगा। गांव में भेज कर जांच कराइये कि कैसी हालत है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह भी कोशिश करूंगा। आम जनता से इसकी जानकारी करके सुधार करूंगा।

श्री डूंगरराम पंवार : उनके मवेशी तड़पते हैं और खुद गांव से पांच-पांच, दस-दस किलोमीटर से पानी लाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री लालचन्द जी डूडी।

श्री डूंगरराम पंवार : इससे स्पष्ट हो जायेगा, इन्होंने क्या किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये, हो गया आपका।

श्री डूंगरराम पंवार : जितने निर्माण कार्य हुए हैं डिग्गियों के हुए हैं, पाइप लाइनों के हुए हैं, सरकारी आफिस बने हैं, उनकी जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये, आपका हो गया। बिराजिये।

श्री डूंगरराम पवार : तो साफ हो जायेगा कि क्या-क्या इनमें गड़बड़ की है। कितना उसमें घोटाला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री लालचंद डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से एक तो यह पूछना चाहता हूं, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पिछली दफा पाइप घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। वह पाइप बड़े घटिया स्तर के थे। इस नोहर और भादरा तहसील के अन्दर जो पाइप लगाये गये हैं, पूरा पानी पहुँचते ही वह सारे पाइप बर्स्ट हो जाते हैं। नोहर का जो सिंचाई का पानी है वह तो ले लेते हैं, पीने के लिए नहीं मिलता है। दोनों तरफ इस पाइप की वजह से घाटा रहता है।

दूसरी जो प्राब्लम आती है, मन्त्रीजी, वह यह है कि जब रेगूलर पानी इन पाइपों में नहीं चलता है, बीच में 4-5 दिन के लिये जब पाइपों में पानी नहीं होता है, सूख जाता है, उस वक्त इनके बीच में लगने वाली रबर रिंग जो है, उसको दीमक खा जाती है और वह खत्म हो जाती है। दुबारा पानी छोड़ते ही वह सारे के सारे पाइप बर्स्ट हो जाते हैं, वह जोड़ निकल जाते हैं, लीकेज बड़ा भारी होता है।

तीसरा जो है, यह पाइप जो लगाये गये, वह बिल्कुल जमीन के ऊपर या कहीं ऐसी स्थिति है जहां नीचे भी थे तो आंधियों से टीबे उड़ गये और पाइप बाहर रह गये। वह सारे पाइप किसी न किसी कारण से टूट जाते हैं और फिर उनमें लीकेज होता है और पानी आगे नहीं पहुंचता है।

चौथी महत्वपूर्ण बात, मन्त्री महोदय, मैं आपके नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि गांव और शहर के अन्दर पानी देने के तरीके में फर्क है। सुबह नौ बजे से लेकर ग्यारह बजे तक सारा गांव पानी भरता है। उस वक्त उसके लिए आपने जो जी. एल. आर. का सिस्टम बना रखा है, 4-5 टूंटियां एक जी. एल. आर. में लगा रखी हैं। आप अन्दाज लगाइये, एक मटके को भरने के अन्दर कम से कम एक-डेढ़ मिनट लगता है। सारे गांव की औरतें एकदम जो उतने टाइम के अन्दर पानी भरना चाहती हैं तो वहां अव्यवस्था होती है और पानी पूरा पहुंचता नहीं है। आपने यह स्वीकृत कर रखा है कि हमारे हैल्थ की बड़ी चिन्ता है इसलिए हम खुला पानी नहीं दे सकते। मन्त्री महोदय, पीढ़ियों से हम तो जोहड़ों का पानी पीते आ रहे हैं जिसके अन्दर ऊंट ने भी पिया है, गाय ने भी पीया है, हमने भी पीया है। हम यह चाहते हैं कि जी. एल. आर. की स्कीम खत्म करके आप गांव के अन्दर ओपन पानी को छोड़े ताकि महिलाएं आये और अपना पानी का घड़ा भर कर चली जायं और यह बीच के झंझट खत्म हो जायं। इन बातों के बारे में मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि इन पाइपों को बदलना पड़ेगा। उनको हमेशा रिपेयर करने में जो खर्चा आप लगा रहे हो उसके बजाय अच्छे पाइप लगवा कर उस समस्या को हमेशा-हमेशा के लिये खत्म करें।

मैं आपको उदाहरण बतला रहा हूं, पूरे डेढ़े साल से टंकी नहीं खुली, भादरा

(श्री लालचन्द डूडी)

से डूंगराला तक की मुख्य पाइप लाइन को जोड़ने के अन्दर रात-दिन लोग लगे रहते हैं। आज स्थिति उसकी यह है कि जितना डिजाइण्ड वाटर उसमें जाना चाहिये उसका एक चौथाई भी जिस वक्त उसमें शुरू किया जाता है, सारा पाइप बर्स्ट हो जाता है। ऐसी लाइन को आपको पाइप लगवा कर दुबारा सारा वह करना पड़ेगा। पिछला जितने कर दिया उसका तो भुगत रहे हैं सो भुगत रहे हैं, आगे आप इसमें सुधार करेंगे, यह मेरा आपको निवेदन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप शान्ति से विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइपों में किसी वजह से पानी नहीं जाता है लगातार तो सूख जाते हैं। कभी-कभी टेल एण्ड पर भी सूख जाता है। उससे उसमें दीमक खाने की समस्या है। मैंने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और जानकारी की तो मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा कि दीमक उसको खा जाती है जो रबर लगा रखा है फिर वह बर्स्ट होता है, फिर हम उसको जोड़ते रहते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं करनी चाहिये जिससे दीमक से तो कम से कम बचा सकें उसको। इस पर मैंने चर्चा की है। अब, मैं समझता हूं, यह जब पूरी सारी डिबेट होगी यहां, उसके बाद एक ओवर आल सारा पिक्चर देख कर जो आपने जानकारी दी है और सुझाव दिये हैं, उस पर विचार करके अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। आप बिराजिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : मेरी एक सप्लीमेंट्री है।

श्री अध्यक्ष : आपने मेरे से इजाजत नहीं ली है।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक चीज है कि लोक सभा चुनाव और विधान सभा चुनाव में हमने गांवों में जाकर यह कहा था....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बिराजिये। आप कृपया बिराजिये। पहले इजाजत लीजिये। बिराजें। आप बिराज जाइये। आप मेहरबानी करके बैठें।

श्री रामकरण सिंह : जो बात हम सबने कही है उसका कम से कम जवाब तो आ जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइये। मैं खड़ा हूं।

श्री रामकरण सिंह : लोक सभा और विधान सभा के चुनाव में जब हमने प्रचार किया....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये पहले।

श्री रामकरण सिंह : कि यह हैण्ड पम्प सूं सूं करते हैं सांप की तरह....

श्री अध्यक्ष : आप पहले बैठ जाइये। रिकार्ड मत कीजिये।

श्री रामकरण सिह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बिना इजाजत के इस तरह से एक्सटेम्पो खड़े होकर बोलना नियमों के विपरीत है। कृपया नियमों का पालन करिये। आपको मौका मिलेगा। यदि आप इजाजत मांगेंगे तो आपको मौका मिलेगा। लेकिन इस तरह से आप अपनी मर्जी से मत चलाइये हाउस को।

नैक्स्ट, माननीय श्री जुबेर खां।

श्री रामकरण सिह : मैं आपसे इजाजत लेकर खड़ा हुआ था, माननीय अध्यक्ष महोदय। बड़े सम्मानपूर्वक आपकी इजाजत लेकर खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये। इजाजत तो मैं दूंगा तब। चलिये माननीय श्री जुबेर खां।

रामगढ़ क्षेत्र में उप दण्डनायक न्यायालय

3. **श्री जुबेर खां** (रामगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार जिला अलवर के विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की दो तहसीलों रामगढ़ एवं गोविन्दगढ़ और उनके पटवार संकिल की जनता की सुविधार्थ उक्त क्षेत्र में उप दण्डनायक की अदालत खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त दोनों तहसीलों के कितने ग्राम राजस्व ग्राम हैं और कितने नहीं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त ग्रामों को कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जायेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री नत्थी सिंह) : (1) ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) तहसील रामगढ़ के अन्तर्गत 164 ग्राम हैं जिनमें से 162 आबाद ग्राम तथा 2 गैर आबाद ग्राम हैं। विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अन्तर्गत गोविन्दगढ़ उप तहसील आती है जो कि तहसील लक्ष्मणगढ़ की उप तहसील है। इस उप तहसील गोविन्दगढ़ में 70 ग्राम हैं जिसमें 69 आबाद तथा एक गैर आबाद है। उपरोक्त सभी राजस्व ग्राम हैं। उप तहसील गोविन्दगढ़ एवं तहसील रामगढ़ की ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 1 देखें)

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, जो रामगढ़ और गोविन्दगढ़ तहसीलों के बारे में मैंने प्रश्न उठाया था और मन्त्रीजी ने उप दण्डनायक की अदालत खोलने के बारे में जानकारी दी है सदन को कि ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह दो तहसीलें काफी लम्बे एरिया में फैली हुई

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जुबेर खां)

हैं। एक व्यक्ति को अगर इस सम्बन्ध में किसी कार्य के लिए जाना पड़ता है तो कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां से 80–85 कि. मी. आना पड़ता है और यह तो आपने खुद माना है कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर क्या विचार रखती है ? क्या इन दोनों तहसीलों में उप दण्डनायक की अदालत खोलेगी ?

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्रीजी ने ग्राम बताये हैं कि गैर आबाद हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि एक कमेटी बनाई जाय और भेजी जाय कि क्या वाकई यह ग्राम गैर आबाद हैं। प्रशासन क्या करता है, जो एक बड़ा गांव होता है वहां अगर रास्ता ठीक नहीं है तो उस गाँव का कोई बास छोटा बन जाता है तो उस बास को तो आबादी कर देते हैं और जो मूल गांव होता है उसको गैर आबाद घोषित कर देते हैं। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि जो मंत्रीजी ने सूची दी है, 16 नम्बर पर एक रेवेन्यू विलेज दिया है बैरे-बास। यह जानकारी करायी जाय कि जो मूल गांव दे रखा है उसकी जनसंख्या कितनी है। और इस बास की जनसंख्या कितनी है। तो फिर वहां मूल गांव बैरे को क्यों रेवेन्यू विलेज से हटा कर इस बास को आबाद घोषित कर दिया गया, इसकी जानकारी कराई जाय।

दूसरा, जो गैर आबाद गांवों के नाम दिये हैं दोनों तहसीलों में तीन, इनकी भी जानकारी कराई जाय कि वाकई यहां लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। इसी तरह अधिकारियों के माध्यम से अगर मन्त्री महोदय सदन को गुमराह करेंगे तो जनता जो आपसे राहत चाहती है वह आप दे नहीं पायेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जो जानकारी मन्त्रीजी ने दी है उसके लिए सदन की समिति गठित की जाय और इसकी जानकारी कराई जाय कि जो जानकारी सदन को दी गई है वह वस्तुस्थिति में सही है या नहीं ?

दूसरा, मन्त्रीजी जवाब दें कि उप दण्डनायक की अदालत खोलने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि सरकार कोशिश करेगी कि गांवों को राहत पहुंचे, स्थानीय लोगों को न्याय मिले। अगर 100–100 कि. मी. लोगों को मोटर-साइकिल आदि से कोर्टों में जाना पड़ा तो मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार कैसे न्याय देगी और कैसे जनता को राहत पहुंचायेगी ?

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसके लिए तो मैं बड़ा आभारी हूं लेकिन मैं उन्हें सूचना देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राज्य में उप दण्डनायक जैसी कोई अदालत नहीं है जो उन्होंने सवाल किया और जिस पर जोर दे रहे हैं। हां राज्य में तहसीलों में उपखण्ड दण्डनायक, एस. डी. ओ. जिन्हें कहते हैं, सहायक कलेक्टर हैं....

श्री जुबेर खां मन्त्रीजी, सहायक कलेक्टर की जो अदालत होती है, मेरा उसी के बारे में कहना है।

श्री नत्थी सिंह : उसी को मैं स्पष्ट कर रहा हूं....

श्री चन्दनमल बैद : आप शब्दों के जाल में माननीय सदस्य को और सदन को गुमराह करना चाहते हैं....

श्री नत्थी सिंह : मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्य की सही-सही बात रख रहा हूं....

श्री चन्दनमल बैद : मान लीजिये, उप दण्डनायक उन्होंने लिख दिया....(व्यवधान) बड़े खेद की बात है....

श्री नत्थी सिंह : मैं जवाब दे रहा हूं। उप दण्डनायक जैसी कोई अदालत नहीं है, पहले मेरा उत्तर सुन लीजिए आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात सही है कि केवल तकनीकी शब्दों के आधार पर....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैद जी, बिराजिये। ऐसा है कि तकनीकी शब्दों पर सरकार को नहीं जाना चाहिये इसलिए वह स्पष्ट कर रहे हैं कि वह पद नहीं है लेकिन वह जवाब दूसरा दे रहे हैं। पहले जो पद हैं उनके बारे में बता रहे हैं। आप सुनिये।

श्री नत्थी सिंह : मैंने अपने जवाब में साफ कहा है, आप सुनने की चेष्टा करते तो विचलित नहीं होते। मैंने कहा है कि उप दण्डनायक जैसी कोई अदालत नहीं है लेकिन राज्य में विभिन्न जिलों से एक उपखण्ड दण्डनायक एस. डी. ओ., सहायक कलक्टर, कार्यपालक दण्डनायक हैं। जहां तक सवाल है आपके रामगढ़ क्षेत्र का, उसमें आप कहते हैं कि इतनी दूर जाना पड़ता है वह स्थिति भी नहीं है। रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अलवर उपखण्ड में आता है और रामगढ़ के तहसील क्षेत्र में कार्यपालक दण्डनायक की पूरी शक्तियां तहसीलदार रामगढ़ को दी हुई हैं। इसलिए वह सारे मामले रामगढ़ में ही तय होते हैं। जहां तक गोविन्दगढ़ का सवाल है, वह राजगढ़ उपखण्ड में आती है और लक्ष्मणगढ़ उपतहसील है तहसील की, वहां पर एक एस.डी.एम. मौजूद हैं जो गोविंदगढ़ के सारे कामकाज को देखते हैं। इसलिए यह बात नहीं है कि इतनी दूर जाना पड़ता है। अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है कि यहां पर इस तरह उप दण्डनायक का जो आप कहते हैं, खप खण्ड दण्डनायक का खोला जाय। यह आपकी सरकार का है।

जहां तक आपने दूसरी बात कही है कि तीन ग्राम गैर आबाद बताये हैं, वह जानकारी बिल्कुल सही दी गई है। अगर आप इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी देंगे तो मुझे जांच कराने में कोई एतराज नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। आपने कहा कि तहसीलदार सहायक कलक्टर की पावर दी हुई है। आप पता कर लें कि वह तहसीलदार सहायक कलक्टर की पावर काम में ले रहे हैं क्या? उनको पावर्स आर्डिनरी-वे में दी हुई नहीं हैं, स्पेशल पावर दी हुई हैं फौजदारी केसेज

(श्री हीरालाल देवपुरा)

107 और 151 के लिए। जनरल लेवल की पावर दी हुई नहीं हैं, यह आप जानकारी करके फिर जवाब दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सरकार से एक नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछना चाहूंगा इस अवसर पर।

श्री अध्यक्ष : सामान्यतया नीति संबंधी प्रश्न प्रश्नकाल में नहीं होते, मगर आप पूछें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आप इजाजत दें, अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले कई जिलों से, कई जगहों से नई तहसीलों, उप-तहसीलों की मांग आ रही है। क्या सरकार इस बारे में कोई कमेटी मुकर्रर करने जा रही है या कोई निर्णय लेने जा रही है ? इस बारे में सरकार की भविष्य में क्या योजना है ? विभिन्न जिलों से जो मांग आ रही है नई तहसीलों और उप तहसीलों के गठन की उसके बारे में सरकार की क्या नीति है इस बारे में अवगत कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : देखिये, इस सप्लीमेंट्री का इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसीलिए आपकी अनुमति चाही है....

श्री अध्यक्ष : इस सप्लीमेंट्री का इस मुख्य प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है मगर यदि मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब देना चाहें तो कृपया दें। वैसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मैं यह सप्लीमेंट्री अलाऊ नहीं करता।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने अनुमति दी है (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं अध्यक्ष महोदय के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय नेता महोदय, अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि नेता महोदय यदि उत्तर देना चाहें। आप नहीं देना चाहें तो इस बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि यह सप्लीमेंट्री इससे सम्बन्धित नहीं है इसलिए मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सदन के नेता महोदय को बाध्य तो नहीं कर सकते लेकिन प्रद्युम्नसिंह जी ने जैसा उठाया था आपने अनुमति दे दी थी और नेता महोदय उसका जवाब देना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष : एक स्पष्टीकरण मैं चाहूंगा, आप खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं और मानते हैं कि मैंने अनुमति दे दी। मेहरबानी करके हाथ खड़े कर दें तो मैं अनुमति देने की स्थिति में होऊंगा। आप तो खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं और यह बोलना शुरू कर देते हैं कि आपकी अनुमति से, तो मेहरबानी करके अनुमति पहले मांगें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह तो नीति सम्बन्धी प्रश्न है कि सदन के माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय की नजर की ओर देखें और आपके इशारे

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

से खड़े हो जाते हैं। यह तो आपके इशारे पर निर्भर करता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, नई परम्परा पड़ेगी हाथ उठाने की। इस सदन में कभी हाथ उठाने की परम्परा नहीं रही....(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नजर मिलाने का सवाल है, हाथ उठाने का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य हाथ उठाने का श्रम न करें तो अंगुली से ही कह दें मैं समझ लूंगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : अंगुली बताना उचित नहीं होगा।

श्री चन्दनमल बैद : We want to catch your eyes. हम तो आपसे नजर ही मिलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा नजर ही मिलाइये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने कहा, रामगढ़ में तहसीलदार को असिस्टेण्ट कलक्टर की पावर दे रखी है। अब दुर्भाग्य रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र का यह है कि इसमें 70 गांव लक्ष्मणगढ़ तहसील के और गोविन्दगढ़ उप तहसील के लगते हैं। उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया जाता है सिर्फ रामगढ़ की तरफ ध्यान दिया जाता है। मैं मानता हूं जैसे मन्त्रीजी ने कहा, कि राजगढ़ लगती है लक्ष्मणगढ़ की तहसील ए. सी. एम. कोर्ट। आप खुद ही बता दीजिये, आप तो भरतपुर के रहने वाले हैं कि गोविन्दगढ़ के गांव की दूरी कितनी है? आखिर 80 किलोमीटर से क्या आ पायेंगे? दूसरा, मन्त्री महोदय ने कहा कि आपकी जानकारी सही है। मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि एक कमेटी यहीं बनायी जाय और बेरे गांव की एन्क्वायरी करायी जाय। अगर बेरे गांव, जो रेवेन्यू विलेज में खत्म कर दिया गया है, उसकी आबादी बेरे बास से ज्यादा हो तो सदन मुझे जो सजा देगा, मैं भुगतने को तैयार हूं। अगर वक्तव्य गलत है तो मन्त्री महोदय को सदन सजा देगा तो मन्त्री महोदय भुगतने को तैयार हों। मन्त्रीजी ने कहा था कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं वह सही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बेरे गांव की स्थिति स्पष्ट की जाय कि वहां पर जनसंख्या है या नहीं और वहां पर रेवेन्यू विलेज क्यों नहीं? यह मैं मन्त्रीजी से चाहूंगा कि इन सवालों का जवाब सदन के सामने रखें। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो गोविन्दगढ़ के 70 गांवों की बात कही है और उन्होंने यह कहा है कि राजगढ़ में लगता है, मुझे दुःख है कि उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा है कि गोविन्दगढ़ के जो 70 गांव हैं उनका जूरिस्डिक्शन लक्ष्मणगढ़ के ए. सी. एम. को है और वहां से 80 किलोमीटर नहीं है। यह आप और मैं, दोनों जानते हैं कि लक्ष्मणगढ़ और गोविन्दगढ़ की दूरी क्या है। यह तो जानते ही हैं। राजगढ़ ए. सी. एम. नहीं लगता है, लक्ष्मणगढ़ के ए. सी. एम. के पास

(श्री नत्थी सिंह)

उसका जूरिस्डिक्शन है। और जैसा मैंने कहा बेरे गांव की जो मुझे सूची दी गयी है वह सही जानकारी है। आप कह रहे हैं कि बेरे गांव की आबादी ज्यादा है। आपको मालूम होना चाहिये कि राज्य सरकार ने निर्णय दे रखा है कि जो गांव 250 से ऊपर की आबादी वाला है या ढाणियां हैं उनको फिर भी राजस्व गांव घोषित किया जा सकता है। आप ऐसी बात बता दें उस पर विचार कर लेंगे।

श्री जुबेर खान : लेकिन मूल गांव को तो नहीं हटाना चाहिये, इस शर्त पर नहीं घोषित करना चाहिये कि मूल को ही हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये, आपका हो गया। नेक्स्ट। माननीय श्री बुलाकीदासजी कल्ला।

बीकानेर शहर में समुचित पेयजल व्यवस्था

4. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु कृत्रिम जलाशय बनाने की योजना का गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या जलाशय की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई ? यदि नहीं, तो कब तक जारी कर दी जायेगी और कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा ?

(3) क्या जलाशय की खुदाई का कोई कार्य हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ है ?

(4) बीकानेर की जल आपूर्ति को सुव्यवस्थित चलाने हेतु दूसरा फिल्टर प्लांट कब तक लगाया जायेगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री) : (1) जी हां। (2) जी हां। परन्तु लाइनिंग स्पेशिफिकेशन बदले जाने के कारण संशोधित तकनीकी स्वीकृति विचाराधीन है। संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार कार्य सम्पन्न किया जायेगा।

(3) जी हां। जलाशय की खुदाई पर लगभग 18·25 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

(4) वर्तमान में दूसरे फिल्टर प्लांट की आवश्यकता नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि बीकानेर की यह वाटर सप्लाई अब कुओं की जगह इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की लूणकरणसर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है उसके ऊपर निर्भर करती है ? लगभग 85 लाख लीटर पानी बीकानेर को दैनिक सप्लाई किया जाता है, उसमें 35 लाख से अधिक लीटर पानी नहर से लिया जाता है। क्या आप यह बता सकते हैं कि नहर वर्ष में कितनी बार बन्द होती है ? जब नहर बन्द होती है,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास क्या है बीकानेर को पानी देने की ? क्या यह भी सही है कि गर्मी अभी शुरू नहीं हुई है उससे पहले ही 2-2, 3-3 दिन तक बीकानेर के लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है ? इसके लिए आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है ? इसके साथ-साथ अनुमोदन जिसे परियोजना का हो गया कृत्रिम झील का, उसको बनाने में जो अनावश्यक देरी हो रही है क्या आप उसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : आप भी तो केबिनेट मंत्री थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : लिटिगेशन के कारण देरी हुई।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब कुछ जानते हैं, सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। खुद ही जिम्मेदार थे, खुद जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि मंत्री जी जवाब देने में सक्षम हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर नगर के लिए यह बहुत ही अहम् का प्रश्न है। यह योजना भी सुखद है इसलिए उसकी जो स्थिति है उसका मैं वर्णन करना आवश्यक समझता हूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय।

एक माननीय सदस्य : यह तो आपके आने के बाद काम रुक गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, वह मेरे पास रुका हुआ है। अभी अर्ज कर देता हूं आपके सामने। इस कार्य की प्रसासनिक स्वीकृति 2-9-80 को हुई थी, और अनुमान यह था कि 25 लाख 91 हजार रुपये उसमें लगेंगे। फिर वित्तीय स्वीकृति इसकी 22-10-80 को हुई, एक महीने बाद कि उसमें यही लगभग 26 लाख रुपया लगेगा। फिर उसको जब तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजा गया तो यह 6.3.82 तक वहीं पड़ी रही, केवल तकनीकी स्वीकृति के लिए। यानी इतने वर्षों तक पड़ी रही। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : 1980-82 की योजना, और अब सवाल पूछ रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको पता ही नहीं उस समय क्या लिटिगेशन हुए और क्या नहीं हुए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्ति रखें, मंत्रीजी का जबाव सुनें।

श्री चन्दनमल बैद : जिन्होंने देरी की उनको सजा देने का काम भी आपका ही है और आप सजा दे देंगे तब तो उसकी तारीफ करेंगे, ऐसे ही नहीं।

श्री डूंगरराम पंवार : हमारे आदमी तो यही चाहते हैं, आप वाले क्या चाहते हैं ? (व्यवधान) हमारे हाथ में तो शासन है, आप वाले क्या थे ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमें एतराज है कि मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं और यह बीच में व्यवधान कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तकनीकी स्वीकृति 2.9.80 के बाद 6.3.1982 को मिली और उसमे एक काम और किया.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये, आप सुनिये मंत्रीजी को।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तकनीकी स्वीकृति जब 6.3.82 को हुई तो उसमें केवल विलम्ब ही नहीं हुआ बल्कि उसकी योजना जो 26 लाख रुपये की थी, 70 लाख की कर दी गई। फिर इसके बाद टेण्डर काल किया गया। यह टेण्डर काल 14.4.82 को, यानी एक महीने बाद ही कर लिया गया। कार्य आदेश दिया गया 24.6.82 को। यानी यह काम निविदा लेने और देने का तो जल्दी हो गया, इसमें देर नहीं लगी। फिर जिस ठेकेदार ने काम किया था उसने 24.6.82 से 24.3.84 तक काम किया। उसने 23 लाख 76 हजार रुपये का काम करके काम बन्द कर दिया और चला गया। यह बीकानेर का ही ठेकेदार था और कोई नहीं था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : और यह आपकी पार्टी का था। (व्यवधान) ठेकेदार का क्या नाम था और किस पार्टी से सम्बन्धित था ?

एक माननीय सदस्य : वह बुलाकीदास जी कल्ला का रिश्तेदार था। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : समझें नहीं तो ही ठीक है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बता दें मंत्रीजी कि किस पार्टी से सम्बन्धित था, क्या नाम था ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आप नहीं पूछें तो ज्यादा अच्छा है कि किस पार्टी का था, किस से सम्बन्धित ठेकेदार था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्ति रखिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं, सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बुलाकीदासजी ने कहा कि साफ कर दें कि कौन सी पार्टी का है, कौन है पार्टनरशिप है। अगर यह बात उनको मालूम है तो साफ करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मंत्री महोदय सदन को बिना मतलब गुमराह कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदन को गुमराह नहीं करें, सही बात है तो साफ करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, उसको आप जानबूझकर, बीकानेर का कह कर इंगित कर रहे हैं। आप तो साफ कर दें कि कौन आदमी है, कौन पार्टी है, किससे सम्बन्धित है।

श्री भंवरलाल शर्मा : गहलोत साहब, आपकी नीयत मैं समझ रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी नीयत भी समझ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप दोनों ने समझ ली है, एक दूसरे की नीयत, अब आप मंत्रीजी जो कह रहे हैं, वह सुनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह ठेकेदार चला गया और मेरी जानकारी जो है, इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर दुबारा पूरी ठेकेदारी का काम शुरू हुआ 15-2-85 को। उस समय यह तय हुआ कि जो पाइप लगाये गये आलरेडी वे ठीक नहीं हैं, बेकार हैं, इसलिये यदि इन पाइप्स को दुबारा लगाया जायेगा तो वे काम देंगे नहीं। इसलिये फिर एक तकनीकी समिति बैठी और दूसरे पाइप्स के बारे में उन्होंने निर्णय किया। समिति का निर्णय हुआ कि कौन-सा पाइप लगाया जाये। 15-2-85 से लेकर 15-7-87 तक यह तय होता रहा कि कौन-सा पाइप लगाया जाये, पहले वाला ठीक नहीं है, नया कौन-सा लगाया जाये। जब यह नये पाइप की बात आ गयी कि कौन-से लगाये जायें, तो बीकानेर के अधिकारियों ने प्रस्ताव भेजे कि यह जो पाइप हैं, लगा दिये जायें। यह आया है 7-2-87 को। फिर वह प्रस्ताव गया 18-12-87 को टेण्डर में। जो लाईनिंग थी, उसका एस्टीमेट संशोधित किया गया 3-10-88 को। फिर इसकी तकनीकी स्वीकृति 2-9-89 को हुई। 2-9-89 के बाद यहां तकनीकी स्वीकृति के लिये आई हुई है, तब से अब तक यह पड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यदि यह ध्यान दिया गया होता तो बीकानेर में जल की जो समस्या है वह बहुत बड़ी मात्रा में दूर हो सकती थी। अब वह मौका आप ने हम को दिया है, इसको जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है। इसमें पाइप-वाइप का कोई सवाल नहीं है। पहले तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या आप उस ठेकेदार से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसने अनावश्यक देरी की? दूसरी बात, कि जिन अधिकारियों ने अनावश्यक रूप से उस काम में जो स्वीकृत था, जान बूझकर देरी की, उसकी तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बावजूद बार-बार इसमें अनावश्यक देरी हुई, उन के खिलाफ आप क्या-क्या कार्यवाही करेंगे?

आपने जो कहा कि फिल्टर प्लांट की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि जो फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? आप इंदिरा गांधी नहर के द्वारा भविष्य में कितना पानी देंगे? क्या जो आप पानी एक्स्ट्रा लेंगे, उसके लिये फिल्टर प्लांट की आवश्यकता नहीं होगी? उस के बाद में अगली बार फिर उनका उत्तर आने के बाद में....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, आपने यह कहा है तो जिन अधिकारियों ने विलम्ब किया है, या जो लोग विलम्ब करने में सम्मिलित थे, कुछ को तो जनता ने सजा दे दी है, अधिकारियों को हम देख लेंगे। जहां तक नये फिल्टर प्लांट का सवाल है, तो अभी इतना पानी उपलब्ध नहीं है कि जिसके लिए फिल्टर प्लांट की

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आवश्यकता हो। जो आलरेडी फिल्टर प्लांट उपलब्ध है, वह पर्याप्त है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमारा उत्तर नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि कितना पानी आप इंदिरा गांधी नहर से अभी वर्तमान में दे रहे हैं, आगे कितना देंगे और फिल्टर प्लांट की क्या क्षमता है ? मेरा पूरा उत्तर नहीं आया। आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरे फिल्टर प्लांट का जस्टिफिकेशन नहीं है ? बिल्कुल गोलमोल उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपने स्वयं प्रश्न करते समय लूणकरणसर से कितना लीटर पानी बीकानेर को देने का आंकड़ा बता दिया था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : फिल्टर प्लांट की क्षमता क्या है, मुझे जानकारी नहीं है, यह बता दें। आप पहले मेरी बात सुन लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 60 लाख गैलन।

श्री अध्यक्ष : और आपने 35 लाख लीटर का बताया है। 60 लाख गैलन की कैपेसिटी है, जो इससे ज्यादा हो गयी। आप दो सवाल पूछने के अधिकारी थे, पूछ लिया। बाद में और लोगों को मौका दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, मैं संतुष्ट नहीं हूं। यहाँ एक-एक प्रश्नकर्ता कम से कम पाँच-छः प्रश्न कर लेते हैं। यह मेरी बहुत अहम् समस्या है, इसके बारे में मुझे प्रश्न करने का पूरा अधिकार है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं आप को मौका दूंगा। लेकिन आपने दो सवाल कर लिये। पहले दूसरों को पूछने दीजिये। रामकरण सिंह जी।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि ठेकेदार भाग गया और कार्यवाही नहीं हुई। किसने कार्यवाही नहीं की, क्या अब उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? इसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : आप इसका जवाब आ जाने दीजिये, फिर मैं आपका नाम बोलूंगा। आप बैठिये।

श्री भवरलाल शर्मा : मैंने आपसे निवेदन किया कि जो इसके लिये दोषी है, ठेकेदार, अधिकारी कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री माहिर आजाद। (व्यवधान) आपका नाम आ रहा है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बीकानेर से आने वाले सदस्य ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी से यह जानना चाहा कि जिन ठेकेदारों ने विलम्ब किया, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इनकी

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया है। 1980 से लेकर 1990 तक लगातार माननीय बुलाकीदास जी कल्ला इस हाउस में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे हैं, क्या उन्होंने जो शिकायत और प्रश्न आज पूछा है, उनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी या शिकायत की है ? दूसरी बात यह है कि जो इसमें बहुत बड़ी अनियमितता हुई है, 25 लाख रुपये के अगेंस्ट में खर्चा हुआ है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? उन सब के खिलाफ कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामसिंह विश्नोई। प्रश्न करिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अक्सर सवालों में होता यह है कि पूरे प्रश्न की भावना में सवाल पिट जाता है। मूल प्रश्न पिट जाता है। अगर यह परम्परा डली कि पाँच-पाँच सप्लीमेंट्रीज का एक साथ जवाब आयेगा, तो मंत्रीजी का यह डिस्क्रीएशन हो जायेगा कि जिसका वह चाहें जवाब दें या न दें।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री है, लेकिन सवाल एक ही पूछा जा रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : मुझे तो एक ही सवाल पूछना था। माननीय सदस्य ने पूछा है कि बीकानेर के अन्दर, जिसकी आबादी करीब चार-पाँच लाख होने जा रही है, पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी चाहिये और उसके लिये जलाशय की मांग भी की थी। आप पाइप घोटाला, वह हुआ, यह हुआ, यह सब जांच करते रहें, यह जलाशय कब तक बन जायेगा, इसका आपको जवाब देना है, वह आपने नहीं दिया।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने आपसे निवेदन किया कि वह शीघ्र पूरा कर दिया जायेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : कब तक आप करेंगे, यह बताना है आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा है कि इतना कमिटमेंट मत कराइये मुझसे। सत्य कहने का अभ्यास रहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से जानकारी चाहूंगा कि सामने गर्मी का मौसम है, क्या राज्य सरकार आने वाली गर्मी में जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने का इरादा रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह एक बहुत ही गहन प्रश्न राजस्थान के सामने है और सरकार इस को चुनौती के रूप में मानती

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है। पिछले दिनों संबंधित अधिकारियों से मैंने बातचीत की है। हम प्रयास में हैं कि आने वाली गर्मी में हम जो पानी पिछली बार देते आये हैं, उसको तो कम से कम मेन्टेन करें और यह गर्मी भगवान की कृपा से ठीक निकल जाये और बरसात अच्छी हो जाये। हमारे जो स्रोत हैं, जिनसे पानी मिलने वाला है, अगले साल जो गर्मी रहेगी, उसके पहले बहुत कुछ सुधार कर लिया जायेगा। (व्यवधान) अगर हम नहीं रहेंगे तो आप को तो कोई पानी पिलाने वाला ही नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री कल्ला जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दस साल में जो काम आप पूरा नहीं कर सके, क्या आप चाहते हैं कि तीन दिन में वह काम पूरा हो जायेगा ? दस साल क्या पर्याप्त नहीं थे, इसके लिये ? कौन जिम्मेदार है इसके लिये ? आपने क्या किया दस साल में ? यह तकनीकी स्वीकृतियाँ क्यों रोकी गयीं ? उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बिराजिये। कृपया आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : यह सारा घोटाला माननीय बुलाकीदास जी कल्ला ने किया है। इनके ही द्वारा हुए हैं सारे घोटाले। अब यह प्रश्न कर रहे हैं उसके लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपकी बिना परमीशन के बोल रहे हैं, इसको कार्यवाही से निकाला जाये। जब तक यह कृत्रिम जलाशय नहीं बनता है, क्या जलदाय विभाग बीकानेर के लिये कोई कटीन्जेंसी प्लान बना कर इस समस्या का समाधान करने का विचार रखता है ? दूसरी बात, जिस समय यह योजना बनी थी तो बीकानेर की आबादी लगभग ढाई लाख थी। अब दस वर्षों में लगभग साढ़े चार लाख की जनसंख्या हो गई है। तो क्या नये रूप में इस योजना को बनाते वक्त बढ़ी हुई आबादी और आने वाले दस वर्षों की आबादी को एनालिसिस करके नये रूप से इस योजना को लागू किया जायेगा ? जहाँ तक फिल्टर प्लान्ट का प्रश्न है, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि उसकी कैपेसिटी साठ लाख गैलन है। क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना से केवल 60 लाख गैलन ही पानी दिया जायेगा ? और यदि साठ लाख गैलन से अधिक पानी दिया जायेगा तो क्या उसके लिए दूसरे फिल्टर प्लाण्ट की आवश्यकता नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय केदारजी। आखिरी प्रश्न कर रहे हैं, इसके बाद किसी को प्रश्न अलाउ नहीं करूंगा।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : बीकानेर शहर की आबादी बढ़ने के कारण पिछले दस साल से पीने के पानी का अभाव रहा। जनता पार्टी ने सन् 1978 में स्पेशल तौर पर 5 क्यूसेक्स पानी के लिए आई. जी. एन. पी. का एक स्पेशल पाइप वहाँ पर फिक्स किया। दस साल में, अध्यक्षजी, उस पाइप को चेनेलाइज नहीं कर पाये। जिन अफसरों को यह काम सौंपा गया, जिनके हाथों में यह स्कीम थी, क्या पूर्व सरकार ने किसी ऑफिसर

(श्री केदारनाथ शर्मा)

के ऊपर रेस्पोन्सिबिल्टी फिक्स की ? क्या किसी अफसर के खिलाफ कोई चार्जशीट दी ? यदि नहीं दी, तो इसका जवाब मंत्री महोदय दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने पत्रावली देखी है और जानकारी की है, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और न कार्यवाही करने का विचार या मन मुझे पत्रावली से लगा है। अब जैसा सदन का मन है, आदेश है, इस सम्बन्ध में जिनकी लापरवाही रही है, जिनको कर्त्तव्य करना चाहिये था उससे वियोगिता रखी है, उनके खिलाफ मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, माननीय श्री इन्द्र सिंहजी पूनिया।

राजगढ़ और तारानगर तहसीलों की सड़कें

5. **श्री इन्द्रसिंह पूनियां** (सादुलपुर) एवं **श्री चन्दनमल वैद** (तारानगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) चूरू जिले की तहसील राजगढ़ एवं तारानगर में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक कुल कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? शेष ग्राम पंचायत मुख्यालयों को कब तक जोड़ देने की सरकार की मंशा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसील राजगढ़ के मण्ड्रेला-सादुलपुर (राजगढ़) सड़क को पक्की करने की स्वीकृति इस वर्ष में जारी की गई है ? यदि हां, तो कितने किलोमीटर पक्की सड़क की ? कितने किलोमीटर सड़क स्वीकृति से वंचित है ? क्या सरकार शेष किलोमीटर सड़क को सन् 1990–91 में पूर्ण कराने की मंशा रखती है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कराने का विचार है ?

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत धानोटी बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू को हरियाणा सीमा की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त ग्राम पंचायत सीमा से कितनी दूरी पर है तथा क्या किसी विभाग का मेटीरियल धानोटी बड़ी में जमा है ? यदि हां, तो उस सामान का क्या किया जायेगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : (1) तहसील राजगढ़ में 23 ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़ दिये गये हैं। सूची "अ" संलग्न है। एवं 20 ग्राम पंचायत शेष हैं।

तहसील तारानगर : इस तहसील में 14 ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़ दिये गये हैं। (सूची "ब" संलग्न है) एवं सात ग्राम पंचायतें शेष हैं। शेष ग्राम पंचायतों को सड़क से जोड़ने के लिए वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जा सकेगा।

(2) तहसील राजगढ़ में मण्ड्रेला-बेरासर सड़क को पांच किलोमीटर की लम्बाई में पक्की सड़क बनाने की मंजूरी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

अन्तर्गत रुपये 12·00 लाख दी गई जो कि वर्ष 1990–91 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। उक्त सड़क की कुल लम्बाई 17 किलोमीटर है। शेष सड़क का कार्य वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार करवाया जा सकेगा।

(3) जी हां। वर्ष 1990–91 में यह कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

(4) उक्त ग्राम पंचायत (धानोटी बड़ी) हरियाणा सीमा से छः सौ मीटर दूर है। उक्त सड़क अकाल राहत कार्य सम्वत् 2042 (ई. सं) 1985–86 चार वर्ष पूर्व, स्वीकृत हुई थी। उक्त स्वीकृति के तहत सड़क निर्माण हेतु 90–40 एम. एम. साइज बेलास्ट डलवाया गया। उक्त सामान का इस सड़क निर्माण हेतु उपयोग कर लिया जायेगा।

(सूची के लिए परिशिष्ट सं. 2 देखें)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री इन्द्रसिंह पूनियां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने यह जो सूची दी है कि राजगढ़ तहसील के 23 ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़ दिये गये हैं। मैं इसमें यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रावधान आपने रखा है, जो ग्राम पंचायत आपने जोड़ी हुयी मान ली है? क्योंकि जो ग्राम पंचायत ददेरवा है, उससे दिल्ली-बीकानेर रोड लगभग दो किलोमीटर दूर निकलती है जबकि इसमें यह दर्शाया गया है कि इस ग्राम पंचायत को जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत नीमा एक-डेढ़ किलोमीटर दूर पड़ती है राजगढ़-पिलानी रोड से, जबकि इसमें यह दर्शाया है कि इस पंचायत को जोड़ दिया गया है। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ने का क्या मापदण्ड आपने अपनाया? कितनी दूर तक अगर कच्ची सड़क भी है तो उसको आपने जोड़ा हुआ माना है? दूसरा, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जो आपने बाकी बची ग्राम पंचायतें बताई हैं कि वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही जोड़ा जायेगा, क्या राज्य सरकार का कोई ऐसा कार्यक्रम है कि फलाना-फलाना सन् में इनको जोड़ दिया जायेगा या वित्तीय साधनों का भी आपने कोई प्रावधान रखा है कि कौन-कौन से सन् में कितने-कितने वित्तीय साधन आप उपलब्ध करवायेंगे? मैं यही जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग के जो दिशा-निर्देश हैं उनके अनुसार 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यानी 1985 तक सड़कों से जोड़ा जाना था। इसी प्रकार से जनजातीय और मरुस्थलीय क्षेत्र जो हैं, उसमें 100 की जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जाना था किन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि छठी तो खत्म हो ही गयी, सातवीं भी खत्म हो गई। सातवीं योजना के अंत तक उन निर्देशों का कितना पालन हुआ है, यह आप समझ लें कि 1990 तक 1500 की जनसंख्या से अधिक के 370 गांव अभी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तक सड़कों में जोड़े नहीं गये। उसी प्रकार 1000 से 1500 तक की जनसंख्या के 807 गांव भी सड़कों से जोड़े जाने शेष हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बैकलॉग जो मिला है, यह विरासत में हमको जो स्थिति मिली है।

श्री इन्द्रसिंह पूनियां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा राजगढ़ तहसील का है, यह तो पूरा भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने अपने सवाल में ऐसा ही पूछ लिया था....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार ने एक दिन में कितने गांव जोड़े, यह बता दें आप।

श्री अध्यक्ष : आपने क्राइटेरिया पूछ लिया इसलिए सब बता रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : बाकी बचे, उनके बारे में तो बतायें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, यह विरासत को ही + + + या कुछ काम भी करेंगे ?.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज सदन का पहला दिन है इसलिए आज तो विरासत का आ जाने दीजिये, यह बाद में देखेंगे।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक साल में 770 गांव जोड़े हैं.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 36 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसका जवाब....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : परफोरमेंस पूअर है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, फाइनेन्सियल स्ट्रेस आप जानते हैं, कंगाली अवस्था में राजस्थान को सौंपा है आपने, एक तरफ तो क्राइटेरिया के अनुसार....(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : आपका मतलब यह है कि सब आपको सौंप देते, डवलपमेंट का काम कुछ नहीं करते ?

श्री यदुनाथ सिंह : यह बीमारी क्यों ली है आपने ?....(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : आपका मतलब यह हुआ कि हमने जो कुछ किया है वह जनता के लिए खर्च नहीं करते तो आपको पैसा मिल जाता। हमने जो कुछ किया है वह जनता के लिए खर्च किया है। हर बजट में फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेण्ट्स तो आयेंगे, यह आप मत भूलिये। फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेंट्स कह कर आप डवलपमेंट को रोक नहीं सकोगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह पैसा आपने खजाने से अपनी जेबों में मंगवाया है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि वह पैसा जनता पर खर्च किया जाता तो यह स्थिति नहीं आती। इसके लिए आप उत्तरदायी हैं, इसका उत्तरदायित्व आपको स्वीकार करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : कागजों में आंकड़े हैं और पैसा तो सब खा गये आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेंट्स तो आयेंगे, आने चाहिये। किन्तु उसमें विकास की यह स्थिति रही, जो क्राइटेरिया तय किया है उस क्राइटेरिया के अनुसार कितना सारा काम हो तो मैं नहीं समझ पाता कि इन दोनों में तालमेल माननीय सदस्य कैसे बैठा पायेंगे ? फिर भी मैं कहना चाहता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : आप बैठायेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : तालमेल बैठा हुआ था, तालमेल में कोई कमी नहीं थी लेकिन आप हमेशा यह फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेंट्स कह करके राजस्थान के विकास को रोक नहीं पाओगे। फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेंट्स तो जब भी बजट बनाने का सवाल आयेगा, सामने रहेंगे। जो कुछ भी रिसोर्सेज मोबिलाइज किये जाते हैं वह जनता के काम के लिए किये जाते हैं। राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने जो भी काम किये हैं रिसोर्सेज मोबिलाइज करके, उसको राजस्थान की जनता के लिए खर्च किया है, तो फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेंट्स कह कर आगे के काम को रोक नहीं पाओगे आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सभी सदस्य जवाब देंगे ? क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी को जवाब देने के लिए अधिकृत कर दिया है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आपका प्रश्न अधूरा रह जायेगा, मैं ठीक 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त कर दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : हम राज में आ गये हैं, बैठो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि योजना आयोग ने जो क्राइटेरिया रखा है और उसमें जो लैक रहा है, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि आगामी वर्षों में इस बात को त्वरित गति से पूरा करेंगे जैसी कि योजना आयोग ने दिशा दी है ?

श्री अध्यक्ष : आप यह भी जवाब दें कि क्राइटेरिया क्या है ? एक उन्होंने गांव का पूछा था....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सड़कों से गांवों को जोड़ने का क्राइटेरिया है वह यह है कि सड़क उसी गांव की मानी जाती है चाहे वह कच्ची हो या पक्की हो, उस सड़क तक उस गांव को जोड़ दिया जाता है और

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मण्डी समिति या स्वयं वहां के लोगों का उपयोग करके उनके द्वारा उसको पूरा किया जाता है और एप्रोच रोड़ को बनवा दिया जाता है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी समस्या ध्यान में लाये हैं, अगर ऐसा लगता है कि सचमुच कोई गांव नहीं जुड़े हैं तो उनको जोड़ने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं कि जहां सवाल के दूसरे हिस्से कि आया ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हरियाणा से 600 मीटर दूर सड़क रह गयी है या 4 साल पहले 400 मीटर में पत्थर डाल दिये गये हैं, रोड़ी तोड़कर डाली गयी है। मेरी समझ में नहीं आया कि रोड़ी तोड़कर डालने से तो न तो कोई आदमी जा सकता है न कोई आवागमन हो सकता है। ऐसी स्थिति को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको ठीक करेगी और किन अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा हुआ उसको देखेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक शालायें

1. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या मुख्य शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार का प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

(2) अभी कितनी ग्राम पंचायतों में ऐसे विद्यालय हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर—

(1) जी नहीं, ऐसी कोई घोषित नीति नहीं है।

(2) कुल 7351 ग्राम पचायत मुख्यालयों में से 6025 में अभी ऐसे विद्यालय हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टोंक जिले में चिकित्सा सुविधायें

1. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) वर्ष 1988 से जनवरी, 1990 तक टोंक जिले में कहां-कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय व अन्य चिकित्सीय संस्थान खोले गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) उपरोक्त केन्द्रों हेतु इस वित्तीय वर्ष में कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया ?

(3) उपरोक्त केन्द्रों में कहां-कहां कितना-कितना स्टाफ स्वीकृत हुआ है और कितना-कितना स्टाफ वास्तव में लगाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1988 से जनवरी, 1990 तक टोंक जिले में निम्न संस्थाएं खोली गई :—

रेफरल अस्पताल	3
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	18
उपकेन्द्र	91
जिला अस्पताल	—
महिला चिकित्सालय	—
प्रसूति सुविधा उपलब्ध कराई	2
उच्चीकृत उपकेन्द्र	20

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'क')

(2) चिकित्सा संस्थानों के लिए वर्ष 1989–90 में निम्नानुसार बजट का प्रावधान किया गया है :—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	रु. 7·35 लाख
रेफरल अस्पताल	रु. 2·18 लाख
मातृ शिशु कल्याण सेवाएं	रु. 0·34 लाख
उच्चीकृत उपकेन्द्र	रु. 0·66 लाख

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'ख')

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

कृषि उत्पादों का मूल्य

2. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किन-किन कृषि उत्पादों का उपज मूल्य निश्चित करने हेतु समिति बनी हुई है और कब से ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी समिति गठित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) कृषि उत्पादों का मूल्य तय करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

(3) क्या कृषि उपज मूल्य तय करते समय औद्योगिक उत्पादों के मूल्य भाव को भी ध्यान में रखा जाता है ? यदि हां, तो विभिन्न कृषि उत्पादों व औद्योगिक उत्पादन के भावों में अन्तर रहने का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार इसमें समानता लाने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि उत्पादों के मूल्य तय करने हेतु कोई समिति नहीं है। वर्तमान में ऐसी समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कार्यरत है, अतः राज्य स्तर पर अलग समिति की आवश्यकता नहीं है।

(2) राज्य सरकार द्वारा निम्न

(कृषि मंत्री)

बिन्दुओं को ध्यान में रखकर समर्थन मूल्यों के प्रस्ताव भेजे जाते हैं :—

( ) उत्पादन लागत (2) कृषि आदानों के मूल्य में परिवर्तन (3) बाजार भावों के उतार-चढाव (4) आदान एवं उत्पादन की कीमतों में समन्वय (5) मांग एवं पूर्ति (6) समान जिन्सों की कीमतों में समन्वय (7) सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव (8) जीवन स्तर पर प्रभाव ।

(3) इसका सम्बन्ध भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से है ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

रामगढ़ क्षेत्र (अलवर) में महाविद्यालय

3. श्री ज़ुबेर खां (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(i) जिला अलवर के विधान सभा क्षेत्र, रामगढ़ में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिये क्या सरकार महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । अलवर जिले में पूर्व में ही 5 राजकीय व 2 अराजकीय महाविद्यालय चल रहे हैं । वित्तीय वर्ष 1989-90 में कहीं भी नया महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है, अतः रामगढ़ में महाविद्यालय खोलना सम्भव नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

राज्य में इंजीनियरिंग अध्यापन व्यवस्था

4. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में औसतन कितनी जनसंख्या के आधार पर इंजीनियरिंग अध्यापन की व्यवस्था है ? क्या यह सही है कि इसमें अन्य राज्यों के मुकाबले राज्य की प्रतिकूल स्थिति है ? यदि हां, तो अन्य राज्यों के उपलब्ध आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार का नये इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रॉड्क्शन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, स्पेस इंजीनियरिंग आदि विषयों के पढ़ाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । यदि हां, तो उक्त विषयों के अध्यापन की व्यवस्था कब तक प्रारम्भ करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में प्रति लाख व्यक्तियों के पीछे 2·5 छात्रों को स्नातक स्तरीय तथा 10 छात्रों को डिप्लोमा स्तर की शिक्षा देने की सुविधाएं उपलब्ध हैं । क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत में दूसरा बड़ा राज्य है लेकिन स्नातक स्तर की सुविधा के अनुसार इस राज्य का स्थान 13 वां हैं ।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

विभिन्न राज्यों में स्नातक स्तर के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1.	महाराष्ट्र	23
2.	तामिलनाडू	17
3.	कर्नाटक	17
4.	उत्तर प्रदेश	16
5.	आन्ध्र प्रदेश	14
6.	मध्य प्रदेश	12
7.	पश्चिमी बंगाल	12
8.	गुजरात	11
9.	पंजाब	9
10.	केरल	8
11.	देहली	7
12.	बिहार	7
13.	राजस्थान	5

उक्त आंकड़े दो वर्ष पहले के हैं।

(2) राज्य में दो नये इंजीनियरिंग कॉलेज क्रमशः बीकानेर व अजमेर में खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर इन कॉलेजों को खोलने का प्रस्ताव है।

(3) राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रॉडक्शन इंजीनियरिंग तथा केमिकल इंजीनियरिंग विषयों के पढ़ाने की समुचित व्यवस्था है।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनाधिकृत वाहन

5. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर संभाग में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर किराये के निजी वाहनों की भरमार से क्या राज्य पथ परिवहन निगम की आय पर विपरीत असर पड़ा है ?

(2) क्या इस प्रकार की शिकायतें जोधपुर डिपो व कर्मचारियों से प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो पिछले 2 वर्ष में शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) राज्य सरकार अब इन अनाधिकृत वाहनों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) सम्भव है।

(2) जी हां। दिनांक 16·6·89, 3·10·89, 5·10·89, 23·10·89, 28·10·89, 29·10·89, 7·11·89, 13·12·89, 16·12·89, 5·2·90 व 1·3·90 को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों में वर्णित वाहनों की संयुक्त चैकिंग दलों द्वारा समय-समय पर चैकिंग की जाकर उनके चालान बनाये गये हैं। निगम द्वारा भी प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक लिखा-पढ़ी की गई है।

(3) संयुक्त चैकिंग दलों द्वारा इस सम्भाग में प्रभावी रूप से समय-समय पर चैकिंग की जा रही है। गत दो वर्षों में 12237 वाहनों को चैक किया जिसमें से 3771 वाहनों के चालान बनाये गये। 1134 वाहनों को सीज किया गया एवं 30·95 लाख रु. की राशि बतौर जुर्माने के वसूल की गई। साथ ही इस विषय से सम्बन्धित नियमों में परिवर्तन कर चैकिंग को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की पेयजल योजनाएं

6. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी जनसंख्या के ग्राम को पेयजल योजना से लाभान्वित करने की नीति है ?

(2) बाड़मेर व जैसलमेर जिले में इस नीति के तहत कितने-कितने ग्राम शामिल किये जाने हैं ? तहसील व जिलेवार ग्राम सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1981 जनगणना के सभी आबाद ग्रामों को पेयजल योजना से लाभान्वित करने की नीति है।

(2) बाड़मेर जिले के 847 व जैसलमेर जिले के 454 ग्राम पेयजल योजना से लाभान्वित किये गये हैं। बाड़मेर जिले के शेष 6 ग्राम व जैसलमेर जिले के शेष 8 ग्राम वर्ष 90-91 में लाभान्वित किये जाने प्रस्तावित हैं। सूची "परिशिष्ट क" में सदन की मेज पर रख दी गई हैं,

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

टोंक शहर में नागरिक सुविधाओं पर व्यय

7. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1985 से फरवरी, 1990 तक टोंक शहर में सफाई, रोशनी, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, सड़कों का निर्माण नालियों का निर्माण, शौचालय आदि निर्माण हेतु किन-किन वर्षों में किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टोंक नगर में काफी गन्दगी रहती है, प्रकाश की पूरी व्यवस्था नहीं है, सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और नागरिक सुविधाओं का अभाव है ? यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सफाई, रोशनी, सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था परिषद द्वारा उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप की जा रही है। नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु परिषद प्रयत्नशील है तथा सरकार द्वारा उक्त कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए ज्योंहि वित्तीय साधनों की व्यवस्था हो जावेगी, नागरिकों को और भी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जावेंगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

चुंगी की दरें

8. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(1) राज्य में नगर परिषद् एवं नगरपालिकाओं द्वारा वसूल की जाने वाली चुंगी की समान दरें कब तक कर दी जावेंगी ?

(2) क्या राज्य सरकार चुंगी समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) चुंगी समाप्त करने पर नगर परिषद् एवं नगरपालिकाओं की आय के वैकल्पिक स्रोत की क्या तजबीज की जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में नगरपरिषदों एवं नगर पालिकाओं में चुंगी की समान दरें किये जाने का परीक्षण किया जा रहा है।

(2) राज्य सरकार द्वारा चुंगी के स्थान पर नई योजना बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट अपेक्षित है ।

(3) भाग 2 के उत्तर में इसका उत्तर सम्मिलित है ।

बाड़मेर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ

9. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में सीमा विकास के तहत कितने प्राथमिक हैल्थ सेण्टर स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जिलों में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त स्टाफ कब तक लगा दिया जायेगा ?

(3) जिला बाड़मेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए स्वीकृति के बाद अभी तक भवन नहीं बनाये गये हैं, उन्हें कब तक बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) इन जिलों में सीमा क्षेत्र विकास के अन्तर्गत जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण अथवा आवर्तन-परिवर्तन के लिए राशि स्वीकृत की गई है उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) बाड़मेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु नव निर्मित भवन विभाग को हस्तान्तरित होने पर स्टाफ का पदस्थापन किया जा सकेगा । जैसलमेर में सभी भवन निर्मित हैं एवं स्टाफ पदस्थापित है ।

(3) भवनों का निर्माण हो चुका है परन्तु इनमें कुछ कमियां होने के कारण विभाग को हस्तान्तरित नहीं हुए हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

अरावली विकास कार्य

10 **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

अरावली विकास का कार्य केन्द्रीय योजना में शामिल किया जाये ?

(2) यदि हां, तो इस मामले की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) केन्द्रीय सरकार ने अरावली विकास के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव ओ. ई. सी. एफ. (ओवरसीज इकोनोमिक को-ऑपरेशन फण्ड) मुख्यालय टोक्यो, जापान के पास भिजवाया है। ओ. ई. सी. एफ. जापान के एक अधिकारी मिस्टर सकाई, डायरेक्टर लौन, दिसम्बर, 1989 में मौके का मुआयना कर गये हैं। अन्तिम निर्णय अभी अपेक्षित है।

महामन्दिर, जोधपुर की सीवरेज लाइन

11. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर में महामंदिर क्षेत्र में सीवरेज लाइन की समुचित व्यवस्था न होने से वहां गंदगी बहुत अधिक हो रही है ?

(2) क्या महामंदिर क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक डाल दी जावेगी ?

(3) प्रस्तावित सीवरेज लाइन कहां से कहां तक डाली जावेगी व इसमें किस साइज के पाइपों का उपयोग होगा ? इसमें कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हाँ। योजना स्वीकृत है। धन की समुचित उपलब्धि पर कार्य करवाना सम्भव हो सकेगा।

(3) प्रस्तावित सीवरेज लाइन महामन्दिर क्षेत्र से बनाडचुंगी चौकी के करीब 2 कि. मी. दूर तक डाली जावेगी। योजना में 150 से 900 एम. एम. व्यास साइज के पाइपों का उपयोग प्रस्तावित है। योजना पर 186.75 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का प्रतिशत

12. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई): क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1977 के प्रारम्भ में राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का क्या प्रतिशत था एवं वर्ष 1980 के प्रारम्भ में क्या प्रतिशत रहा ?

(2) अन्त्योदय योजना के लागू रहने की अवधि में कितने प्रतिशत व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया ?

(3) 1980-90 के दशक में गरीबी

(श्री रामकिशोर सैनी)

की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने व्यक्तियों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाया गया ? वर्षवार औसत विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन. एस. एस) द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के 32वें दौर के अनुसार वर्ष 1977-78 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 33.5 था। कोई सर्वे नहीं होने के कारण वर्ष 1980 के प्रारम्भ में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का क्या प्रतिशत था बताना संभव नहीं है ।

(2) अन्त्योदय योजना के लागू रहने की अवधि में 2,17 879 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। इनमें गरीबी की सीमा रेखा पार कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं, सर्वेक्षण के अभाव में बताना संभव नहीं है ।

(3) वर्ष 1980–81 से 1989–90 (फ़रवरी, 90) तक की अवधि में 15,45,329 व्यक्तियों को जो गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, को आई.आर.डी. योजनान्तर्गत लाभान्वित कराया गया। इस पूरे दशक में लाभान्वित परिवारों में से कितने परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गये बाबत सूचना सर्वेक्षण के अभाव में उपलब्ध नहीं है।

परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना काल (1980–81–84–85) में लाभान्वित परिवारों के बारे में सूचना उपलब्ध है जिसके अनुसार कुल 7,11,446 लाभान्वित परिवारों में से 348576 परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गये। वर्षवार लाभान्वित किये गये परिवारों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	परिवारों की संख्या
80–81	82683
81–82	121576
82–83	183402
83–84	164791
84–85	158994
कुल योग :	711446

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

श्री रामप्रताप कासनियां, श्री डूंगरराम और श्री रामस्वरूप सदस्य, विधान सभा की ओर से पीलीबंगा व सूरतगढ़ जिला गंगानगर के ग्रामों एवं चकों की बहुमूल्य भूमि भारी सेम के कारण नष्ट होने और इस जटिल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से तीन दिन के अन्दर जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर एवं बीकानेर जिले की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

2. श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में बीहड़ सुधार कार्यक्रम में हो रही अनियमितता, अव्यवस्था एवं शिथिलता के सम्बन्ध में।

3. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर से सड़कों के डामरीकरण के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री चम्पालाल बांठिया : पाइंट आफ ऑर्डर। मेरा भी एक 295 का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : आपके 295 के सम्बन्ध में मैंने आपको बुलवाया था, आप उस समय हाउस में नहीं थे। अब आप मुझसे मेरे चेम्बर में मिल लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : एक निवेदन यह करना है कि माननीय सदस्यों के पास पूर्व में ही सारी सामग्री पहुंच जानी चाहिए। लेकिन प्रश्नों की सूची और जो रोज का बिजनेस है वह अब तक कई माननीय सदस्यों के पास नहीं पहुंचा है। इसलिए उसे पहुंचाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था हो जायेगी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके पाइंट आफ ऑर्डर का दुरुपयोग न करें। सूचना देनी हो तो सूचना के लिए खड़े हों। पाइंट आफ आर्डर कैसी स्थिति में उठाना चाहिए उसकी सीमाओं के लिए आप प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम पढ़ लें और पाइट आफ ऑर्डर का सदुपयोग करें। सूचना के लिए कह सकते हैं, मैं आपको इजाजत दूंगा लेकिन पाइंट आफ ऑर्डर का नाम न लें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बीकानेर शहर एवं बीकानेर जिले की पेयजल समस्या

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत बीकानेर शहर एवं बीकानेर जिले की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव पढ़ रहा हूं—

बीकानेर जिला एक सीमावर्ती जिला है, जहाँ प्रति एक वर्ष बाद अकाल एवं अभाव की स्थितियाँ लगातार विद्यमान रहती हैं। पिछले एक सप्ताह से पेयजल का भारी अभाव महसूस किया जा रहा है। गर्मी की शुरूआत के साथ ही नोखड़ा, दियातरा, केला, लूणकरणसर, कोलायत, नोखा, दासूड़ी, जैमलसर, 16–के. वाई. डी., रूणियों का बास, गुंसाइसर, छतरगढ़ आदि अनेक स्थानों पर पीने के पानी की

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी। ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों को भारी पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

बीकानेर शहर में भी खजांची मोहल्ला, नाहतों का मोहल्ला, चूनगरों का मोहल्ला, छीपों का मोहल्ला, डीडू सिपाहियों का मोहल्ला, गूजरों का मोहल्ला, रानी बाजार, बांदरों का बास, प्रताप बस्ती, नूरानी मस्जिद के पास, हरिजनों की छोटी गवाड़ एवं बड़ी गवाड़ में पीने के पानी का सर्वत्र अभाव है। कई बार दो-दो दिन से पानी नहीं आता एवं पानी दिया भी जाता है तो रात को 2-3 बजे अथवा दोपहर को, जिससे लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

बीकानेर जिले में एवं शहर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी लूणकरणसर लिफ्ट से दिया जाता है। वह कई बार बंद हो जाती है जिससे पानी समय पर नहीं पहुंच पाता तथा बिजली के खराब व फेल हो जाने से भी पानी नहीं पहुंच पाता है। पीने के पानी का स्टाक रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ समय पूर्व एक कृत्रिम झील बनाने की स्वीकृति दी गयी थी। उसकी खुदाई भी हो चुकी है परन्तु उसका निर्माण जलदाय विभाग की अकर्मण्यता के कारण शुरू नहीं हो सका है। इस कृत्रिम झील के बन जाने से एक महीने तक की मांग का पानी एकत्रित कर रखा जा सकेगा और बीकानेर एवं आसपास के गांवों की पीने के पानी की मांगों को पूरा किया जा सकेगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि विभाग के द्वारा तकनीकी स्वीकृति देने में विलम्ब किये जाने से इस झील की लागत में बढ़ोतरी हो रही है जिसकी जिम्मेदारी विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों पर डाली जानी चाहिए एवं जो लागत में देरी के कारण वृद्धि हो रही है उसकी पूर्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

बीकानेर जिले में वर्षा की कमी के कारण गांवों से पशुधन शहर में आ गया है एवं उनके पीने के पानी का पूरा इन्तजाम न होने के कारण अव्यवस्था सी हो गयी है। इस हेतु श्री लक्ष्मीनाथ जी की टंकी के पास एक हौज बनाकर 20 लाख लीटर पानी के स्टॉक रखने की आवश्यकता है। साथ ही बीकानेर शहर में अनेक स्थानों पर नई पाइप लाइन, नई टंकियां फिल्टर प्लाण्ट एवं नये पी. एस. पी. नलों स्टेण्ड बनाये जाने की आवश्यकता है। इस समस्या का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो बीकानेर में गर्मी के दिनों में इस समस्या का समाधान करना मुश्किल हो जायेगा। अतएव उपयुक्त बजट प्रदान कर कृत्रिम झील का निर्माण कराया जाये, नयी पी. एस. पी. मंजूर की जावे तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिग्गियाँ डेयरी फेडरेशन ने बनायी हैं उसको पेयजल योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। अन्यथा पेयजल सुविधाओं के अभाव में बीकानेर के लोग आन्दोलन के रास्ते पर चलकर अपनी मांगों की पूर्ति करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय मंत्रीजी ने प्रश्नकाल में जवाब दिया जो 7 लाख लीटर....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ लीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। तीनों प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आपके सवाल पर बहुत चर्चा हो गई। फिर भी मैंने बावजूद अध्यक्ष पुरानी परम्परा को तोड़ा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रश्न दिये हैं उनका एक का भी जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके अधिकारों की जरूरत से ज्यादा रक्षा कर रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तीनों प्रश्नों में से एक का भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। क्या वह 60 लाख लीटर से अधिक पानी इन्दिरा गांधी नहर का नहीं देंगे और देंगे तो दूसरा फिल्टर प्लांट बनायेंगे या नहीं बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिये मेरी बात। नियम 14 के सब नियम 8, चैप्टर 4 के अन्तर्गत अध्यक्ष की पहली व्यवस्था दी हुई है कि जिस विषय पर चर्चा हो जाये उस पर 295 पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाये। मैंने उसको नहीं मान कर आपको इजाजत दी, आपने पढ़ लिया आप इसी में सन्तुष्ट रहिये।

माननीय मांगीलालजी मेघवाल।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्लाजी ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है और पुरानी सरकार की कमियां बताई हैं। उसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। 10 साल में आपने क्या-क्या नहीं किया, आप मंत्री भी रहे। पर वह मेरा विषय नहीं है आपने खुद ने कन्वर्ट कर दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई कमियां नहीं दिखाई। आप क्या करेंगे, यह बताना।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो काम रुका हुआ है आपका उसको इमिजियेटली स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जान बूझ कर तो बीकानेर में पीने के पानी की समस्या पैदा नहीं कर दी।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल।

केशोराय पाटन में बीहड़ सुधार कार्यक्रम

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का और विशेष कर कृषि मंत्री महोदय का मेरे विधान सभा क्षेत्र में हो रहे कार्य के बारे में 295 के जरिये विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। मान्यवर, केशोराय पाटन विधान सभा क्षेत्र में बीहड़ सुधार (भू-संरक्षण) सॉइल कन्जरवेशन के तहत कार्यक्रम हो रहा है उसमें भारी अनियमितता, अव्यवस्था है उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले दो वर्षों से

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

बीहड़ सुधार कार्यक्रम के तहत 70 लाख रुपया स्वीकृत होकर चम्बल एवं स्थानीय मेज नदी स्थित खालों को सुधार कर कृषि के योग्य एवं रोकथाम के कार्य चलाये जा रहे हैं। इसके लिए सरकारी स्तर पर मात्र जूनियर इंजीनियर केशोराय पाटन एवं लाखेरी में कार्यरत हैं। अभी तक इसके तहत कोई सन्तोषजनक कार्य नहीं हो रहा हैं। इस विभाग के अधिकारियों को स्थानीय पंचायत समिति की बैठकों जिला परिषद एवं पिछली आठवीं विधान सभा में भी इस ओर ध्यान आकर्षित कर इसकी प्रगति के निमित अवगत कराने को बताया। परन्तु बहुत दुख एवं आश्चर्य का विषय है कि इस ओर कोई ध्यान न दिया जाकर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके उच्च अधिकारी कोटा में रहते हैं और मनमानी कर रहे हैं, यह मौके पर देखने को मिला है जिससे कहीं-कहीं पर केवल मात्र डोला बना, कागजी मस्टररोल बना कर सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।

अतः मेरी मांग है कि अतिशीघ्र इस कार्य की अब तक की गई प्रगति से अवगत कराया जावे ताकि इस महत्वपूर्ण कार्य एवं 70 लाख की राशि के बारे में क्षेत्र की जनता, जन प्रतिनिधि एवं स्वयं राज्य सरकार जान सके और इस तरह से जो जनहित के कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जानकारी हो सके। अतः मेरी मांग है कि :

1. बीहड़ सुधार के तहत कितने केच-मेण्ट, कितने-कितने क्षेत्रों के लिये गये, इसकी जानकारी करवाई जाये।

2. कितने खालों को पक्का करवाया गया एवं किस स्तर पर कितनी-कितनी राशि कहां-कहां पर व्यय की गई, इसका पूर्ण विवरण पेश किया जाये।

3. कितने क्षेत्र में कृषि भूमि समतली-करण करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, और....

4. आगे भविष्य में क्या योजना रहेगी।

मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण योजना को सही तरीके से भारी मशीनों जैसे हाई लेवल बुलडोजर्स वगैरह के माध्यम से जमीन का समतलीकरण करवाया जावे। जिससे अकेले केशोराय पाटन विधान सभा क्षेत्र में 50 हजार बीघा जमीन कृषि योग्य हो सकेगी। जिससे क्षेत्र के साथ-साथ देश का विकास भी होगा।

अतः इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर चाहता हूं कि इसमें हो रहे भारी भ्रष्टाचार की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करवायें एवं भविष्य में कार्य आधुनिक मशीनों के माध्यम से त्वरित गति से करवाया जाये ताकि जनता को राहत हो सके। आपने समय दिया। धन्यवाद। जयहिन्द,

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हीरा सिंह चौहान।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बीहड़ विकास से सम्बन्धित मुद्दे उठाये हैं और चिन्ता व्यक्त की है मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुद्दे चार प्रश्नों में दिये हैं उन सबके ऊपर विस्तृत जानकारी करके पूरा डिटेल नोट आपको वहां पहुंचा देंगे और इससे किस प्रकार समस्या हल हो सकती है उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर की सड़कों का डामरीकरण

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सर्वप्रथम तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले विधान सभा के सदन चलते थे उनमें विशेष उल्लेख के प्रावधान तो हुये....

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये अपना। सब जानते हैं, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़िये। आपको अपना 295 का प्रस्ताव पढ़ने की इजाजत दी गई है यह पढ़ लीजिये उसके बाद आपको मौका मिले तो कहिये।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर राजस्थान में सुपर 'ए' क्लास की मण्डी समिति है। जिसकी आमदनी प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की है व आज के दिन भी उस मण्डी समिति की जमा पूंजी करोड़ों में है।

ब्यावर तहसील क्षेत्र में कृषि उत्पादन व पशुपालन कार्य नहीं के बराबर है जिससे ब्यावर तहसील से इस मण्डी को कोई आमदनी नहीं होती है लेकिन तहसील रायपुर व जैतारण व सोजत तीनों तहसीलों का कृषि उत्पादन का बहुत बड़ा बाजार बड़े व्यापारियों के ब्यावर में होने से कृषि उत्पादन का विक्रय केवल मात्र इसी मण्डी समिति ब्यावर में होता है। विशेषकर पाली जिले की रायपुर तहसील का एक मात्र विक्रय केन्द्र कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर है, जहां पर रायपुर के अलावा सोजत व जैतारण से भी ऊन, कपास, रायडा, मिर्ची, तिलहन, अनाज का विक्रय होता है। इसी कारण ब्यावर मण्डी में प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की आमदनी मण्डी शुल्क के जरिये होती है।

रायपुर व जैतारण विधान सभा क्षेत्र में जैतारण मण्डी क्षेत्र है। इसी प्रकार सोजत रोड मण्डी समिति भी है लेकिन दोनों ही मण्डियां चतुर्थ श्रेणी की मण्डियों में आती हैं। राज्य सरकार ने अनुदान देकर मण्डी यार्ड व अन्य सुविधायें वहां दी हैं। दोनों ही मण्डियों के पास अपने कार्यालय का खर्चा चलाने के अलावा आमदनी नहीं होती हैं जिससे अपने क्षेत्र में सड़कें बनाने में मण्डी समितियां अक्षम हैं।

पूर्व राज्य सरकार ने मण्डी समितियों के द्वारा अपने घोषित क्षेत्र में ही सड़कें बनाने की व्यवस्था कर रखी थी। यह व्यवस्था ब्यावर के समकक्ष मण्डियों के लिए लागू करना सर्वथा गलत है क्योंकि मिर्ची, ऊन व कपास का दो सौ किलोमीटर का विक्रय केन्द्र केवल मात्र ब्यावर मण्डी समिति है।

(श्री हीरासिंह चौहान)

इस मण्डी समिति का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण अपनी करोड़ों रुपयों की जमा पूंजी को इस मण्डी समिति के पड़ौसी गांवों की सड़कों को जोड़े जाने की व्यवस्था करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है। अन्यथा केवल मात्र राज्य सरकार के बजट से सड़क मार्गों का निर्माण करना काफी समय तक असम्भव रहेगा। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण दिनांक 16 मार्च, 1990 में नई सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण का विशेष उल्लेख किया है।

अतः निवेदन है कि उपज कृषि मण्डी समिति ब्यावर से वरीयता के क्रमानुसार निम्नलिखित मुख्य सड़क मार्गों का डामरीकरण करना आवश्यक है।

1. ब्यावर से बलाडा–कुल लम्बाई 33 कि. मी. इस सड़क मार्ग की है। रेलडा से चांग 5 कि. मी. की सड़क जैतारण मण्डी समिति द्वारा निर्माणाधीन है जिसके लिए राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड से 10 लाख रुपये जैतारण मण्डी को दिये गये और उसके तहत इस सड़क का निर्माण हो रहा है। लेकिन जो शेष हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा ब्यावर तहसील में अपने क्षेत्र तक करवाने की कार्यवाही चल रही है। ऐसी भी जानकारी है कि ब्यावर मण्डी समिति क्षेत्र तक ही इस सड़क का निर्माण करा रही है, आगे का हिस्सा नहीं हो रहा है। लेकिन इस सड़क पर 50,000 के करीब लोगों की आबादी है और कम से कम 15 ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं इससे। जैतारण तहसील का कुछ क्षेत्र, बलाड़ा इसमें आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सड़क मार्ग को कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर से जुड़वाया जाये। यह जितनी भी सड़कें हैं, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि यह सारी ब्यावर तहसील से लिक्ड हैं, ब्यावर तहसील से ही आगे बढ़ती हैं और सारा जो माल आता है कृषि का, इन्हीं मार्गों से ब्यावर पहुंचता है। आपको यह भी जानकारी है कि ब्यावर में हर साल सूखा रहता है। ब्यावर में न तो ऐसा जलाशय है, न ऐसा कुआं है और प्रतिवर्ष वहां पर किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती है। आमदनी का एकमात्र जरिया यह हमारे पाली जिले की ये तीन तहसीलें हैं जैतारण, रायपुर और सोजत। दूसरी सड़क का मैं निवेदन कर रहा था कोटड़ा, ब्यावर से काणोजा दस किलोमीटर। तीसरी गापा ब्यावर से चण्डावल स्टेशन 15 किलोमीटर। चौथा जस्साखेड़ा से कालब कल्ला तक 15 किलोमीटर। यह जो सड़कें हैं सारी.... (व्यवधान)....माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह राइट अध्यक्ष जी में निहित है आपमें निहित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये।

श्री परसादीलाल मीणा : हीरा सिंहजी समझ रहे हैं कि मैं अब भी विरोधी दल का एम. एल. ए. हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं विरोधी दल का नहीं हूं। विशेष उल्लेख का, हम नियम समिति में थे उस समय यह नियम बनाया गया था और सत्ता पक्ष के लोग भी बोल सकें इसीलिए यह नियम बनाया गया था।

अतः मेरा निवेदन है कि इसी बजट

(श्री हीरासिंह चौहान)

वर्ष में विशेष प्रावधान कर मेरे विशेष उल्लेख के प्रस्तावित सड़कों का तखमीना कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर द्वारा तैयार करवाकर उक्त सड़क मार्गों को प्रारम्भ करना बहुत जरूरी है।

मैं, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले माननीय मन्त्री महोदय यह जानकारी लें कि कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर में प्रतिवर्ष कितनी आमदनी होती है और किन क्षेत्रों से होती है। ब्यावर मण्डी के पास वर्तमान में कितना जमा धन है। इस ब्यावर मण्डी समिति द्वारा इस समय कौन-कौनसी मण्डी समितियां बनाई जा रही हैं क्योंकि ब्यावर मण्डी समिति का जितना भी विस्तार होना चाहिए, जितना निर्माण होना चाहिए सारा का....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बात सुन लें आपने जो लिखित में दिया है सरकार के पास, केवल उसी का उत्तर मिलेगा। आप कितना भी यहाँ बोलें कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा एक-एक, दो-दो लाइन बोलें, समझ में आती है लेकिन आप तो सारा भाषण दिये जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उसका।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं मेरी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : इनको एक दिन क्लास लगाकर ट्रेनिंग दो कि यह सत्ता पार्टी के एम. एल. ए. हैं या विरोध के। यह समझ में नहीं आ रहा है इनको।

श्री हीरासिंह चौहान : समझ में आ रहा है। विशेष मांग के लिये सरकार है, मांगों की पूर्ति करने के लिए बैठी हुई है। जिस काम के लिये आये हैं उस काम को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। कहीं बैठकर बोलिये, वाजिब बात शालीनता से सरकार के सामने रखनी है। उसको सरकार सुनती है, जिम्मेदार सरकार है। ऐसी बात, परसादीलाल जी, आप मत मानिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तिम निवेदन मेरा यह है कि इस मण्डी समिति के द्वारा जैतारण, रायपुर इस क्षेत्र से जुड़ता है और मुख्य कृषि पैदावार इन्हीं क्षेत्रों से आती है। उन मार्गों को जोड़ने के लिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार पूर्व प्रश्न के उत्तर में आपने व्यवहारिकता अपनाते हुये हमें सन्तुष्ट किया, इस मामले में मुझे सन्तुष्ट करने की कृपा करें।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख किया गया है उसका जवाब तो आपके पास पहुंच जायेगा। जहां तक यह सम्पर्क सड़कों का प्रश्न है कुल 34 करोड़ रुपये का प्रोवीजन था 1989-90 के लिये, उसमें से 12 करोड़ रुपये के टेण्डर तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन कृषि मन्त्री जी ने रख दिये। उसके बाद की जितनी भी धनराशि बची है उस धनराशि को अभी हमने रोक दिया है। इसको सारा रीआर्गेनाइज करने के लिये दुबारा से प्लान देख रहे हैं। और उसके अनुसार यह सड़कें उसमें आयेंगी तो निश्चित रूप से इन पर कार्य करवा दिया जायेगा।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हेतु विभिन्न दलों में समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सामान्य वाद-विवाद के लिये दलों में समय के आवंटन की घोषणा इस प्रकार है :—

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सामान्य वाद-विवाद के लिये लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी उपलब्ध है। मैं विभिन्न दलों के लिये समय का बंटवारा इस प्रकार करता हूं :–

भारतीय जनता पार्टी	6 घण्टे 35 मिनट
जनता दल	4 घण्टे 30 मिनट
कांग्रेस (आई) पार्टी	4 घण्टे
सी. पी. आई. (एम.)	10 मिनट
निर्दलीय	45 मिनट

कृपया जो भी माननीय सदस्य बोलें वे इस बात का ध्यान रखें कि यदि वह समय का अतिक्रमण करेंगे तो उनकी पार्टी के अन्य लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए यह ध्यान में रखें कि अधिक से अधिक लोग बोल सकें।

श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित रूप में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाये।

"इस सत्र में एकत्रित हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण महामहिम राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं मैं हिन्दुस्तान की और राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उसने इस देश में परिवर्तन के लिए मेण्डेट दिया और देश में नई व्यवस्था को बैठाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, यह नया जो मेण्डेट है यह मेण्डेट आखिर है काहे के लिये, क्या है इसका दिशा निर्देश, यह आज बहुत गहन सोच करने की आवश्यकता है। मेण्डेट टोटल निगेशन है। यह मेण्डेट करप्शन के विरुद्ध मेण्डेट है, यह मेण्डेट मेल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मेण्डेट है। यह मेण्डेट है कि जो जड़ता आ गयी थी राज में, जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था जड़ तक, उसके विरुद्ध यह स्पष्ट मेण्डेट है। देश की जनता ने एक संकेत और साथ में किया है। वह संकेत यह है कि मिली जुली सरकारें बनाईं अधिकांश राज्यों में और केन्द्र में। वे इस बात का संकेत हैं कि अगर आपने भी कांग्रेस की तरह प्रशासन करने का काम और अपने आपको सेवक की जगह राजा समझने का काम किया तो आपका भी कांग्रेस की तरह हश्र होगा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा है कि चाहे वह केन्द्र की सरकार हो, चाहे हमारे राजस्थान की सरकार हो, वह जन कल्याणकारी....

(श्री यदुनाथ सिंह)

(12.28 अपराह्न)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

कार्यों में अपना ध्यान लगायेंगी और लगातार यहां पर बने रहने के सोचने का काम करेंगी। मैं ज्यादा लम्बी चर्चा करना सरकार का समय जाया करना समझता हूं। मैं दस साल से इस सदन में मौजूद हूं और दस साल से कांग्रेस के व्यवहार से जो कुछ मैंने पाया, जो कुछ मैंने देखा उसका परिणाम मैंने यह निकाला है कि कांग्रेस यह समझ बैठी थी कि हम सिर्फ राज करने के लिये हैं, हम राज से बाहर रहने के लिये नहीं हैं। लेकिन वी. पी. सिंह जी ने जो कथन कहा है हमारा संकल्प वह है कि हम जनता की ओर से सरकार में हैं सरकार की ओर से जनता में नहीं हैं। यह दोनों में बहुत बड़ा फर्क हमें करना होगा।

सभापति महोदया, आपको मालूम है कि पिछले समय में किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ। बोफोर्स तोप की चर्चा करके इस सदन का समय जाया नहीं करना चाहता।

श्री ईश्वर लाल सैनी : जरूर करो, जरूर करो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, डिस्टर्ब नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, राजीव गांधी को क्षमा किया जा सकता है एक बार कि उनको डिफेन्स की जानकारी नहीं थी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं थी, उनको और चीजों की जानकारी नहीं थी लेकिन उनको हवाई जहाज के बारे में तो जानकारी थी एयर बस लेने गये, 320 नाम हैं और कर गये +++

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, जो सदन के मैम्बर नहीं हैं उनके बारे में इस तरह से बोलना उचित नहीं है। विषय के ऊपर बोलना ठीक रहेगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं। क्या आपने लिखित में दिया है? +++। 100 दिन से ज्यादा सरकार हो गयी, आप क्या कर रहे हो?

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : यह सदस्य के बारे में नहीं बोल रहे हैं, प्रधान मंत्री के बारे में बोल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : जैसा मैंने कहा, सभापति महोदया, यह +++ परिचायक है। संस्थाएं खत्म कर दी गयी, उनकी गरिमा खत्म कर दी गयी। एक जमाना था जब किसी राज्य का मुख्य मंत्री राजधानी दिल्ली में जाता था तो वह न सिर्फ राष्ट्रीय न्यूज बनती थी बल्कि वह अन्तर्राष्ट्रीय खबर हुआ करती थी। लेकिन संस्थाओं को गिराते-गिराते, मर्जी आये

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथ सिंह)

वहां तक गिराते-गिराते हालत क्या हो गयी कि मुख्य मंत्री दिल्ली जा रहे हैं, वहां प्रधान मंत्री से मिलना तो दूर, वहां जॉर्ज साहब से भी मुलाकात नहीं हुई। वहां सात दिन रहे, यह हैड लाइन बन रही है। इस से राजस्थान के स्वाभिमान को....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं): आप उन पर तो आक्षेप कर रहे हैं, माननीय सदस्य। यह तो बताइये कि माननीय भैरोंसिंह जी क्यों चार बार दिल्ली गये थे मन्त्रिमण्डल के गठन के लिये ?

श्री यदुनाथ सिंह : भैरोंसिंह बराबर की हैसियत से जाता है, किसी प्रधान मंत्री या नेता के पी. ए. से मिलने नहीं जाता। यह फर्क है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इसीलिए वी. पी. सिंह इन से घबरा रहे हैं, इसीलिए बी. जे. पी. से घबरा रहे हैं। कठपुतली हैं वे इनकी कठपुतली।

एक माननीय सदस्य : हमारे यहां तो एक माननीय मुख्य मंत्री को इतनी तरजीह दी जाती है....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में डायलाग नहीं होंगे। एड्रैस करिये चेयर को। एक-दूसरे की तरफ देखकर इशारे नहीं करें।

श्री यदुनाथ सिंह : जैसा मैंने कहा, सभापति महोदया, +++ इनका हथियार बन गया और बजाय जनकल्याण के काम करने के....

श्री चन्दनमल बैद : इसी वास्ते वी. पी. सिंह की तारीफ कर रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप भुक्तभोगी हैं बुजुर्ग हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं मेरे। मेरे मुंह से मत कहलवाइये कि किस प्रकार आपको कांग्रेस पार्टी की मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया था। आप बोलने के हकदार नहीं हैं। सभापति महोदया....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सभापति महोदया इधर हैं। Address to the chair please

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, आप देख रही हैं कि राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। राजस्थान को फख्र रहा है आन-बान-शान पर, लेकिन पिछले 10 सालों में जो नजारा मैंने कांग्रेस का देखा, उससे तो मेरा सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। आप देख रहे हैं, एक मुख्य मंत्री को पकड़ा, गैट आउट। दूसरे को बैठाया, तीसरे को बैठाया। आज यह विधान सभा और खास तौर पर विपक्ष की जो बैंच हैं ये भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों का कबाड़खाना बना दी गयी हैं। यह हालत हो गयी है। पिछले 10 साल में इस प्रकार का जो अस्थिरता का माहौल पैदा किया गया, उसका नतीजा यह हुआ, सभापति महोदया, कि न यहां की अर्थ-व्यवस्था की इन्होंने परवाह की और न

+++ शब्द/माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)
यहां कोई जनकल्याण के काम करने की तरफ कोई ध्यान दिया गया। राज कोष का निर्द्वन्द्व, अनाप-शनाप दुरुपयोग किया गया। पहाड़ियाजी, चौथे रत्न, मौजूद नहीं हैं यहां। मुझे याद है, 1981 में उन्होंने अपना अभिभाषण पढ़ा था। अभिभाषण पढ़ते टाइम उन्होंने कहा था कि हमें बिल्कुल जर्जर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। लेकिन आगे पन्ने पर वह पढ़ते हैं, वह पढ़कर मैं समय जाया नहीं करना चाहता। नहीं पढ़ता, कि हमने ग्रोथ रेट बढ़ाई है, हमारी प्रगति बढ़ी है। पिछले राज की तारीफ भी उन्होंने की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहां के मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत को कि 4 तारीख को उन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री की....

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रिमण्डल में नम्बर निश्चित है।

श्री यदुनाथ सिंह : +++

श्री चन्दनमल बैद : आप तो रिजर्वेशन करा दो।

श्री यदुनाथ सिंह : इनका नाम भैरोंसिंहजी है, जानते नहीं हो? (व्यवधान) देख भइया, पता नहीं कितनों की एड़ियां घिस जायेंगी। देखे जाओ।

श्री चन्दनमल बैद : आपका जनता दल का कोटा पूरा होना है।

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, जो राजस्थान की स्थिति बनी पिछले 10 सालों में, वह स्थिति अस्थिरता के कारण बनी। केन्द्र से जो भी हमारा लेनदेन होता, उसमें हमारे साथ कोताही इसलिए बरती गयी कि वहां हम बराबरी की हैसियत से अपना पक्ष रखने में सक्षम नहीं थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नये सदन के नेता, मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत को, कि 4 तारीख को उन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। 14 तारीख को मंत्रिमण्डल का विस्तार हुआ, 15 तारीख को विधान सभा का सत्र आया और 16 तारीख को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। मुझे खुशी है और गर्व है यह कहते हुए, मैं पिछले 10 सालों से लगातार राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुनता आ रहा हूं। पिछले अभिभाषणों में किसी में कोई संकल्प नहीं था, कोई उनमें दृढ़ विश्वास नहीं था, कुछ करने की इच्छाशक्ति नहीं थी, लेकिन इस अभिभाषण को अगर आप पढ़ेंगे तो पायेंगे कि इसमें नई इच्छाशक्ति है, नई पोलिटिकल विल है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। इसके लिए तो मैं भैरोंसिंह शेखावत को और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : अब तो कुछ ख्याल करो भाई। एक पैराग्राफ में चार बार तारीफ।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं इनके कहने से बनने वाला भी नहीं हूं, नम्बर कट जायेगा।

श्री डूंगरराम पंवार : बहुत पुराने कारीगर हैं।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, कुछ दिन पहले, 3–4 दिन पहले केन्द्र की आर्थिक समीक्षा छपी और कल आपने बजट भी देखा। बजट की बारीकियों में न जाते हुए मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो बजट आया है वह राष्ट्रीय मोर्चा और विपक्ष के लोग जिन वायदों को लेकर चुनाव के लिए जनता के बीच में गये थे उन वायदों को पूरा करने की ओर एक ठोस और बहुत हिम्मत वाला कदम मानता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि राजस्थान का जो बजट आयेगा वह बजट भी इसी प्रकार क्रान्तिकारी होगा और जनता ने जो मैण्डेट दिया है उसके अनुरूप होगा।

सभापति महोदया, ऐसी स्थिति में हमको राजस्थान की अर्थव्यवस्था मिली, उसका विवेचन करके मैं पक्षपाती नहीं बनना चाहता। राजस्थान में कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने आपस में क्या विश्लेषण राजस्थान की अर्थव्यवस्था का किया उसका मैं थोड़ासा नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यानी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे, श्री हरिदेव जोशी क्या सोचते थे, श्री शिव चरण माथुर क्या सोचते थे और केन्द्र में बैठे बहुत शक्तिशाली, नम्बर दो श्री बूटा सिंह राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोचते थे। पिछले दो मुख्य मंत्रियों को खास तौर पर पुस्तिका छपवाने का बड़ा भारी शौक था। ढेरों पुस्तिकाएं मैंने निकालकर रखीं, मैंने कहा, 3–4 ही ले चलो, बहुत हैं नजीर देने के लिए।

सभापति महोदया, जब श्री जोशी साहब, माथुर साहब को हटाने में कामयाब हो गये, कामयाब होते ही उन्होंने क्या किया कि कहीं फिर से न आ जायं, क्योंकि अदला-बदली आपस में बहुत जल्दी होती है कांग्रेस में। उन्होंने सटासट इनको बदनाम करने के लिए एक पुस्तिका छपवायी, "अवर अम्बल एफर्ट्स"। इसको आप पढ़िये। सफाई आप दोनों आपस में ही देना, मेरे से मत कहना, आपका ही है यह। आप कहते हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : यह राज्यपाल का अभिभाषण है क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह : एप्रोप्रिएशन में आप क्या करतब कर गये हैं :—

"Even in the case of newly added or enlarged centrally sponsored schemes during the VIth Plan period particularly related to the anti-poverty programmes, the Government of India pointed out that the expenditure in Rajasthan was less than the outlay provided by them in the following manner :

1. Under NREP against a provision of Rs. 110·88 crores in the VIth Plan, the expenditure was only Rs. 85.62 crores.
2. In case of RLEGP against a provision of Rs. 14.40 crores, utilization was Rs. 12.20 crores.
3. In DPAP against a provision of Rs. 34.90 crores, the utilization was only 31.57 crores.

(श्री यदुनाथ सिंह)

4. In case of DPP against a provision of Rs 67.10 crores, the expenditure was 45.3 crores.

"Since figures given by the Government of India included the unutilized share of the State Government also, the actual loss of central assistance to the State Government under the NREP, RLEGP DPAP and DPP during the VIth Flan was Rs. 31 9 crores instead of Rs. 54 57 crores assessed by Government of India for these schemes.

"Thus, taking all the sectors and schemes together during VIth Plan period, the total loss to the State Government under the centrally sponsored schemes was about Rs. 100 crores."

यानी 100 करोड़ रुपये का माथुर साहब ने कबाड़ा कर दिया राजस्थान का। 100 करोड़ रुपये छोटी रकम नहीं होती, लेकिन माथुर साहब ने कहा, अभी मौका नहीं चूकना चाहिये, इनकी कैसे हिम्मत हुई। इन्होंने 1952 से हिसाब देने का काम शुरू कर दिया कि 1952 से क्या स्थिति रही है। मैं ज्यादा पढ़कर सदन का समय जाया नहीं करना चाहता। यह कहते हैं, "उपरोक्त कथित प्रकाशन में छद्म तरीकों द्वारा यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि मार्च, 1980 से फरवरी, 1985 तक मेरे तथा पहाड़ियाजी के नेतृत्व वाली सरकार ने छठी योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की सहायता राशि को लैप्स हो जाने दिया। फीगर्स के बारे में बात तो बहुत करते हैं। आगे कहते हैं कि अब तक के आधार के अनुसार सातवीं योजना में कम से कम 4500 करोड़ की होनी चाहिये थी। वास्तविकता यह है कि मैंने 1984 में भारत सरकार को आवश्यकता के आधार पर आधारित 6569 करोड़ की योजना का प्रस्ताव रखा था जो योजना आयोग के कार्यकारी दल के द्वारा छानबीन के पश्चात् 4970 करोड़ रुपये की कर दी गई थी। 1599 करोड़ की कटौती के साथ 3000 करोड़ रुपये की योजना पर हमारे मुख्यमन्त्री प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और उसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। 2000 करोड़ रुपये की राशि से राज्य को नयी उपलब्धि नहीं हो सकती तो यह फिर इस योजना से ही पिछले अधूरे कार्य पूरा कर सकेंगे। और बहुत-सी बातें लिखी हैं।

सभापति महोदया, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय मंत्री बूटासिंह जी का पत्र भी है, आप चाहें तो सदन की मेज पर रखें .... (व्यवधान) सभापति महोदया, जैसा कि मैंने शुरू में कहा....

श्री प्रद्युम्न सिंह : पत्र कहां से लाये ?

श्री यदुनाथ सिंह : दोनों बांटते फिर रहे थे आपस में। सभापति महोदया, मैं एक बात का धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा। उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करने का दृढ़ संकल्प किया है

(श्री यदुनाथ सिंह)

और लोकायुक्त के परव्यू में मुख्यमंत्री को लाने का काम किया है। उसके लिए वे बधाई के पात्र है। मुख्य मन्त्रीजी आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है और विश्वास है और आपकी परीक्षा की घड़ी भी है कि आप जब यहां बैठते थे तो खास तौर पर भ्रष्टाचार के मामलों में बहुत बड़ी बुलन्दी से सरकार से मांग किया करते थे। जयपुर में करोड़ों-अरबों रुपयों की जमीन लोग खा गये और खाते चले जा रहे हैं। अब आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप वहां बैठकर उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं या नहीं करते हैं। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : 1977 में नाक से निकालने का कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो निकाल दिया था अब आये हैं।

श्री चन्दनमल बैद : 1980 में आ गया था आप भूल रहे हैं जरा।

श्री यदुनाथ सिंह : 24 घण्टे की इजाजत दे देना, यह नहीं कि 24 घण्टे में छुट्टी कर दें। 24 घण्टे में मत करना।

तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं किसी पर लांछन लगाकर सदन का समय जाया नहीं करना चाहता कि ऐसे मामलों में आप कठोर रुख अपनाने का काम करेंगे।

सभापति महोदया, हम और आप सब जानते हैं कि राजस्थान एक बहुत कठिन प्रदेश है। लगातार यहां अकाल चले आ रहे हैं, पीढ़ियों से अकाल चले आ रहे हैं। और आजादी के बाद हमने कल्पना की थी, आशा की थी कि राजस्थान में अकाल का कोई स्थायी हल ढूंढा जायेगा। बड़ी-बड़ी धनराशि केन्द्र से और राज्य से खर्च की जाती रही है लेकिन अकाल का कोई स्थायी निदान हमारे सामने नजर नहीं आया। मुझे विश्वास है कि जो केन्द्रीय सरकार का बजट आया है उसमें सूखा सम्भाव्य क्षेत्रों में रोजगार गारण्टी के जो कार्यक्रम हैं उनसे राजस्थान पूरी तरह लाभान्वित होगा और भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के लिये ज्यादा से ज्यादा सहायता लाने का प्रयास करेंगे।

जब हम अकाल के बारे में चर्चा करते हैं, सभापति महोदया, तो हमें ध्यान करना पड़ता है कि इसके वास्तविक कारण क्या हैं? जैसा मैंने शुरू में कहा कि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, कठिन प्रदेश है, दूसरे नम्बर का इसका क्षेत्रफल है हिन्दुस्तान में, 5 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, पानी सोर्सेज नहीं हैं, जो कुल इण्टरनल रिसोर्सेज का पानी है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में राजस्थान का कैसे भला किया जाय, इस ओर विचार करने की आवश्यकता हमें है। मुझे कहते हुये दुख है सभापति महोदया, कि पिछले 10 सालों में जो कुछ खिलवाड़ करते कांग्रेस सरकार को देखा पानी के मामले में उससे राजस्थान का बहुत बड़ा अहित हो चुका है। आपको याद होगा, सभापति महोदया, इस सदन में बीसियों-तीसियों बार अकाल पर चर्चायें होती रहीं, अकाल के कारणों पर चर्चायें होती रहीं लेकिन वह लगातार चलता रहा, उसका स्थायी समाधान नहीं

(श्री यदुनाथ सिंह)

हुआ। सभापति महोदया, इसका कारण हमारे यहां पानी की कमी, पानी का प्रापर यूटिलाइजेशन नहीं होना, पानी के हम जो स्थायी पोटेन्शियल क्रियेट करते हैं उनका उपयोग नहीं होना, बरसाती पानी का व्यर्थ बहकर निकल जाना, यह सारे कारण हैं। इन कारणों से राजस्थान में अकाल का स्थायी समाधान नहीं हुआ।

सभापति महोदया, जैसा मैंने शुरू में कहा कि राजस्थान के पूरे जो 14 बेसिन हैं उन बेसिनों में 15·86 मिलियन एकड़ फीट पानी है, जिसमें से 4·71 मिलियन एकड़ फीट पानी उपयोग किया जा चुका है और जो आन गोइंग स्कीम्स हैं उससे 3·48 मिलियन एकड़ फीट पानी उपयोग किया जायेगा। जो प्रपोज्ड वर्क्स है उससे 4·65 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग किया जायेगा यानी कुल 15·86 मिलियन एकड़ फीट में से 12·81 का उपयोग किया जायेगा। लेकिन फिर भी पानी बचता है जिसके लिए राजस्थान में आज तक कोई योजना नहीं बनी। 3.05 मिलियन एकड़ फीट बरसात का पानी है उस पानी के लिए योजना बनाने का काम राज्य सरकार अपने हाथ में ले। मुझे खुशी है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि पानी के उपयोग के लिए इन्टीग्रेटेड मास्टर प्लान्स प्रोग्राम में काम किया जायेगा।

सभापति महोदया, आज हमारे यहां जो जमीन दिख रही है, हमारे यहाँ जो भी सिंचाई हो रही है उसकी अधिकांश सिंचाई कुओं से हो रही है। कुओं से हम सिंचाई करते हैं। नहरें नहीं हैं। हमारे साथ भगवान का यह दुराभाव समझ लीजिये या कुछ भी समझ लीजिये कि हमारे यहाँ अपनी नदियां नहीं हैं। बरसाती पानी हैं। जमीन के अन्दर हमारा जो भी पानी है उस पानी का हमें उपयोग करना होगा वैज्ञानिक तरीके से। मुझे यह भी राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने ऐसे कुओं पर जहां कुएं किसान बनाता है इंशोरेन्स करने का काम किया है। किसान पानी निकालने का काम करता है, कुआं खुदवाता है × × × लेकिन उसको पता नहीं। हम सर्वे करके दें नहीं, हम दिशा निर्देश दें नहीं कि कहां कुआ खोदना है, कहां कुआ नहीं खोदना है। ऐसे किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत देने का काम सरकार ने किया है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस ओर अंकित किया है, मैं राज्यपाल महोदय का विशेष तौर से बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदया, राजस्थान में जो अंडर ग्राउण्ड वाटर की स्थिति है वहां बहुत सम्भावना हमारे पास मौजूद है। राजस्थान में 1984 में अण्डर ग्राउण्ड वाटर का जो रफ एस्टिमेट लगाया गया था उसके अनुसार 11.57 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान की जमीन में मौजूद है। जिसमें से 3.967 मिलियन एकड़ फीट पानी एक्सटेन्शन किया जा चुका है और बाकी 7.6064 मिलियन एकड़ फीट पानी अभी भी राजस्थान में बचता है जिसका उपयोग किया जाना है। सभापति महोदया, जो जमीन के अन्दर पानी है उस पानी का उपयोग किये जाने के लिए योजना बनानी

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथ सिंह)

है। उसके लिये मैं राज्य सरकार से विशेष आशा और उम्मीद रखता हूं। लेकिन यह पानी उपयोग हम कर भी लें, इण्टरनल वाटर का उपयोग कर भी लें, जमीन के पानी का उपयोग कर भी लें तो भी राजस्थान में 27 मिलियन हैक्टेयर जमीन बचती है जहाँ खेती की जा सकती है। उस पानी के उपयोग करने के बाद हम राजस्थान कैनाल के पानी का उपयोग कर लें, माही के पानी का उपयोग भी कर लें, चम्बल के पानी का भी उपयोग कर लें तो 6 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई कर पायेंगे। इसलिये जो भी अन्तर्राज्यीय मामले हैं, जो अन्तर्राज्यीय नदियों से हमें पानी मिल सकता है, बिजली मिल सकती है उसके लिये तो मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप विशेष ध्यान देकर दूसरे राज्यों से हमारे जो हक हैं उन हकों को दिलाने का काम करेंगे। आपको ध्यान है, यह सदन गवाह है कि 31 सितम्बर, 1981 को माननीय माथुर साहब ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया है। यानी जो 1955 में रावी-व्यास का पानी हमें निश्चित किया गया था, इस मात्रा में मिलने का काम, आगे उस समझौते के साथ छेड़-छाड़ करने का काम इन्दिरा गांधी ने किया और माथुर साहब दिल्ली जाकर उस पर दस्तखत कर आये। 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी अगर उस दिन समझौते को छेड़ा नहीं जाता, पंजाब को देने का काम माथुर साहब नहीं कर आये होते तो इराडी कमीशन में भी हमें घसीटने का काम नहीं किया जा सकता था। लाखों रुपये बर्बाद हुये, राजस्थान में बेचैनी का माहौल बना रहा और 0.11 मिलियन एकड़ फीट ज्यादा पानी मिलने का जो काम हुआ उससे राजस्थान महरूम रह रहा है। माथुर साहब, जो बहुत बड़े समझौतों के शौकीन व्यक्ति थे फिर उन्होंने एक समझौता किया बिजली का 10 मई, 1984 को, जिससे बड़ा कुठाराघात राजस्थान के साथ किसी मुख्य मंत्री ने आज तक नहीं किया होगा। न सिर्फ बिजली लेकिन पानी के मामलों में भी राजस्थान के साथ जो कुठाराघात 10 मई, 1984 को माननीय माथुर साहब ने किया उसका थोड़ा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा।

भाखड़ा डेम से हमारे पानी का हिस्सा तय है। इतना राजस्थान का पानी उसमें है और पंजाब बिना राजस्थान से पूछे, बिना हरियाणा से पूछे, बिना केन्द्र सरकार से पूछे, बिना योजना आयोग से पूछे, बिना सी. ई. ए. से पूछे लगातार धड़ाधड़ योजनाओं का बराबर काम करता रहा है। आपको मालूम है इन्डस-ट्रीटी हुई उसका बेसिस यही था कि राजस्थान के रेगिस्तान में एरिड जोन को पानी देने का काम किया जावेगा। लेकिन उस भावना के साथ लगातार राजस्थान के नेतृत्व की कमी के कारण छेड़छाड़ किया जाता रहा। सभापति महोदया, पंजाब में रोपड़ थर्मल स्टेशन बिना किसी की मंजूरी के बना लिया गया। जब रोपड़ थर्मल स्टेशन बनकर तैयार हो गया तो सवाल यह आया कि इसके कूलिंग सिस्टम के लिये 600 क्यूसेक्स पानी कहाँ से दिया जाये, केन्द्र सरकार ने दबाव डाला माथुर साहब को दिल्ली बुलाया गया; दिल्ली पहुंचे।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : 20 क्यूसेक्स।

श्री यदुनाथ सिंह : 600 क्यूसेक्स। एग्रीमेंट तो आप 600 का कर आये, पढ़ा नहीं था क्या ?

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : यह आप क्या कहना चाहते हैं ? 10 मई, 1984 को एग्रीमेंट किया था उसके कौनसे क्लाज के बारे में आप को एतराज है ?

श्री यदुनाथ सिंह : किस क्लॉज की आपने पालना कर दी, आप एक क्लॉज बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : अब आप तो करेंगे, आप करवाइये।

श्री यदुनाथ सिंह : फँसा आप जाओ। हम तो समझौते को सरासर रद्द करवाने की कार्यवाही करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीमेंट में स्टेट के हित में कम्प्रोमाइज कहां किया, बताइये आप ? इस एग्रीमेंट में कौनसा क्लॉज है जो राजस्थान स्टेट के अगेंस्ट में है आप यह बताइये।

श्री यदुनाथ सिंह : जरा सुनिये साहब। पहला क्लॉज ही है। "600 cusecs of water will be supplied from the Nangal Hydel Channel to cater to the open cooling cycle system already installed for Stage–I by the Ropar Thermal Power Station."

श्री परसराम मदेरणा : That is out of the share of Punjab State.

श्री यदुनाथ सिंह : Listen to me. May be out of this.

श्री परसराम मदेरणा : नीचे क्लॉज देखिये आप, पंजाब के शेयर में से है।

श्री यदुनाथ सिंह : पंजाब के शेयर में, हमारे शेयर तो ले रहा है वह आज। कूलिंग सिस्टम के अन्दर जो पानी दिया गया है वह पंजाब के हिस्से का है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में डायलाग नहीं बोलें।

श्री यदुनाथ सिंह : यह बोल रहे हैं तो बोलने दो, डर नहीं रहा हूं। सबसे पहला एतराज तो मेरा यही है, सभापति महोदया, कि नांगल पौंड में जब हमारा हिस्सा है, नांगल हाइडल चैनल में हमारा हिस्सा है साढ़े बारह सौ क्यूसेक्स। उसमें से कोई पानी लिया जाता है और उस पानी से कोई भी बेनेफिट होता है उसमें हम हिस्सेदार होंगे। अगर कूलिंग सिस्टम के लिये नांगल हाइडल चेनल से और नांगल पौण्ड से पानी नहीं आयेगा तो क्या वह पावर स्टेशन काम कर सकता है ? इसलिये नांगल हाइडल चेनल के पानी का अगर उपयोग करेंगे, उस पानी का उपयोग करने से पूर्व थर्मल काम नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हमें थर्मल में हमारी हिस्सेदारी मांगनी चाहिए थी क्योंकि वह थर्मल तभी काम कर सकता है जब उसमें पानी मिल सकता है।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदया, आप शायद सदन को गुमराह कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट में पूरे क्लॉज को आप देखेंगे, आपको जवाब दूंगा, मैं बोलूंगा तब। सवाल यह है कि जो पावर स्टेशन पहले बन गये थे, आनन्दपुर साहिब और मुकेरिया, उसके लिये हमने पहली बार एतराज किया कि पंजाब ने बिना राजस्थान की इजाजत के हमारे पानी पर यह पावर हाउस बना लिया, इसलिये हम एतराज करते हैं और इस एग्रीमेंट में उनके बारे में जिक्र किया गया है। आप पूरा एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। इसकी डीटेल जब मैं बोलूंगा तो बता दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी (नेता प्रतिपक्ष) : इनको शिकायत यह है कि उसमें से बिजली निकाल ली गयी।

श्री शिवचरण माथुर : पहली बार पंजाब में हमारे पानी के ऊपर पावर हाउस बना लिया। उसमें हमारा हिस्सा नहीं रखा गया, उस पर एतराज किया गया।

श्री यदुनाथ सिंह : पंजाब के एग्रीमेंट के बाद लज्जा आनी चाहिए। दो-दो मुख्यमंत्री रह लिये हैं। पंजाब इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ने एडवरटाईजमेंट निकाल लिया कि इनको कमीशन कर रहे हैं। पंजाब इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ने बता दिया और आप सोते रहे, क्या बात कर रहे हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : ऐसे एग्रीमेंट का क्या मतलब, जिसकी पालना राजस्थान के हित में नहीं करा पाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एग्रीमेंट जब हुआ, क्या उसके पहले आनन्दपुर साहिब और मुकेरिया इन दोनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया था ?

श्री शिवचरण माथुर : बिल्कुल। मुकेरिया बन चुका था। मैं उस समय पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी का चेयरमैन था। हम लोग खुद मुकेरिया पर गये थे। पुष्पा जैन सदस्या थीं। हमने एतराज किया था। मुकेरिया बन चुका था। आनन्दपुर साहिब की नींव खुद चुकी थी। काफी बड़े पैमाने पर काम चल चुका था, हमने एतराज किया कि हमारे पानी में से होकर पावर हाउस क्यों बनाया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने एज चेयरमैन एतराज किया। मैं उस समय की सरकार को पूछना चाहता हूं कि सरकार ने एतराज क्यों नहीं किया ?

श्री शिवचरण माथुर : सरकार की तरफ से एतराज किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने एज चेयरमैन एतराज किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस समय निर्माण कार्य शुरू हुआ उस समय एतराज क्यों नहीं किया ?

श्री शिवचरण माथुर : एतराज किया है, आप रेकार्ड देख लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं किया है, फिर यह क्यों कहते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, होना तो यह चाहिए था कि माथुर साहब, इस सदन में क्षमा मांगते राजस्थान से (व्यवधान) जो गलती हो गई।

श्री शिवचरण माथुर : हमने कोई भी काम राजस्थान के हितों के खिलाफ नहीं किया, क्यों क्षमा मांगे ? हमने राजस्थान के हितों को सुरक्षित रखने के लिये काम किया। उस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप 0·6 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब को यूज करने के लिए दे आओ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं बताऊंगा आपको।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पंजाब की कुछ और निर्माण पंजाब कर रहा है कुछ। राजस्थान सरकार बैठी है एग्रीमेंट पर। एग्रीमेंट के दूसरे क्लॉज में कहा गया है कि पंजाब कूलिंग सिस्टम को ओपन कूलिंग सिस्टम से क्लॉज कूलिंग सिस्टम में परिवर्तित करेंगे ताकि कम पानी का उपयोग हो लेकिन उस ओर कोई कदम बढ़ाया नहीं गया। पंजाब हमारी सुनता नहीं। जो राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है वह तीसरा है। "Punjab will further take expenditious steps to complete restoration of Bhakra Main Line to its designed capacity of 12,500 cusecs not later than 31st May, 1985," बन गयी क्या भाखड़ा में लाइन ? नोहर-भादरा को पानी मिल रहा है क्या ? यह चालू हो गई ?

"The shares of Rajasthan and Haryana of the funds required for the restoration work of BML will be placed at the disposal of Punjab by the respective State Governments as needed from time to time " इतना ही नहीं ' Estimates for the restoration of the capacity of Bhakra Main Line have been furnished by Punjab to Haryana, Rajasthan, B.B.M.B. and C.W.C. These estimates will be finalised by the CWC within a period of two months." दो महीने हुये 10 जुलाई, 1984 को। "Taking into account the comments of the 3 States and BBMB the decisions of the CWC in this regard shall be final and binding."

"Pending finalisation of the estimates of CWC, Punjab will start the work of restoration for which funds will be made available by the three States" अगर पैण्डिग भी रहता है फाइनलाइजेशन तो भी भाखड़ा मेन लाइन का काम बन्द नहीं किया जायेगा, काम चालू किया जायेगा। हुआ क्या चालू ? "On restoration of Bhakra Main Line to its designed capacity, or May, 1985, whichever is earlier, any drawal of the cooling water as determined by the BBMB from Nangal Hydel Channel by Punjab will be out of Punjab's share in Bhakra Main Line." जब तक भाखड़ा मेन लाइन की

(श्री यदुनाथ सिंह)

रिपेयर नहीं करेंगे तो हमारे हिस्से का वहां का पानी ले रहे हैं या पंजाब के हिस्से का पानी ले रहे हैं ? इसलिए हमारे साथ कुठाराघात किया गया, उसकी रिपेयर यह सरकार करेगी, मुझे आशा है। रिव्यू का तो सवाल ही नहीं है। करेगा ही कौन, लेकिन जो कुठाराघात सैकेण्ड पार्ट में राजस्थान के साथ हुआ उस पर नई सरकार को गम्भीर चिन्तन करना है और केन्द्रीय सरकार के सामने मुस्तैदी से केस को रखने की आवश्यकता है। नांगल डेम बना, भाखड़ा में राजस्थान की हिस्सेदारी तय हुई तो प्रिंसिपल यह तय हो गया कि इतना-इतना हिस्सा अमुक-अमुक स्टेट का पानी में होगा और पानी से जो भी लाभ प्राप्त होंगे उन सभी में उनका हिस्सा होगा। और इसी आधार पर कोटला और गंगवाल दोनों हाइडल पावर स्टेशनों में राजस्थान की हिस्सेदारी है....

श्री रामसिंह विश्नोई : भरी पड़ी है।

श्री यदुनाथ सिंह : कहां भरी पड़ी है। फाइल इतनी ऊंची कर दी जाकर के बात हीं नहीं की। सभापति महोदया, दूसरे पार्ट में हमारे साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है .... (व्यवधान) समझ में नहीं आ रहा आपको....

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मन्त्रीजी चले गये हैं, दूसरे वक्त बोलें।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, मुझे खेद है कि एग्रीमेंट की पालना नहीं कराने से पानी का जो नुकसान हुआ है वह मैंने बताया। बिजली का कितना बड़ा नुकसान राजस्थान को हुआ—

"In view of the claims raised by the Haryana & Rajasthan to sharing of power in Anandsahib Hydel Project, Mukerian Hydel Project, Thein Dam Project, UB DC Stage–II and Shahpur Kandi Hydel Scheme, it is hereby agreed that the Government of India shall refer the matter to the Supreme Court for its opinion".

आज तक ओपीनियन के लिये इतने साल में यह केन्द्र सरकार से बात नहीं कर पाये कि रैफर किया जाये—

"The Supreme Court's opinion obtained by the Government of India shall be remitted to the signatory States and shall be binding on them. The terms of reference to the Supreme Court shall be as under :

(a) Are the States of Haryana and Rajasthan entitled to a share in the power generated in Anandpur Sahib Hydel Project, Mukerian Hydel Project, Thein Dam Project, UB DC Stage–II and Shahpur Kandi Hydel Scheme ; and",

यानि माथुर साहब ने हमारे जिस पानी में, पानी के लाभ-हानि में हमारी जो भागीदारी थी उसमें प्रश्न चिन्ह लगाने का काम

(श्री यदुनाथ सिंह)

किया, उसमें कोई शंका की बात नहीं होनी चाहिये कि इसमें हमारी हिस्सेदारी बहुत पहले तय हो चुकी थी।

(b) "If they are, what would be the share of each State ?"

पहले तो क्वेश्चन मार्क लगवा दिया—

"In case no opinion on the above terms is expressed by the Supreme Court for any reason, the parties agree to jointly make a submission to the Supreme Court for refering the dispute to a sitting Judge of that Court whose award shall be binding on them as well as BBMB.

In case no opinion on the above terms of reference is forthcoming from the Supreme Court and no reference of the dispute is made by the Supreme Court to a Judge of that Court as mentioned in (ii) above, it is hereby further agreed that the Government of India shall refer the matter to a Judge of the Supreme Court to be nominated by it."

यानि स्टेप बाई स्टेप जितनी सारी यूनिट्स गई और मुझे कहते हुए दुख है और जो पांचवां क्लॉज था—

"Pending receipt of the opinion of the Supreme Court/decision of the Judge, the Government of India will give due consideration to the request of Haryana and Rajasthan for making available additional power from central unallocated share in the Central generating stations." राजस्थान को एक मेगावाट बिजली जब तक यह फैसला पेन्डिंग है तब तक लेने का काम राजस्थान सरकार नहीं कर पाई....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, सिंगरोली से पावर ले रहे हैं वह कैसे ले रहे हैं आप ?

श्री यदुनाथ सिंह : सिंगरोली में हमारी हिस्सेदारी है....

श्री परसराम मदेरणा : कौनसी हिस्सेदारी है ?

श्री यदुनाथ सिंह : क्यों नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : सिंगरोली सैण्ट्रली जनरेटिंग पावर स्टेशन है और वह आपको दे रहे हैं वह इसीलिए दे रहे हैं....

श्री यदुनाथ सिंह : इसलिए नहीं दे रहे हैं....कन्फ्यूज मत करें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो बात आप कह रहे हैं कि सिंगरोली में कौनसा हिस्सा है, यह बात माथुर साहब से कहलवा दीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : यह कह देंगे इनका भरोसा मत करो।

श्री शिवचरण माथुर : सिंगरौली में जो हमारा हिस्सा है, उससे ज्यादा हिस्सा हम ले रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और वह हिस्सा ही नहीं बता रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : उसमें से राजस्थान को मिल रहा है। सिंगरोली में अनयुटीलाइज्ड पावर का जो शेयर है, जो क्लाज 5 में लिखा है उसके तहत मिल रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कह रहे हैं सिंगरोली में हिस्सा ही नहीं है। वह तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं....

श्री शिवचरण माथुर : यह तो एक फार्मूला है। नार्दन इण्डिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको अपना-अपना हिस्सा मिलेगा लेकिन जो अनयुटीलाइज्ड पावर है उसमें से राजस्थान को मिला है आप देख लीजिये। वह जो क्लाज 5 है उसके तहत मिल रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, मैं जिक्र कर रहा था इसी सदन में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जवाब आया, 1981 के समझौते की बात कर रहे थे माथुर साहब, इसमें कहा गया है कि राजस्थान का फिलहाल भाग 8·63 मिलियन एकड़ फीट के स्थान पर 8 मिलियन एकड़ फीट किया गया जिसके फलस्वरूप राजस्थान का फिलहाल का हिस्सा 52·69 प्रतिशत से घटकर 49 प्रतिशत रह जाता है। राजस्थान के पानी के साथ कुठाराघात किया कि नहीं किया? इसलिए अब सभापति महोदया, न तो इस सरकार ने जैसा मैंने कहा, याचक के रूप में दिल्ली जाते थे....

श्री शिवचरण माथुर : इसका यह मतलब नहीं है। .6 मिलियन एकड़ जो बढ़ा वह 15 साल की ओवरफ्लो सीरीज के हिसाब से बढ़ाया गया था और 25 साल के पहले जो ओवरफ्लो सीरीज थी 40 साल की ओवरफ्लो सीरीज को एकाउण्ट फार करके राजस्थान का जो शेयर आता है वह एकाउण्ट फार किया है 8 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा है....

श्री यदुनाथ सिंह : यह अहसान किया है क्या?

श्री शिवचरण माथुर : अहसान कोई नहीं करता लेकिन राजस्थान का हिस्सा मिला है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पोजीशन यह नहीं है। .06 जो मिल रहा है आपने पंजाब को यूटीलाइज करने के लिए अधिकृत कर दिया है। अधिकृत करने से अपना पर्सेण्टेज गिर गया। यह आपने भी माना है, पंजाब सरकार ने भी माना है और भारत सरकार ने भी माना है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : ·06 नहीं, ·6 है।

श्री हीरालाल देवपुरा : For the time being. It is not permanent.

श्री शिवचरण माथुर : जब तक हम उस पानी को यूटीलाइज नहीं करते, पाकिस्तान को पानी जा रहा था और आज भी

(श्री शिवचरण माथुर)

जा रहा है उस पानी को पाकिस्तान जाने देने के बजाय जब तक हमारी कैपेसिटी डवलप नहीं होती है तब तक पंजाब को टेम्परेरी दिया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंजाब को दिया इसीलिये पर्सेन्टेज कम हुआ।

श्री यदुनाथ सिंह : पंजाब डवलप कर लेगा तो पानी ले लेंगे ? हैडवर्क्स तो ले नहीं पाये इतने दिनों से।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य-मंत्रीजी, वह ·06 जो पानी है वह राजस्थान जब तक राजस्थान पोटेंशियल क्रियेट नहीं कर लेता तब तक टेम्परेरीली उनको दिया है। जैसे ही राजस्थान में इरीगेशन का पोटेंशियल क्रियेट हो जायेगा वह राजस्थान यूटीलाइज करेगा। इसलिए 49 पर्सेन्ट के आंकड़े क्या करके मैं समझता हूं नदवई से आने वाले माननीय सदस्य हाउस को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गलती यह कर रहे हैं कि हाउस को सही जानकारी दे रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : यह माथुर साहब की सरकार ने गुमराह किया है फिर यही मुख्यमंत्री थे तब का जवाब है।

श्री शिवचरण माथुर : यह एक्रास दी टेबल बात कर लीजिये हम बता देंगे। यों आप बोलें, मैं जवाब दूं, यह बात समझ में नहीं आयेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : तब जवाब हम देंगे, बदल गई परिस्थितियां।

श्री शिवचरण माथुर : जिस भावना से आपने अध्यक्ष महोदय के चुनाव के वक्त में प्रारम्भिक वक्तव्य दिया, इस सम्बन्ध में उसी भावना से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें हमारा सबका इन्ट्रेस्ट है।

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान के हित में आपने भी सोचा, हमने भी सोचा, उसको राजस्थान के हित में हमने नहीं सोचा, यह बात कहकर राजस्थान के लोगों को कब तक गुमराह करते रहेंगे। यह तो प्रजातन्त्र की एक प्रक्रिया है। आज आप आये, कल हम आयेंगे फिर हम कहेंगे आपने काम छोड़ा, उसको हमें करना है, आपको करना चाहिये, ऐसी क्या बात है (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, आप गवाह हैं। मैं चिढ़ाने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं और मैं कोई यह नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान का बुरा करने के लिए आप वहां गये हो। आप घबराते थे इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी के सामने....

श्री हबीबुर्रहमान : जैसे आप लोग देवीलाल के सामने घबराते हो..(व्यवधान)

श्री सभापति : नो इण्टरप्शन, माननीय सदस्य। बीच में नहीं बोलेंगे। व्यवधान नहीं डालें। कृपया स्थान ग्रहण करें। यह नहीं होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, इस सदन में, मुझे याद है एक बार तो एक संकल्प लिया गया। मध्य प्रदेश, कैचमेंट

(श्री यदुनाथ सिंह)

एरिया में लगातार पानी को रोकने का काम करता चला जा रहा है और दस साल में कितना पानी रोका उसकी लड़ाई तो दूर रही, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री आते हैं, एक लाइन का एग्रीमेंट करते हैं जो नीचे का पानी है उसके ऊपर डवलपमेंट की स्कीम बनायेंगे यह कमजोरी है। ऊपर से रोकने की कोशिश नहीं की गई। पानी छोड़ेंगे तो क्या करोगे। इसलिए सभापति महोदया, जो भी अन्तर्राज्यीय मसले हैं, जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उसमें हमारे इन्टरनल वाटर रिसोर्सेज नहीं हैं। अकाल का स्थायी समाधान करना है तो हमें इनको लेना होगा। चाहे वह चम्बल का पानी हो या नर्मदा का पानी हो उसके लिये स्कीम को कारगर रूप देना होगा। चाहे वह सिद्धमुख कैनाल का काम हो या कोई और, उसको जल्दी से पूरा कराने के लिये कदम बढ़ाने होंगे। और इस सारे पानी का उपयोग करने के बाद जैसा मैंने कहा 6 मिलियन एकड़ जमीन की सिंचाई हम कर पायेंगे। इसलिये अब समय आ गया है। गंगा में से हमारा 14 मिलियन पानी लेकर धौलपुर, भरतपुर, अलवर, नागौर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर तक पानी पहुंचा कर उसको हरा-भरा करने की जो योजना है उस योजना को कार्यरूप दिया जाये। सभापति महोदय जो कुछ पानी हम गंगा, जमुना के पानी से लाये हैं उसको डवलप नहीं कर पाये, उसको गम्भीरता से नहीं लिया है। जमुना से हम दो डवलपमेंट कर सकते हैं एक भरतपुर फीडर और दूसरा ओखला, गुड़गांवा कैनाल। लेकिन आज स्थिति क्या है। इसकी ओर ध्यान नहीं देने के कारण, आज ओखला बैराज बन रहा है, 3210 क्यूसेक अतिरिक्त पानी वहां से मिलेगा लेकिन राजस्थान द्वारा अपनी हिस्सा पूंजी नहीं देने के कारण राजस्थान की हिस्सेदारी को उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने दिल्ली में बैठ कर बांट लिया है। इसलिए राजस्थान अपने हिस्से के लिए पहल करे। राजस्थान द्वारा चुकारा नहीं करने के कारण गुड़गांवा कैनाल में हरियाणा ने जगह-जगह पाइप लगा दिये हैं और उसकी कैपेसिटी 500 क्यूसेक की बजाय 100 क्यूसेक ही रह गयी है। यही हाल भरतपुर फीडर का है। आज यदि उसमें 100 क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाय तो वह तहस-नहस हो जायेगी। यह कोई बड़ी योजना नहीं है लेकिन बड़ी योजनाओं में गिनती जरूर है। 1966 में शुरू हुई और 1967 में बन्द हो गई। मुझे खुशी है और बधाई देता हूं वर्तमान मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत को कि 1978 में उन्होंने इस योजना का काम प्रारम्भ किया परन्तु जब फिर कांग्रेस सरकार आई तो योजना ठप्प हो गई। अगर हम ऐसी नहरों का डवलपमेंट नहीं करेंगे जिनसे दूसरे राज्यों से पानी लाने का सवाल है, तो हम मुस्तैदी से हकदार नहीं होंगे। इसलिए जो डवलपमेंट करना आवश्यक है, खास तौर से गंगा जमुना के पानी का, वह करें। लगातार मीटिंग्स टलती जा रही है। हमें बड़ी मुस्तैदी से इस पानी को लाने का कार्य करना चाहिये। सभापति महोदया, बहुत बातें हैं, राजस्थान में बहुत समस्याएं हैं। मैं नये मुख्यमंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बजाये यह कहने के कि इतनी किलोमीटर सड़कें बना दी, इतने अस्पताल खोल दिये, इतनी किलोमीटर नहरें बना दी

(श्री यदुनाथ सिंह)

इसके बजाय आप एक-दो वर्ष कन्सोलिडेट करें कि स्कूलों में अध्यापक पहुंचे, ब्लॉक बोर्ड पहुंचें, वहाँ बिल्डिंग्स की व्यवस्था हो, अस्पताल में दवाइयां पहुंचें, डॉक्टर, नर्स पहुंचें, जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी मरम्मत की व्यवस्था हो। इस प्रकार से कन्सोलिडेशन का काम करके हम राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं और ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि इतने कम समय में राज्यपाल महोदय ने हमारे बीच में जो अभिभाषण दिया उसका यह सदन ध्वनि मत से स्वागत करता है। नई सरकार से जो अपेक्षा है, जन आकांक्षा का जो मेण्डेट, जो वायदे जनता से कर के आये हैं उनको पूरा करने के कदम बढ़ाने का यह सरकार काम करेगी यह मेरी आशा है। यह मुझे उम्मीद है। जिस प्रकार का विपक्ष इस सदन में बैठा है वह गौरव की बात है। सब राज्य का हित सोचने वाले हैं, राज्य के गौरव को बढ़ाने वाले हैं और इनका राजस्थान के विकास में सतत योगदान रहा है। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के अन्तिम पैराग्राफ में एक बात कही है "सब एक कुटुम्ब की तरह राजस्थान को विकास की ओर, आगे ले जाने का काम करेंगे।" मैं सदन से आशा करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने का काम किया जाये।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल। समर्थन करेंगे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय सभापति, मैं उक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शब्द प्रयोग किया है "राजनैतिक इच्छा शक्ति।" राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव में न तो कोई योजना सफल हो सकती है और न ही प्रदेश प्रगति कर सकता है। हमने इस राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव में कितनी प्रगति की है उसका उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। 1970-71 में राजस्थान छठे स्थान पर था और आज दसवें स्थान पर है। कांग्रेसी शासन में अधोगति की ओर प्रगति हुई है। इसका कारण है राजनैतिक इच्छा शक्ति का घोर अभाव। मैं उन वर्षों की बात कर रहा हूं जब आप गद्दी पर थे। आप 1977-80 की बात सुनना चाहेंगे तो मैं उसको भी बताता हूं। सभापति महोदय, 1977-80 के बीच में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने एक वातावरण बनाया था कि प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, नाक में नकेल डालकर निकालूंगा। ऐसा उन्होंने कहा था परन्तु आप लोगों से पुरानी दोस्ती का लिहाज कर गये। वरना एक इम्प्रेशन आया था। मैंने इस सदन में यह आरोप लगाया था कि राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन भ्रष्टाचार का अड्डा है। गाड़ी नम्बर दिया था। आज भी राजस्थान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा पब्लिक सर्विस कमीशन है। तत्कालीन और वर्तमान मुख्यमंत्री ने इसको नोट किया था। वातावरण बना। जांच करने की कोशिश की, और परिस्थिति यह आई कि तत्कालीन चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। एक इम्प्रेशन आया कि हम स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं। राजस्थान के ईमानदार

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

आफिसरों की कद्र की । एक अफसर पी. डब्ल्यू. डी. में थे उनको चीफ इंजीनियर बनाया । जहाँ तक मुझे स्मरण है किसी अधिकारी को एक्सटेन्शन नहीं दिया गया । परन्तु श्री अड़ीअप्पा को, जो एक ईमानदार व्यक्ति थे, एक साल का एक्सटेन्शन दिया गया और फिर उनको पी. एस. सी. का चेयरमैन बनाया गया । श्री रामसिंहजी, जिनकी राजस्थान में ईमानदार व्यक्ति की छवि थी, उनको पी. एस. सी. में भेजा । यह इम्प्रेशन दिया कि हम पी. एस.सी. में ईमानदार व्यक्ति चाहते हैं ।आज क्या स्थिति है । पोलिटिकल अपाइण्टमेंट पी. एस. सी. में होते हैं । आप चाहते हैं कि हम कैसा प्रशासन चाहते हैं । ढाई साल के शासन काल में मंत्री मण्डल के किसी मंत्री पर शासन जाने के बाद भ्रष्टाचार का आरोप आप नहीं लगा सके इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है ।

माननीय सभापति महोदया, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने एक योजना चलाई थी, अन्त्योदय योजना । वह उसके जनक हैं । हमारे देश में नौ राज्यों ने उनका अनुकरण किया था और विदेशों में उसकी प्रशंसा हुई थी, उस पर लेख लिखे गये थे । पर चूंकि वह माननीय भैरोंसिंहजी ने चलाई है, कांग्रेस सरकार उस योजना को नहीं चलाना चाहती । एन. आर. ई. पी. के नाम से योजना चली । डी. आर. डी. ए. के नाम से चली । इसी इच्छा शक्ति के अभाव में दोनों में अन्तर है । आज अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति अपना धंधा चला रहे हैं, पेट भर रहे हैं । आज यही योजना जो कांग्रेस सरकार ने चलाई थी, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है । बैंक वाले, विकास अधिकारी बिना पैसा लिये हुए लोन मंजूर नहीं करते । क्या कारण है उस समय पैसा नहीं लेते थे और इस समय पैसा लेने लगे । यह एक इच्छा शक्ति का अभाव है । यदि राजनैतिक इच्छाशक्ति होती है तो गरीबों का लाभ हो सकता है । आज गरीबों को लाभ देने के नाम पर दाता और याचक की स्थिति बन गई है । आज अनुदान दिया जाता है तो सरकार समझती है कि हम तुमको दान दे रहे हैं और वह याचक बन कर ले रहे हैं । मुझे मालूम है जब अन्त्योदय योजना के डिस्कशन होते थे तब माननीय भैरोंसिंहजी ने मुझसे कहा था कि मेरी इच्छा यह है कि कोई भी अधिकारी गांवों में जायेगा तो सरपंच या पटेल के यहाँ नहीं जायेगा, वह पहले अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो गरीब लोग आये हैं, उनके घर पर हाजिरी देगा और उनकी कुशल-क्षेम पूछेगा और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है उसकी जानकारी लेगा । इससे उनका सम्मान बढ़ेगा । आज गरीब की आकांक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, उसकी आकांक्षाएं, उसका स्वाभिमान, उसका आत्म-सम्मान जगाने की जरूरत है तब वह योजनाओं का लाभ लेगा । अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत यह कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी । उनको सब जगह अन्त्योदय योजना के कार्ड पर एम्प्लायमेंट मिलने की बात हुई थी । आज गरीबों के नाम का, गरीबी उन्मूलन का एक ढोंग रचा जाता है और इसके पीछे यदि कोई उद्देश्य है तो वह यही है कि यह एक

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी है। गरीबों के उत्थान के लिये राजनैतिक इच्छा शक्ति चाहिये।

आज जो मेले लग रहे हैं वह भ्रष्टाचार के अड्डे बन रहे हैं। वही अधिकारी 77 से 80 तक थे लेकिन उस समय भ्रष्टाचार नहीं था। क्योंकि भ्रष्टाचार, सभापति महोदया, ऊपर से चलता है। भ्रष्टाचार के संबंध में ज्यादा बात करना इसलिये उचित नहीं है अब, क्योंकि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भ्रष्टाचार तो स्वयं स्वीकार कर लिया था कि सौ पैसे में से 85 पैसा तो भ्रष्टाचार में ही चला जाता है। लेकिन यह भ्रष्टाचार भी इच्छा शक्ति के कारण समाप्त हो सकता है। मैंने आज जब सुबह समाचार पत्र पढ़ा कि पी. डब्ल्यू. डी. के चीफ इंजीनियर को भ्रष्टाचार के आरोप में मुअत्तिल कर दिया गया, मन में प्रसन्नता हुई। चीफ इंजीनियर सस्पैण्ड होगा तो नीचे का जे. ई.एन. गड़बड़ी नहीं करेगा। इनका होसला देखिये, एक एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर का यह होसला है कि वह गवर्नमेंट की अनुमति के बिना, स्वीकृति के बिना एक करोड़ की सड़क बना रहा है। यह भ्रष्टाचार के कारण है। उसमें कौन-कौन शामिल थे, ठेकेदार कौन थे, यह बात तो अलग है लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक कहाँ-कहाँ तक पहुंचा था।

सभापति महोदया, इस इच्छा शक्ति के अभाव में किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक बड़ी अच्छी योजना आई, ओ. एफ. डी. ओन फार्म डवलपमेंट। जिसको कैचमेंट के नाम से भी जानते हैं। एक इतनी अच्छी योजना थी, किसानों के खेत सुधरेंगे, किसानों की उपज बढ़ेगी। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में किसान बरबाद हो गया। कैचमेंट के नाम पर किसानों पर तीन हजार रुपया प्रति एकड़ कर्जा नाम लिख लिया गया। आर. एल. डी. पी. में उसी योजना को 1500 रुपये प्रति हैक्टेयर में कर दिया। एक गाँव में एक्सपेरीमेंट किया, 1500 रुपये प्रति हैक्टेयर उसका खर्चा आया। जो सरकार अनुदान देती है और जो पहले कैचमेंट हुआ उसमें किसान के तीन हजार रुपये प्रति हैक्टेयर आया। इस प्रकार से यह फर्जी पैसा किसान के नाम कैचमेंट के नाम पर लिखा दिया। वरना किसान को बिना पैसे के कैचमेंट हो रहा है, यह आर. एल. डी. पी. ने सिद्ध करके बता दिया। आज कोटा के किसान के नाम 40 करोड़ रुपया कर्जा लिख दिया जो ब्याज देते-देते 80 करोड़ हो जायगा।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो फर्जी कर्जे किसान के नाम लिख दिये हैं उनको यदि वसूल करना है तो इन इंजीनियर्स से वसूल किया जाना चाहिये जिन्होंने यह गलत योजनाएं बनाई, इतने खर्चे के यह कार्यक्रम बनाये। वरना आज कोटा का किसान तबाह हो गया है। मैं कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह देखें गलती कहां हुई है, किसानों ने कर्जा कहां लिया है। किसान के नाम कर्जा क्यों लिखा गया है। यह एक फर्जी काम हुआ है क्योंकि सरकार में कोई एक्शन लेने वाला नहीं था।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

माननीय सभापति महोदया, सिंचाई योजनाएं चल रही हैं। बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाएं चल रही हैं। राजनैतिक दृष्टि से सिंचाई योजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं, पूरा होने का कोई नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरे यहाँ परबल लिफ्ट चल रही है, दस साल हो गये चलते-चलते, हनुमानजी की पूंछ हो गई है। वह कहीं कम्प्लीट होने का नाम नहीं ले रही है। गणेशगंज लिफ्ट है, 11 साल से चल रही है। अभी तक कुआं नहीं बना है। लिफ्टों पर पैसा अलाट कर देते है, काचरी लिफ्ट है, सरकन्या लिफ्ट है, पैसा अलाट कर दिया, काम शुरू हो गया, 50 लाख रुपये विथड्रा कर लिये। कितनी योजनाएं यहाँ से सी. डब्ल्यू. सी. में गई हैं, पड़ी हैं, उनको कोई लाने का प्रयास नहीं कर रहा है। जो मंजूर होकर, सी. डब्ल्यू सी. से क्लियर होकर आ गई हैं, उन पर क्रियान्विति नहीं हो रही है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि एग्रीकल्चर की प्लानिंग ठीक से होनी चाहिये। क्षेत्रों में असंतुलन हो रहा है और उस असतुलन का नतीजा यह है कि यहां हमारा उत्पादन है, सकल उत्पादन, जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से बहुत कम हो रहा है। यानि राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं, जहां उत्पादन कम से कम होता जा रहा है। हां, मैं एक बात के लिये पिछली सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तिलहन उत्पादन में प्रगति की है। सोयाबीन और सरसों की खेती में प्रगति हुई है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन एग्रीकल्चर प्लान डिफेक्टिव है। एग्रीकल्चर प्लान यदि डिफेक्टिव होगा तो क्षेत्र का संतुलन बिगड़ जायगा। कौनसी खेती कहां होनी चाहिये, बीज समय पर मिलता है या नहीं मिलता है, आज तक हमारी सरकार ठीक से बीज नहीं दिला सकी। मैंने इसी विधान सभा में एक बार ज्वार के पर्सेन्टेज के बारे में पूछा था कि जो बीज ज्वार का आप किसानों को दे रहे हो इसकी स्थिति क्या है। इसका जर्मीनेशन पर्सेन्टेज क्या है। जब पता लगाया तो वह बीज उगने लायक नहीं था। जिन किसानों ने ज्वार का वह बीज ले लिया वह बरबाद हो गये। 40 लाख रुपये की ज्वार का बीज व्यर्थ चला गया। इस वर्ष भी जो ज्वार का बीज दिया गया है वहां खेत में संकर ज्वार के बजाय कोई नई ज्वार पैदा हो गई। किसानों के खेत बरबाद हो गये, फसल बरबाद हो गई। मैं जब एग्रीकल्चर सैक्रेटरी महोदय से मिला और मैंने उनसे निवेदन किया तो बोले, ज्वार के बीज की कीमत का पांच गुणा हम मुआवजा दे देंगे। ज्वार के बीज की कीमत का पांच गुणा मुआवजा। उसका खेत बरबाद हो गया। उन्होंने सर्टिफाइड सीड लिया था, सरकारी बीज लिया था उसका बीज ठीक से नहीं उगा उसके लिये कौन जिम्मेदार है। यह इच्छाशक्ति के अभाव के मैं कुछ नमूने बता रहा हूं। सभापति महोदया, खाद, राजस्थान की इस सीमा पर मध्यप्रदेश, और उस सीमा पर पंजाब, दोनों जगह डी. ए. पी. का कट्टा 15 रुपये कम में मिल रहा है, यूरिया 18 रुपया कट्टा कम में मिल रहा है लेकिन राजस्थान में वह 20 रुपया

(श्री रघुबीर सिंह कौशल)

कट्टा ज्यादा भी नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदया, इस बार जब फसल बोने का समय आया था तो किसान को डी.ओ.पी. खाद उपलब्ध नहीं हुई। यह हमारी प्लानिंग का डिफेक्ट है, हम फेक्ट्रीज को टाइमली अपनी मांग नहीं देते और इस कारण सरकार किसान को ठीक से बीज और खाद नहीं दिला सकी वह किसान के लिए कितनी हिमायती सरकार होगी। सभापति महोदया, एग्रीकल्चर प्लान में यह भी देखा जाना चाहिए कि बजट का सन्तुलन रहे। पाँच जिलों में सिंचाई के लिए 250 करोड़ दिये जाते हैं और शेष 22 जिलों में 200 करोड़। कहा जाता है कि वहाँ जल स्रोत है और जहाँ जल स्रोत नहीं है वहां भू-जल का उपयोग किया जाना चाहिए। एक-एक बूंद पानी का उपयोग हो सके इसके लिए फौहारे की खेती शुरू की जा सकती है। उन किसानों को अनुदान देकर फौहारे की खेती शुरू की जा सकती है। जल बजट बनाया जाना चाहिए ताकि किसान जल का उपयोग कर सके। आज चम्बल की नहरों में जितना पानी व्यर्थ जा रहा है यदि उसका हिसाब लिया जाय, तो उससे हजारों हैक्टर जमीन सिंचित हो सकती है। परन्तु आज चूंकि किसी पर लाइबिलिटी नहीं होती इसलिए पानी के वेस्टेज की कोई चिन्ता नहीं करता।

सभापति महोदया, किसान की जो स्थिति है वह कुओं और नहरी सिंचाई दोनों में बड़ा अन्तर है। लोग समझते हैं कि सिंचाई केवल नहरों से हो सकती है। राजस्थान में 40 लाख हेक्टर जमीन सिंचित होती है उसमें से 22 लाख हेक्टर कुओं से और 18 लाख हेक्टर तालाबों और नहरों से सिंचित है। यह 22 लाख हेक्टर कुओं से सिंचित है। इस कुओं वाली को सरकार क्या देती है? किसान लोन लेकर कुआं बनाता है। पानी नहीं निकला तो कर्जदार और हो गया। उसकी जमीन बिक गई। लेकिन मैं, राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कूओं को लोन देने की बात कही है। यह क्रियान्वित होगी ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मेरा एक और सुझाव है कि जहाँ नहरों को बनाने में इतना अधिक खर्चा आता है तो जो कूआं बना रहा है उसकी सब्सिडी देने में क्या आपत्ति है। वह ट्यूब वैल अपने साधनों से लगाते हैं उस पर 50% सबसिडी दी जानी चाहिए क्योंकि नहर पर तो रखरखाव का खर्चा भी आता है लेकिन जो ट्यूब वैल लगाते हैं और उनको सारा खर्चा स्वयं वहन करना पड़ता है, मैन्टेनेंस वह स्वयं करता है इसलिए जो ट्यूब वैल लगाते हैं उनको 50% सब्सिडी सरकार की ओर से मिलनी चाहिए और यह बजट के समान डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है।

सभापति महोदया, किसानों को ट्यूब वैल पर कनेक्शन लेना पड़ता है उसमें भ्रष्टाचार है। बिजली विभाग से किसान को कोई एग्रीकल्चर कनेक्शन बिना घूस दिये नहीं मिलता है। 7-7, 8-8 सालों से कूओं के कनेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र दिये हुए हैं लेकिन उद्योगपतियों को 6 महीने में ही कनेक्शन मिल जाएगा। यह किसान और उद्योगपति में अन्तर है।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

मेरा एक सुझाव है कि जैसे टेलीफोन की स्कीम है ओ. आई. टी. की, कि प्रायोरिटी के हिसाब के अलावा भी जैसे कोई कुछ पैसा देना चाहे तो उसको कनेक्शन मिल जाता है और धनराशि निर्धारित है। तो ट्यूब वैल पर 50, 60, 70 हजार खर्चा करता है उसके लिए भी यदि कोई ऐसी योजना बना दी जाय कि जो पैसा कनेक्शन के लिए इंजीनियर्स को रिश्वत में देता है वह यदि गवर्नमेंट में जमा करा दिया जाय तो रिश्वत का पैसा बचेगा और सरकार में वह पैसा आ जाएगा । वह जनहित में काम आ जाएगा। लेकिन कनेक्शन के बारे में यह जो बिजली विभाग का भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है। आज ए. ई एन. सुप्रीम पावर हो गया। प्रायोरिटी लिस्ट बननी चाहिए। उसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए। एम. एल. ए., प्रधान और कोई हों, उनकी एक कमेटी हो, प्रायोरिटी लिस्ट उनके सामने बने और वह पंचायत समितियों में टांगी जाय, दफ्तर में टांगी जाय। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रायोरिटी लिस्ट मनमाने ढंग से बनेगी। मेरा एक सुझाव है कि इस पर प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जानी चाहिए।

सभापति महोदया, राजस्थान में सिंचाई की दृष्टि से लिफ्ट सिंचाई योजना चल रही है। फ्लो-इर्रीगेशन से लिफ्ट सिंचाई में पैसा बहुत कम लगता है। आधा भी नहीं लगता और योजना तुरन्त तैयार हो जाती है। मैं सुझाव दूंगा कि जहां-जहां नदी है वहां-वहां लिफ्ट सिंचाई योजनाएं शीघ्र शुरू की जाय। इसमें यह बात आती है कि रेकरिंग एक्सपेंसेज ज्यादा आते हैं। अब रेकरिंग एक्सपेंसेज में बिजली की मोटरों का खर्चा कामर्शियल बेसिस पर लिया जाता है। यदि सरकार उसको जो चार्जेज किसानों से लिया जाता है वह खर्चा कर दे जो शायद लिफ्ट सिंचाई योजना पर खर्चा कम हो जाएगा। हमारे यहां कई लिफ्ट सिंचाई योजनाएं चल रही हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं इच्छा शक्ति के अभाव में। मुझे स्मरण है कि जनता शासन काल में 2 साल में शाहबाद क्षेत्र में 28 तालाब बने थे जिनसे सिंचाई दो साल में ही शुरू हो गई और आज रूपनगढ़ तालाब छोटा सा है उसको चलते शायद 10 साल हो गये। उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी ने भी पत्र लिखा कि इस तालाब को पूरा होने में कौन सी बाधा आ रही है ? इसी प्रकार पांचना बांध या जो स्कीमें हैं वह केवल राजनैतिक इच्छा-शक्ति के अभाव में कोई योजना पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। पानी का वेस्टेज हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है कि किसान के खेत में पानी जाना चाहिए।

मैं इस संबंध में तत्कालीन सिंचाई मंत्री, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों की सुनवाई उस समय की थी जब मध्य प्रदेश ने पानी रोक दिया था और किसान की फसल बरबाद होने वाली थी। वह फसल बच गई।

सभापति महोदय, मध्य प्रदेश ने हमारे पानी पर डाका डाला है। कैचमेंट एरिया में 80 तालाब बनाये हैं। वह तालाब पूरे भरें तब कहीं पानी आगे बढ़े, और गांधी सागर में पानी आये। गांधीसागर में पानी प्रतिवर्ष कम होता चला जा रहा है। नहरों में पानी कम होता चला जा रहा है और

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

हर साल पानी की प्राब्लम आती जा रही है। इस बार कोटा जिले में चम्बल नहर से पूरी सिंचाई नहीं होने से फसल आधी रह गई। लेकिन हमारी सरकार चिन्ता करती है कि एम. पी. को पानी दिया जाना चाहिये चाहे राजस्थान में पानी नहीं रहे। मैं कहता हूं उन्होंने हमारे पानी पर डाका डाला है। अभी जो पानी राजस्थान में होकर जा रहा है उस पर पहला हक हमारा बनता है लेकिन मध्य प्रदेश को पूरा पानी मिला, राजस्थान को नहीं मिला। किसानों की फसल सूख गई। लिफ्ट सिंचाई चल रही है वह पूरी होने का नाम नहीं ले रही है और बड़ी योजनाएं चल रही हैं उन पर पैसा दो लाख दिया जाता है, तीन लाख दिया जाता है....

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : आपने रिसोर्सेज की बात कही है पर इंडिकेशन नहीं दिया, बजट में हो तो मुझे मालूम नहीं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय मदेरणा साहब, मैं आपकी सूचना के लिए एक बात बता दूं।

श्री परसराम मदेरणा : रिसोर्सेज के बिना कोई योजना पूर्ण कैसे होगी?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं, ढाई साल के समय में सिंचाई योजना में एक भी फाइनेन्शियल कान्स्ट्रेन्टस नहीं आया है, समयबद्ध कार्यक्रम करने के पश्चात तीन महीने में फिजिकल टार्गेट पूरे किये जाय, काम निश्चित रूप से पूरे होते हैं, जितना पैसा चाहिये उतना पैसा दिया गया है, भीम सागर और दूसरे सागर जो सालों तक पूरे नहीं हुए उस समय पूरे हो गये। यह निश्चित बात है कि पोलिटिकल स्ट्रोंग विल, उनको पूरा करने की ताकत, टाइम बाउण्ड प्रोग्राम उसमें से पैसा भी आता है और निर्माण कार्य भी होता है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मदेरणा साहब को बताना चाहूंगा कि जनता शासनकाल में राजस्थान कैनाल पर जितना पैसा खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया था वह पूरा खर्च नहीं हुआ है लेकिन फाइनेन्शियल टार्गेट पूरे हो गये थे। पैसे का अभाव भ्रष्टाचार में से निकाला जायेगा। यह 70–70 लाख जो एक-एक व्यक्ति खा रहा है यदि उसको रोका गया तो सिंचाई के लिए पैसा आयेगा।

एक माननीय सदस्य : भैरोंसिंह जी से क्या प्रेरणा मिलेगी?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : भैरोंसिंह जी हमारे नेता हैं और उनसे....(व्यवधान)।

श्री परसराम मदेरणा : यह 50–60 लाख तो आप कहीं से एस्ट्रेक्ट कर लेंगे लेकिन पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राजस्थान कैनाल का है उसमें एक करोड़ रुपया खर्च होगा। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिये, यह कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अब मुख्य मंत्रीजी को प्रधानमंत्री के चपरासी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी डायरेक्ट एप्रोच प्रधानमंत्री और उप प्रधान

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

मंत्री दोनों से है और मुख्यमंत्री इतने ताकतवर हैं कि पैसा ला सकते है। इसलिए मैं ....(व्यवधान) सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि गरीबी उन्मूलन, उत्पादन और जो भी योजनायें हैं उनके पीछे राजनैतिक इच्छा-शक्ति हो तो वह पूरी होती है। उसका मैं आपको एक और उदाहरण प्रस्तुत करूं। जनता पार्टी के शासन काल में जो राजस्व अभियान चला था उसी राजस्व अभियान की परम्परा कांग्रेस सरकार ने भी रखी है लेकिन उस राजस्व अभियान और इस राजस्व अभियान में बहुत अन्तर है। आज यह राजस्व अभियान भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। उस समय राजस्व अभियान में लोगों के, किसानों के काम हुए थे। आज किसान पूछता है कि क्या अब राजस्व अभियान वैसे ही चलेगा जो पहले जनता शासनकाल में चलता था। गरीबों के उत्थान के लिए उस ढाई साल में जो कुछ काम हुए उसको गांव के लोग, गरीब लोग आज भी याद करते हैं। आज अपाहिजों को पेन्शन नहीं मिलती है। उस वक्त अधिकारियों ने अपाहिज और बुढ्ढों को ढूंढ-ढूंढ कर पेन्शन दी थी। गरीब लोगों ने असिंचित भूमि का लगान माफ होने की बात पहली बार सुनी थी। कभी भी उन्होंने लगान माफ होने की बात नहीं सुनी थी। उस समय जो ग्रामीण विकास हुआ था उसको लोग आज भी याद करते हैं। वहां भवन खड़े है, आज भी गांवों की सड़कें तैयार हैं। यह राजनैतिक इच्छा-शक्ति का ही कारण था कि उस समय कम पैसे में भी अधिक काम हुआ और लोगों को रोजगार मिला। आज रोजगार नहीं मिल रहा है, आज पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है और न सरकार की यह नीयत रही कि किसी जरूरतमंद को पैसा मिले। तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मुख्यमंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आपकी राजनैतिक इच्छा-शक्ति गरीबों के कल्याण के लिए है। गरीब आपकी ओर आशा लगाये बैठे हैं, किसान आपकी ओर आशा लगाये बैठे हैं कि जितना भी धन उपलब्ध हो आप अधिक से अधिक काम करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जितना भी हो सके उसके पीछे राजनैतिक इच्छा-शक्ति होगी तो उससे ही काफी कुछ कल्याण किया जा सकता है। (व्यवधान) वी. पी. सिंह ने तो बहुत किया है....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वी. पी. सिंह ने जो किया है वह....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 10 हजार रुपये तक का किसानों का कर्जा माफ कर दिया जिनको आप इन प्रेक्टिकल बताते थे और उन्होंने करके बता दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान का ही 500 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। पूरे देश के लिए यह तो....

श्री सभापति : आर्डर माननीय सदस्य। माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदया, इनको कष्ट हो रहा है कि हमने 10 हजार ही माफ किये और इन्होंने 15 हजार माफ कर दिये थे।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

इन्होंने भी दान-पुण्य बहुत किया। पर कब ? जब सरकार जा रही थी तब।

एक माननीय सदस्य : कर्जे का चक्रवर्ती ब्याज माफ करने को ही तैयार नहीं थे।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया, हर आदमी को अपने अंतकाल में दान-पुण्य ही सूझता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक भी कर्जा किसी किसान का माफ नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज। आसन के बिना परमीशन नहीं बोलें कृपया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, बजट का 49 पर्सेण्ट गांव और किसान पर खर्च हो रहा है। जिसको आप अव्यवहारिक बताते थे 10 हजार रुपये तक का कर्जा माफ कर दिया। आपने भी 15 हजार रुपये माफ कर दिये लेकिन माफ करने के लिए माफ नहीं किया था यह तो आपको पता था कि जा रहे हैं और दान-पुण्य कर जाओ। आप यह भूल गये कि जनता के पैसे पर आप ट्रस्टी नहीं हैं कि सब बरबाद कर दो और यही बात थी जिसके कारण आज आपको उधर बैठना पड़ रहा है। सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : राजस्थान सरकार ने जो कर्जा माफ किया है लेकिन हरियाणा ने जो किया वह तो सही था, मुलायम सिंहजी ने यू. पी. में किया, वह सही था। माननीय सदस्य कैसी बात कर रहे हैं ? हरिदेव जोशी ने जो किया वह गलत था ? जो बात मुलायमसिंह जी कर सकते हैं, देवीलाल जी कर सकते हैं तो हरिदेव जोशी ने करके क्या गुनाह किया ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कर्जा माफ करने की बात अंत समय में कैसे आयी ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री ईश्वरलाल सैनी। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़-अलवर) : मैं अभी बहुत जूनियर हूं; आप सीनियर हो। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ उस अभिभाषण में और इस भाषण का मैं विरोध प्रकट करता हूं। ऐसा राजनैतिक अभिभाषण, बेबुनियाद, आधारहीन अभिभाषण इस सदन में कभी सुनने को नहीं मिला। सभापति महोदया, जिस वक्त यह अभिभाषण हो रहा था उस वक्त करीब 30 बार सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गयी थीं लेकिन हमारे धैर्य की सीमा देखिये कि हम एक शब्द भी नहीं बोले। क्योंकि हम जानते हैं, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है....

एक माननीय सदस्य : और आप जैसे कार्यकर्त्ता हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इन्होंने अभी

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

किया ही क्या है थोथे वायदे। इससे पूर्व जो अध्यक्ष महोदय ने संस्कृत में श्लोक पढ़कर सुनाया था उसका भावार्थ था नासमझ या समझ, बुद्धिमान या मूर्ख और उसके बीच की बात बताई थी। हमारी पार्टी के सदस्य 50 हैं, 9 सदस्य निर्दलीय हैं और एक सदस्य महानुभव वामपंथी हैं, समर्थन के ही हैं, वह भी हमारे पक्ष में बैठे हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कोई बात नहीं लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं। सीट बीच में है तो क्या समर्थन तो कर रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : बीच में हूं लेकिन पक्ष में नहीं हूं। (व्यवधान) सभापति महोदया, इस तरह से यह गलत बात है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं मेरे 49 सदस्यों को बुद्धिमान समझता हूं, मेरे स्वयं का आप आंकलन कर लीजिये लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि उधर सत्ता पक्ष की लाबी में हैं वह न ही बुद्धिमान हैं, न मूर्ख हैं, वे बीच के हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय को बता देना कि जो कुछ करेंगे वह उन्हीं की तरफ से होगा। वह तो क्या समझायेंगे, उन्होंने खुद ने कहा कि उनको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते।

श्री लालचन्द डूडी : सभापति जी, मैं एतराज करता हूं इस बात से....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पुराने मरीज हैं और डाक्टर को बुला कर दिखाना आवश्यक है।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। आप सुझाव नहीं दें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथ सिंह : कृपया इसे गम्भीरता से न लें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, मैं विगत में न जा कर पहले इसी की चर्चा कर लूं। कल ही हमारी पार्लियामेंट में बजट रखा गया है। तेल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गयी है। सवा रुपये पेट्रोल का बढ़ाया है और 54 पैसे डीजल पर। गरीबों को छूट दे रहे हैं कि केरोसिन पर हम नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको याद है कि आप भ्रष्टाचार समाप्ति की बात कर रहे हैं। केरोसिन अब बाजार में नदारद हो जायेगा। केरोसिन में मिलावट हो करके वह डीजल के भाव बिकेगा। इसलिए केरोसीन को आप भूल जाइये। गांव वालों को केरोसिन उपलब्ध नहीं होगा।

श्री अनंगकुमार जैन : डीलरशिप के अन्दर सारे डीलर्स आपकी पार्टी के लगाये हुए हैं, इसलिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : रेल बजट का पैसा बढ़ा दिया है। टेलीफोनों पर पैसा बढ़ा दिया है और आप ध्यान रखिये, लिफाफों तक का पैसा बढ़ा दिया है। सिगरेट पर भी बढ़ा दिया है, बीड़ी पर तो नहीं बढ़ाया है, लेकिन तम्बाकू पर पैसा बढ़ेगा तो बीड़ी पर भी बढ़ेगा। जब

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

डीजल और पेट्रोल पर पैसा बढ़ गया, कीमतें आसमान में पहुंचेगी । आज ही किराया बढ़ेगा । रिक्शा वाले, तांगे वाले और स्कूटर वाले, तिपहिया वाहनों के किराये बढ़ेंगे, वह बोझ गरीबों पर ही जायेगा । लेकिन बिचौलियों को यह बोझ बहुत भारी पड़ेगा । इसको ये समाजवादी बजट कहते हैं । मैं समझता हूं कि यह समाजवाद की परिभाषा में ही नहीं आता । ऐसा बजट जो गरीबों की कमर तोड़ देगा, ऐसा हमारी भारत सरकार ने बजट पेश किया । क्या समझते हैं कि इस बजट से हमारे हिन्दुस्तान के गरीबों को राहत मिलेगी ? जो एक असत्य नारा दिया है, हमारे नदबई के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि केन्द्र में भी और राज्य में भी मैनडेट दे कर के सरकार को जिता दिया। मैनडेट केन्द्र में दिया था । वादे क्या किये थे ? बोफोर्स, हमारी बेरोजगारी दूर करने के, रिजर्वेशन खत्म करने के, यहां पर कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा; मंहगाई दूर कर देंगे और यहां हिन्दुस्तान में अमन और शांति कायम कर देंगे । हमारे जो रिलेशन हमने खराब कर लिये बताये, कांग्रेस शासन ने, पड़ोसी देशों से, वह हम संबंध सुधार लेंगे, यह असत्य नारे दे कर केन्द्र की सत्तासीन सरकार को विपक्ष में बिठा दिया । आप यह ध्यान दें कि जो आज राजस्थान में सरकार बनी है, बी. जे. पी. की माइनॉरिटी की सरकार, वह किस बेस पर जीती है ? यहां के लोगों ने यह सोचा था कि केन्द्र में जो सरकार बनी, तो उन को देख लें । इसलिये नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि केन्द्र को सरकार चलने वाली नहीं है । फिर जो बी. जे. पी. की सरकार जीती है, वह बी. जे. पी. ही के अपने हिस्से, जहां भी त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ है, वहां कांग्रेस पार्टी जीती है । यह तो केवल जनता दल की हिम्मत है कि बी. जे. पी. की सरकार और बी. जे. पी. के मुख्य मंत्री बने हैं । यह बी. जे. पी. की सरकार जो बनी है, वह हमारी पार्टी की वजह से बनी है क्योंकि जनता दल या जो भी सरकार है, अभी हमारे नुमाइंदे थे, उन्हीं की सरकार बनी है, बी. जे. पी. की सरकार नहीं है, यह साझा सरकार है । माननीय सभापति महोदया, जनता दल के प्रधानमंत्री अपने प्रथम प्रेस कांफ्रेंस में आये थे, तो वह लड़खड़ा गये थे । जब उनसे सवाल पूछे गये....

एक माननीय सदस्य : राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं कि बजट पर बोल रहे है ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : इस केन्द्रीय बजट का सारा सम्बन्ध इस असेंबली से है । प्रधान मंत्री का इस सदन से संबंध नहीं है, उनकी सरकार जो बनी है, सदन से संबंधित नहीं है, सारा जो है वहां, उसका इस असेंबली पर असर पड़ता है, इसलिये बोल रहा हूं । आपकी इस केंद्र सरकार ने क्या किया है और आप क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यह सब इसी पर निर्भर करता है....

(समय 1.55 म. प.)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

कश्मीर की समस्या के सवाल पर लड़खड़ा

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

गये, राम जन्म-भूमि बाबरी मस्जिद समस्या पर भी लड़खड़ा गये, रूबिया के सवाल पर भी लड़खड़ा गये और बोफोर्स के सवाल पर भी लड़खड़ा गये । उन्होंने जो अपना सबसे पहला प्रेस कांफ्रेंस किया था, उसमें प्रायोरिटीज उनकी थीं :

Steps initiated to unearth Bofors incidents, Punjab situation within constitutional framework, bureaucracy will be kept away from the politics, action against 84 antiriotists, full Thakkar Committee Report will be tabled, all party meeting on Punjab will have an open agenda, change in reservation policies ruled out, resolute action to avoid debt trap.

ये उन्होंने वादे किये थे और उन वादों में से एक पर भी आज वे खरे नहीं उतरे हैं। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्रथम भाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम तक नहीं लिया। यही नहीं, उनकी जन्म तिथि पर....

एक माननीय सदस्य : आपने उनका नाम लेकर उन के सिद्धांतों की हत्या की है बिहार में।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप उनके नाम से सरकार में बैठे हैं श्रीमान्। भूल मत करिये । तारीख 20.12.89 को महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर, उनकी समाधि पर हमारे प्रधान मंत्री जी पधारे थे और अफसोस की बात यह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ जो उन्होंने किया। उनकी पुण्य तिथि पर, उनकी समाधि पर जूतों से चले गये। हमारे प्रधान मंत्री जी को जब राष्ट्रपति ने टोका तो उनकी अनसुनी कर गये। मैं कटिंग सुनाता हूं, आपने शायद देखी नहीं होगी इसलिये बता देता हूं, यह नवभारत टाइम्स की है 30.1.90 की। "गांधी जी की समाधि पर जूते पहने क्यों?" यह जय प्रकाश विचार मंच के अध्यक्ष रवीन्द्र कुमार का कड़ा विरोध किया है इन्होंने। लिखा है : जयप्रकाश विचार मंच में गांधी जी की पुण्य तिथि पर प्रधान मंत्री वी. पी. सिंह द्वारा जूते पहन कर गांधी जी की समाधि पर जाने की कड़ी निंदा की है। मंच के अध्यक्ष श्रवण कुमार ने कहा कि गांधी जी क्या, किसी की भी समाधि पर जाते समय इतना सम्मान तो बरतना ही चाहिये था। राष्ट्रपति वेंकटरमण ने समाधि स्थल पर श्री सिंह को टोका भी था। पर उनकी बात अनसुनी कर दी गयी। राष्ट्रपति नाराज हुए। तभी सिंह को शाम उनके दरबार में हाजिरी देनी पड़ी। मंच का कहना है कि खाली राष्ट्रपति को सफाई देने से बात क्या बनेगी, सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिये थी। श्रीमान्, यह तो मैं कहता हूं कि हमारे जो प्रधान मंत्री स्तर के व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता के नाम का सम्मान इस प्रकार किया है ?

यह अशोभनीय है और शर्म की बात है। अब प्रधान मंत्रीजी के सौ दिन जब पूरे हो गये तो उन्होंने सद्भावना बनाये रखने का ढिंढोरा पीटा है। सांझा सरकार

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

में सद्भावना बनाने पर जोर दिया है। गत दिनों मकराना और कोटा में जो हिन्दू-मुस्लिम झगड़े हुए थे, साम्प्रदायिक झगड़े हुए थे, उसमें नाथूराम मिर्धा जी ने बी. जे. पी. पर लांछन लगाया था कि झगड़े बी. जे. पी. करा रही है, यह आपको याद होगा शायद । स्वयं नाथूराम जी मिर्धा ने, जो केन्द्रीय खाद्य मंत्री हैं, ने कहा है....

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : यह सब झगड़े कांग्रेस ने ही करवाये हैं, जो सारे साम्प्रदायिक झगड़े हुए हैं अभी ।

श्री ईश्वर लाल सैनी : और दूसरी ओर साम्प्रदायिकता की सबसे बड़ी मिसाल यही है कि एक तरफ तो बी. जे. पी. कह रही है कि कश्मीर की धारा 370 खत्म की जाय । कह रही है न ? दूसरी तरफ वामपंथी इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं । यही वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में जनता दलीय सरकार का समर्थन कर रही है । न इनके विचार एक हैं, न इनकी मान्यताएं एक हैं, न इनके घोषणा-पत्र एक हैं, फिर किस आधार पर यह कह सकते हैं कि हमारी सरकार हम चला लेंगे ? चलायेंगे तो कैसे चलायेंगे ? आज जो सरकार केन्द्र में है वह कठपुतली सरकार है । कभी बी. जे. पी. ठोडा लगा देती है तो कभी वामपंथी ठोडा लगा देते हैं, चेता देते हैं । केन्द्र में जो सरकार है वह अल्पमत की सरकार है । तीन टांग पर खड़ी हुई सरकार है । हमारी पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी केवल इसलिए इन्कार कर दिया कि हमको पूर्ण बहुमत केन्द्र में नहीं मिला । लेकिन आप तो लालायित थे । 142 सदस्य वाली जनता दल सरकार को आपने केन्द्र में बैठा दिया और आपके पास कोई चारा भी नहीं था । अब आप बाहर से समर्थन कर रहे हैं । क्यों ? जब आपको बाहर से ही समर्थन करना था तो फिर यहां क्या बात है ? यहां काहे को हमारे जनता दल के लोग परेशान हैं ? क्यों ? क्यों दौड़ लगा रहे हैं दिल्ली में ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आगे के संकेत दे रहे हो क्या ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : आगे का संकेत नहीं दे रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि वहां पर आप सांझा सरकार में शामिल क्यों नहीं हो जाते ? आपको क्या परेशानी है ? आपके मल्होत्रा साहब तो कह रहे हैं । आडवाणी साहब तो मना कर रहे हैं लेकिन मल्होत्रा साहब जरूर कह रहे हैं कि इस सांझा सरकार में शामिल होकर हमारा हिस्सा लेना चाहिए । उसी रोज आपके + + + हमें पता है । आपकी सांझा सरकार चल नहीं सकती ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : ऐसा लगता है कि परेशानी इधर नहीं, उधर ज्यादा हो रही है ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपको अब मैं रूबिया काण्ड का हवाला देता हूं, श्रीमन् । हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा इस रूबिया काण्ड को जानने के लिए आज भी इच्छुक है । आपको पता है कि इस रूबिया के

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

मामले में आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यह एक सोची-समझी साजिश थी। जो आज गृह मंत्री हैं–सईद साहब, हमारी पार्टी में से गये हैं, तब हमारे प्रधान मंत्री जी ने उनसे सवाल पूछा था पार्लियामेंट में, एक एम. एल. भट्ट नामक भ्रष्ट जज वहां पर लगाये गये थे, यह खुद ले गये थे अपने मुफ्ती मोहम्मद साहब, तो उन्होंने पूछा कि इस जज को किसने लगाया है? तो जबाव दिया कि आपके कहने से मैंने लगाया है और वह तुरन्त नीचे बैठ गये। वह जज कश्मीर में था तो कितने ही आतंकवादियों की गृह मंत्री साहब के कहने से जमानत ली। उनकी शिकायत होने पर इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया। ज्योंही सांझा सरकार केन्द्र में बनी, इन्होंने तुरन्त उसको वहां लगवा लिया और यह काण्ड सोच-समझ कर रचा, रूबिया का अपहरण किया गया। वह उनकी चाल थी। वह चाहते थे कि चार तो हिन्दुस्तानी आतंकवादी हैं और एक पाकिस्तानी, इनको छुड़ाया जाय। इनके सम्बन्धी हैं वह। रूबिया का अपहरण, एक जानी-बूझी चाल करके उनको निकट की मस्जिद में रख लिया। घर से खाना जाता था, उनके भाई-बन्धु सब मिलते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके पांच लड़कियां थी, क्या वह एक लड़की का बलिदान नहीं कर सकते थे? एक पत्र भी दिया था अजमेर की एक लड़की ने, अगर मैं होती तो कभी वहां से छूट कर नहीं आती, अपने आप को बलिदान कर देती या खंजर खाकर मर जाती। लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं करती कि ऐसे पांच धुरंधरों को छोड़ दिया जाय। वह पांच धुरंधर आतंकवादी थे जिनमें एक पाकिस्तानी था और उनका कसूर शायद आपको पता है कि उन्होंने हमारे कमिश्नर को जो इंगलैण्ड में थे, मात्रे साहब, का कत्ल किया था। लेकिन चूंकि वह मर्डर का केस तो वहां चलता, अब हमने इनको हिन्दुस्तान में पकड़ा और डी. आई. आर. में बंद कर दिया, आज तक वह बंद थे। उनको छुड़ाने के लिए यह सारी साजिश रची गई। मैं कहता हूं, जब वह दफ्तर में बैठे थे हमारे गृह मंत्रीजी, तो अपनी पांचवीं लड़की के अपहरण के लिए रो पड़े। यह सारे अखबारों ने दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं। यही नहीं, अगर उनको अपनी लड़की इतनी ही प्यारी थी तो उनकी लड़की का अपहरण तो सिर्फ इसीलिए हुआ था न कि वह गृह मंत्री हैं, वह फौरन त्याग पत्र दे देते कि मैं अपने देश की कुर्बानी के लिए लड़की की कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं अपना इस्तीफा देता हूं, मेरी लड़की को छोड़ दीजिब आप। छोड़ देते वह तो, आतंकवादियों ने इसीलिए पकड़ा था कि वह गृह मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जाकर वहां लड़की को छुड़ाया और पांच आतंकवादी छोड़ दिये गये। इनकी कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस केन्द्र सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की कौन सी बात हो सकती है? मैं यह कहना चाहता हूं। मजे की बात यह है कि आज तक गृह मंत्री महोदय बड़े मजे से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, इनको क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था इस काण्ड के पीछे?

श्री डूंगर राम पंवार (टीबी): माननीय सदस्य माया पत्रिका पढ़ कर आये हैं।

एक माननीय सदस्य : माया पत्रिका पढ़ कर आये है या मनोहर कहानियां ?

श्री डूंगर राम पंवार : मनोहर कहानियां नहीं, ऊट-पटांग कहानियां पढ़कर आये हैं।

श्री ईश्वर लाल सैनी : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस घटना के बाद क्या-क्या घटनायें घटी हैं हमारे इस देश के सामने। कश्मीरी पण्डितों के कम से कम 65 हजार लोगों का पलायन हो चुका है, इस राजस्थान में भी आये हैं, आप राजस्थान के लिए क्या कर रहे हैं ? दिल्ली में कैम्प लग गये हैं उनके। हजारों आदमी बेघर-बार होकर पड़े हैं। यह हमारे लिए बड़ी भारी समस्या है। कम से कम 20-25 हजार परिवार वहां से पलायन कर गये। वहां रात को एक ग्रुप की तरफ से लाउड स्पीकर से एलान किया गया था कि यहां से रातों-रात भाग जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। वह रातों-रात वहां से किसी तरह पलायन कर गये। इसी प्रकार वहां के पुलिस अधिकारियों और नागरिकों की हत्यायें हो रही हैं, गुप्तचर विभाग वालों तक की हत्यायें की जा रही हैं लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : जो आपके राज्यपाल थे उन्होंने क्या रिपोर्ट दी सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट को उसे पढ़ लें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यदुनाथ सिंहजी आप चुप रहिये। अध्यक्ष महोदय ने तीन केटेगरी बतायी थी ना।

श्री ईश्वरलाल सैनी : 23 फरवरी, 1990 को आतंकवादियों ने कश्मीरियों के साथ जुलूस निकाला। वह आंख खोलने वाला जुलूस था। इससे हमारे इस देश को सबक लेना चाहिए और यही कारण है कि इसी घटना के कारण बेनजीर भुट्टो आजाद काश्मीर में आकर हम को धमकी दे गयी कि हम यहां टेरेरिस्टों को तैयार करेंगे। हिन्दुस्तान की तो औकात ही क्या है आज हमारे सामने तो रशिया भी नहीं टिक रहा है अफगानिस्तान के मामले में मात खा रहा है। यों कह जाये और उसका विदेशमंत्री भारत की भूमि पर, हमारे यहां ही रहे, हमारा ही खाना खाये और हमें ही धमकी दे जाये कि काश्मीर हमारा अंग है और हम उसको सुनते रहें। क्या ऐसा कभी पण्डित जवाहर लाल नेहरू के सामने, लाल बहादुर के सामने, इंदिराजी के सामने कहने की कभी हिम्मत हुयी है....

श्री डूंगरराम पंवार : यह खाना खराब किसने कराया था। आपके शासन-काल में ही हुआ था।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहां की धरती पर ही नहीं उस धरती पर भी नहीं हो सकता था। परन्तु वे जानते हैं कि यह अस्थिर सरकार है। इसके सामने हम कुछ भी कह सकते हैं। यह सरकार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। यह सरकार चन्द दिनों की है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इसलिए यह कुछ भी कहने की स्थिति में हैं। आज अब

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

तो बेनजीर भुट्टो के हौंसले बुलन्द हो गये हैं। जो शिमला समझौता हमारे देश की धौंस से किया गया था। उसके पिताजी ने किया था, आज उसी शिमला समझौते से मुकर रही है। यह सिर्फ इसलिए कि हमारे वी. पी. सिंह को आपने कमजोर सरकार, कठपुतली बनाकर बैठा दिया है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप भैरोंसिंह शेखावत की सरकार की बात करो ना।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हमारी सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के सामने घुटने टेक दिये हैं। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने बोफोर्स की बात कही थी कि मैं बाफोर्स पर तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हमें समय कम मिला है पर मैं थोड़ी बात जरूर कहना चाहूंगा।

मैं बोफोर्स के मामले पर बोलना चाहता हूं। जिस बोफोर्स का ढिंढोरा पीट कर आपने हमारे राजीवजी को बदनाम किया था और एक नारा दिया था × × × आज वह नारा कहां गया? अब आप लगाकर देखिये वह नारा? अब वह नारा बदल गया है....

श्री डूंगरराम पवार : यह सच है। पहले बोफोर्स का उन्होंने ही किया था।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अच्छा है आपको याद आ गया हम तो भूल गये थे....

श्री खेमराज मीणा (किशनगंज) : यह नारा आगे भी लगाते रहना।

श्री हीरासिंह चौहान : आप तो राजीव के गुणगान करते रहो। राजीव गांधी के जितने गुणगान करोगे उतने ही डूबोगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अब आपका नारा है....अब एक नारा है जो देश में लगा है "राजीव जी लाओ और देश बचाओ।" यह नारा है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इसी आशा के साथ जिन्दा रहोगे वर्ना तो मौत ही मौत है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इसलिये पिछले चुनाव में एक भी ऐसा नारा दिया? अब तो आपकी सरकार है। आपने रिजर्वेशन खत्म करने की बात की थी ना?

अनेक माननीय सदस्य : नो नो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : करिये ना। आपके तो उप प्रधानमंत्री महोदय ने अजमेर में जाकर कह दिया था कि आर्थिक आधार पर करेंगे, यह घोषणा कर दी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रिजर्वेशन खत्म करने की बात थोड़े कही थी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उसको क्यों नहीं किया? कुछ तो करके बता दें ताकि वह लोग कुछ तो दुहाई देते जो बाहर बैठे हुए हैं। 18 वर्ष वाले। हमने तो उनको मताधिकार दिया और सिर्फ इसलिए ही हम हार गये क्योंकि आपने झूंठा प्रलोभन देकर वोट बटोरे।

श्रीमान् जब हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज हैं, जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बन

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

जायेगी तो एक महीने के अन्दर-अन्दर 99921 स्विस बैंक का खाता है उसका कोड लोटस है, 1 महीने के अन्दर मैं उसका कोड खोलूंगा और बता दूंगा कि दलाली किसने खायी है। जब राजीवजी ने स्वयं पालियामेण्ट में पूछा तो उसका जवाब नहीं दे सके।

श्री चम्पालाल बांठिया : इसका मतलब कमल और कमल का मतलब राजीव।

श्री डूंगरराम पंवार : +++

श्री ईश्वरलाल सैनी : अमिताभ बच्चन जब पुकार कर कह रहा है कि मेरे भाई ने दलाली खायी है उसका जवाब दीजिये। लेकिन आज उनको क्या कहें ? जवाब नहीं है। सिर्फ उन्होंने बोफोर्स कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है यह उनका जवाब है। तो बोफोर्स की बात कर रहे हैं। अब तो आपकी सरकार है ना। कठघरे में खड़ा करो ना राजीव गांधी को....

श्री यदुनाथ सिंह : हथकड़ी लगेगी देखे जाओ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हथकड़ी तो आपकी हरियाणा सरकार को लगेगी। थोड़े दिन ठहर जाओ।

श्री यदुनाथ सिंह : विदेश नीति पर थोड़ा और हो जाये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : विदेश नीति पर मैं बहुत बोल सकता हूं पर मैं तो सिर्फ आंकड़े ही बोल रहा हूं। हमारे चीफ व्हिप ने बहुत समय दिया है। इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा-सा बोल रहा हूं। आप समय बढ़ा दीजिये मेरा एक घण्टा। हमारे वी. पी. सिंह साहब ने चुनाव सुधारों का बहुत जबरदस्त ढिंढोरा पीटा था .... हां हमारे आजकल तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना। प्रधानमंत्री ने ढिंढोरा पीटा था कि मैं ज्योंही हमारी सरकार आयेगी चुनाव सुधारों की बात करूंगा। विधान सभाओं के चुनाव में में सिर्फ बिहार की बात बता रहा हूं जहां पर जिनके खिलाफ कई मुकदमें चल रहे हैं, हिस्ट्रीशीटर हैं और उनको जनता दल ने, बी. जे. पी. ने टिकट दिये। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह अखबार कह रहे हैं। 40 बिहार के एम. एल. ए. हैं, क्रिमिनल रिकार्ड वाले और उनमें से 33 तो जनता दल के हैं और 7 बी. जे. पी. के हैं, जो हिस्ट्रीशीटर हैं....

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : कांग्रेस के कितने हैं ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक भी नहीं है। यह पेपर की कटिंग है। यह हिन्दुस्तान का पेपर है....

श्री यदुनाथ सिंह : बिहार मत चले जाना गलती से।

श्री खेमराज मीणा (किशनगंज) : [redacted] (व्यवधान) +++ +++

श्री ईश्वरलाल सैनी : यही नहीं [redacted] ऐसे एम.एल.ए. हैं जो जेल से लाये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, अपने अखबार की कटिंग में से कहा है। अखबार में कोई बात लिखी हुई

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है उसको आधार बनाकर यहां कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन आप कह रहे हैं कहें। लेकिन अच्छा हो आप + + + उनका नाम न लें। अभी जब प्रश्न आवर था तो उसमें यह प्रश्न आपकी पार्टी की ओर से उठाया गया था कि जो हाउस में नहीं हैं उसके बारे में यहां जिक्र नहीं किया जाय। आप समझ लें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन इसके रियकशन क्या होंगे वह आप देख लें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं नाम नहीं लूंगा। 40 अपराधी हैं जो जेलों से लाये गये पुलिस की मदद से वहां आये हैं विधान सभा में। जब उनको पूछा गया कि साहब बाहर हमको पुलिस अरैस्ट कर लेगी तो अध्यक्ष महोदय का जरोब था कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। ऐसे क्रिमीनल्स, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने और हमारे यहां के प्रधानमंत्री जी ने सफाई दी थी कि हमारी सरकार बनते ही चुनावों में सुधार होंगे। बिहार में 80 लोग मारे गये इस विधान सभा चुनाव में।

श्री यदुनाथ सिंह : किसका राज था उस समय वहां पर।

श्री चम्पालाल बांठिया : वहां के मुख्य मंत्री कौन थे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : प्रधानमंत्री कौन थे मैं प्रधानमंत्री जी की बात कह रहा हूं। 18.3.90 को बिहार में जनता दल के विधायक को पुलिस की हिरासत में विधान सभा लाया गया। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि सुधार कि बात कर रहे हैं वह प्रधानमंत्री जी कहां तक अपनी बात पर खरे उतरेंगे यह आप सोच सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आपके राजीव गांधीजी हर वक्त पुलिस की हिरासत में रहते हैं जो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आजकल तो वह नामीबिया गये हुये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आपको कैसे नहीं ले गये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : श्रीमान् यह मुद्दा हरियाणा का भी रह जायेगा। मेहम में चुनाव हुये। मेहम में जो खून-खराबा हुआ वह आपसे छुपा हुआ नहीं है। मेहम में खून-खराबे में दर्जनों लोग मारे गये। कितने ही लोग लापता है। सैकड़ों लोग घायल हो गये। पुलिस लापता है। पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के सिपाही भी वहां लापता हो गये और प्रधानमंत्री जी ने उनकी सहानुभूति में एक भी शब्द नहीं कहा। आज तक भी अपनी जुबान से एक भी शब्द नहीं कहा है। जिस समय मानसिंह काण्ड हुआ था हमारे राजीवजी प्रधानमंत्री थे। मुख्यमंत्री राजस्थान में शिवचरण जी माथुर थे तीसरे दिन ही उनको मुख्यमंत्री पद से स्तीफा दिला दिया था, यह आपको याद होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चुनाव का समय था।

श्री ईश्वरलाल सैनी : लेकिन हमारे मेहम के मामले में चौटाला साहब ने कोई परवाह नहीं की और आज भी यही सफाई

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

दे रहे हैं कि, मेरे कारणों से कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा काण्ड हो गया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उच्च न्यायालय द्वारा जांच करवायी जा रही हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : चौटाला साहब के पुत्र साहब जो यहाँ आये हैं उनको या तो मंत्रिमण्डल में ले लीजिए वरना मैं कहता हूं कि आपकी कुर्सी हिलने लग जायेगी। वहां अभय सिंह मौजूद थे। आपको पता है कि चौटाला साहब के सुपुत्र साहब हैं उनको निकालने के लिए एक सिपाही का बलिदान दिया गया। उनको उस सिपाही के कपड़े पहना कर निकाला गया तो उसको मार दिया गया और शाम को उसकी बहन की शादी थी वह मातम में बदल गई। इससे शर्मनाक बात हमारे लिए क्या हो सकती है। जो आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं आपके लिए भी शोभा की बात नहीं है कि आज आप उनकी केन्द्र सरकार में हमदर्दी कर रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए।

हमारे प्रधानमंत्री जी के 100 दिन पूरे हुये तो उन्होंने एक प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने अपनी गलती सुधारी, उन्होंने अपनी गलती मानी और प्रधानमंत्री अपनी गलती मान ले इसके लिए क्या करना चाहिये, आप ही बता दीजिए। उनको त्यागपत्र दे देना चाहिये। उन्होंने माना है कि कश्मीर के मामले में गलती हुई है मुझे उस सरकार को बरखास्त नहीं करना चाहिये। जगमोहन जैसे व्यक्ति को उन्होंने गवर्नर बना दिया उसकी भी वह आज गलती महसूस कर रहे हैं। आज वह क्यों याद कर रहे हैं राजीव गांधीजी को, याद कर उनको समन्वय समिति में ले गये उनके नोहरे खाये हैं। मैं कभी भी तैयार हूं मिलने के लिए आप शायद देखते नहीं हैं, मालूम करते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। पढ़ा करो आपको मालूम पड़ जायेगा। बगैर किसी से कन्सल्ट किये, 370 में वहां के गवर्नर को पावर है कि वह कभी भी विधान सभा भंग कर सकता है यह भी बिना कन्सल्ट उन्होंने विधान सभा भंग कर दी इसके लिये आप पछता रहे हैं। आज क्या हालत है वहां पर सिर्फ जगमोहन की वजह से हालात सुधरे हैं जो वहां के गवर्नर हैं। आज हमारी वहां की सरकार वहीं रहती शेख अब्दुल्ला वाली सरकार तो, मैं समझता हूं कि आज वहां वो दिन नहीं देखना पड़ता। गलती उन्होंने मानी है इस गलती का सबसे बड़ा यही है कि उनको स्तीफा देना चाहिये। क्योंकि ऐसे वह है नहीं त्यागपत्र देंगे जब आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सिनकी है वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र देकर अपने घर चले जायेंगे। जैसे उन्होंने यू. पी. में किया था।

एक मुहिम चलाई है हमारे उप प्रधान मंत्रीजी ने। डिजनीलैंड प्रोजेक्ट हरियाणा में बनाया है। 28 हजार एकड़ भूमि इसमें अधिग्रहण की गई है। अब आप सोच-समझ लें जो किसान का नारा देने वाले जो किसान की मदद करने के लिए बहाना करने वाले हैं वह आज इतना बड़ा डिजनी-लैंड प्रोजेक्ट बना कर क्या हासिल करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उस में

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

किसको क्या देना चाहते हैं ? वह सिर्फ उनके खानदान का बटवारा है। उसके पीछे कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं इस 28 हजार एकड़ भूमि जो अधिग्रहण की गई है वह सारे किसान लोग त्राहि-त्राहिमान कर रहे हैं और जब भी यह उप चुनाव हुआ उसमें आपको यह नतीजा सामने आ जायेगा कि उनका क्या हाल होता है। अभी-अभी हमारे यहां एक ड्रामा भी रचा गया, उप प्रधानमंत्री जी के लिए, आप भी उनको मनाने के लिए गये आपको पता था कि मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जायेगी अगर देवीलालजी ने स्तीफा वापस नहीं लिया। वह तो एक ड्रामा मात्र था। उसके पीछे जो भावना थी वह और भावना थी वह एक अमेण्डमेण्ट लाना चाहते हैं। भावना यह थी कि कुछ तो राज्य सभा में उनके मेम्बर्स आ जायें, कुछ उनकी बात मान ली जाये। एक पत्र भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, व्यक्तिगत पत्र है। मैं इन बातों से आपसे सहमत हूं लेकिन इन बातों से मैं आपकी सहमति प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि मैरिट के आधार पर डिसीजन हुआ। कुछ अपने सम्बन्धियों को भी राजदूत बनाना चाहते हैं लेकिन प्रधान मंत्रीजी इसके लिए परेशान हैं कि मैं करूं तो क्या करूं इसलिए उनका एक ड्रामा था कि स्तीफा उन्होंने दे दिया उसके पीछे एक अमेण्डमेण्ट लाना चाहते हैं ताकि उनको जो हजारों एकड़ भूमि है वह सीलिंग से बच जाये वह अमेण्डमेण्ट अभी आपके सामने आयेगा उसको भी देख लेना। हमारे उप प्रधानमंत्री जी अमेण्डमेण्ट सिर्फ इसलिए लाना चाहते हैं। अब मैं आपके इस अभिभाषण में उसमें आपको एक बात याद दिला दूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने इसमें पुनः फिर घोषणा की है कि आप अन्त्योदय फिर लायेंगे। जिस वक्त आप मुख्यमंत्री थे और अपने ढाई-तीन वर्ष मुख्यमंत्रित्व काल में आपके जितने भी मंत्री थे वह सब का आपने अन्त्योदय किया था, स्वयं भी अपना अन्त्योदय किया था आपने। आपके गृह मंत्री का आपने अन्त्योदय किया था अंकुर सिनेमा है और उनका फार्म है और यही नहीं खान मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं हमारे बीच में, उन्होंने भी अपना अन्त्योदय खानो से कर लिया। ऐसे ही उस वक्त हमारे कृषि मंत्री थे उन्होंने भी अपना अन्त्योदय कर लिया। जितने भी मंत्री थे सबने अपना अन्त्योदय कर लिया है।

श्री हीरासिंह चौहान। दस साल तक आप शासन में थे उसके बाद, आपको किसने रोका था, आप जाँच करवाते। केवल भाषण देने से ही काम नहीं चलेगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अनाज के बदले जो आपने काम की घोषणा की थी उसकी फाइलें भी आज तक सड़ रही हैं और वह अनाज भी सड़ रहा है। उसके नाम से कोई काम नहीं हुआ। वह सारा काम मटियामेट है। उस नाम से सिर्फ आपने पंच-सरपंचों को अनाज बाँटा। उसमें यह भी है कि हम सारे ही चुनाव करवा देंगे जब आपके तीन वर्ष के शासनकाल में श्रीमान् आप कोई भी चुनाव नहीं करा सके केवल पंचायतों के चुनाव आपने जरूर कराये। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव से भी आप महरूम रह

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

गये । आपको पता था कि पंचायत समितियों के, जिला परिषदों के चुनाव हो गये तो हमारी मात हो जायेगी। आज आप सारे चुनाव करने की घोषणा कर रहे हैं मैं समझता हूं कि आप इसमें कहां तक फलीभूत होंगे, आप करा कर देख लीजिये आपको सब कुछ मालूम हो जायेगा। जो तीन-साढ़े तीन महीने पहले बात थी वह आज नहीं है और आज जो बात है वह अब नहीं है।

श्री डूंगरराम पंवार : आपकी तो फिटकड़ी फूलती ही रहेगी, आपका तो पत्ता साफ होता ही रहेगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपके हवामहल के सदस्य जो आज एक मंत्रीमण्डल में हैं उन्होंने जब यहां चुनाव हो रहे थे तो घोषणा की थी वह शायद आपको याद होगी कि डवलपमेंट चार्ज नहीं लिये जायेंगे और डवलपमेंट चार्ज नहीं लेते ही यहां पर धड़ाधड़ मकान बनने शुरू हो गये। जब हम जयपुर में आये तो हमारे पीछे और आगे कितने ही अतिक्रमण हो गये आपके एक बयान से कि मैं मंत्री बनूंगा और भगवान की दया से आपने उनको मंत्री बना दिया है। जब हम पूछने गये कि डवलपमेंट चार्ज में आप क्या करोगे, लेओगे कि नहीं लेओगे, भई यह घोषणा उन्होंने ही की है माननीय हवामहल के सदस्य ने। अब मैंने उन्हीं को ही मंत्री बना दिया उन्हीं से ही घोषणा सुन लेना। मैं समझता हूं कि क्या आप डवलपमेंट चार्ज नहीं लेकर जो उन्होंने घोषणा की थी अपने चुनाव में प्रलोभन देकर वोट बटोरे, क्या आप करोड़ों रुपये का नुकसान उठायेंगे। मैं समझता हूं जब आप जवाब देंगे तो इसका जवाब देंगे। रावी, व्यास, सतलज की जो 84 में उन्होंने बात की थी और जब हमारे राजीव जी थे उस वक्त भी एक सैटलमेंट हुआ था जब हमारे हरिदेव जोशी ने जवाब दिया था अब उसको आप बदलवा लेना। सरकार केन्द्र में आपकी है। उस रावी, व्यास, सतलज से कितना पानी आप ले आओगे और पंजाब और हरियाणा में जो पानी मिल रहा है उसके बदले में उनको कितना पानी देंगे और कितना ले आयेंगे हम देखेंगे कि कितना करते हो आप....

श्री यदुनाथ सिंह : किसी की गरदन काट दो और फिर कह दो कि चिपकाकर देखो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : गर्दन कटी नहीं है, हमने हमारे हिस्से का पानी छोड़ा नहीं है। हमारे हिस्से का पानी हम पूरा लाये हैं। वह तो इसलिये कि वह हिस्सा हमारा कोई भी नहीं काट सकता। वह हिस्सा हमें राजस्थान डवलपमेंट के लिये दिया गया। इण्टरनेशनल सैटलमेंट हुआ था, वह अपना नहीं था, वह केन्द्र सरकार और राजस्थान के बीच का नहीं था इसलिए वह हमारा जो पानी का हिस्सा है वह हमें मिल रहा है और मिलेगा वह तो उसमें हमें कम ही लेना था इसलिए कम ही पानी मिला। आप जो बता रहे थे वह आप गुमराह कर रहे थे सदन को। समय बहुत ले लिया मैंने सभापति महोदय, मैं जो माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़कर सुनाया, क्योंकि राजनीति

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

से प्रेरित था. मैं इसका विरोध करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय चम्पालाल जी बांठिया ।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : सम्माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसके समर्थन में मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं और मुझे आशा है कि पूरा सदन उसको सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा ।

सभापति महोदय, पिछले दस वर्षों में जो सरकार थी, उन्होंने इस राजस्थान के अन्दर साम्प्रदायिक सौहार्द्र का किस तरह से खिलवाड़ किया और जगह-जगह पर जो राजस्थान के अंदर दंगे इस कांग्रेस के शासन में हुये एक रिकार्ड मिसाल थी । देश का, राजस्थान का सिर शर्म से झुक जाता है उन बातों को याद करने के ऊपर कि इस सरकार ने उन दंगों के अन्दर आग भड़काई और दंगे इन्होंने जान-बूझकर भड़काये । जितने लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ, राजस्थान में ही नहीं सारे देश के इतिहास में इस प्रकार की मिसाल नहीं मिल सकती । अभिभाषण के अन्दर राज्यपाल महोदय ने जो बात कही है वह बात स्वागत योग्य है कि सभी सम्प्रदायों का समान रूप से वह आदर करेंगे और कोई भी जो गुनहगार है, उसको नहीं बख्शा जायेगा । इस सरकार ने, कांग्रेस की जो सरकार थी जिस प्रकार से राज्य के खजाने को लूटा है और जन-धन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है वह भी बेमिसाल है। शान-शौकत पर, ऐशो आराम के ऊपर, मंत्रियों के खर्चे इस प्रकार के इन्होंने किये कि आम गरीब जनता का उन्होंने कभी कोई ख्याल नहीं किया । अकाल के अन्दर इन्होंने मजदूरी दी एक रुपया, डेढ़ रुपया, ढाई रुपया । दिनभर तड़पता हुआ मजदूर, इस धूप के अन्दर जिस प्रकार से उन्होंने मजदूरी की, 11 रुपये मिनिमम कहकर और हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब 14 रुपये मजदूरी दी गयी उसके बाद भी इन्होंने मजदूरों का खून चूसा है । आज भी लाखों रुपया मजदूरी का, इस सरकार की वजह से लोगों का बकाया पड़ा है। टांकों का भी भुगतान यह सरकार नहीं कर पाई है । मैं याद दिला देना चाहता हूं अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, जनता राज की उस अनाज योजना की चर्चा कर रहे थे उस वक्त भी अकाल था और मजदूर अपने गांव के अन्दर पंचायत के बताये हुये काम का स्वयं गांव के अन्दर कहीं दूर जाना नहीं पड़ता था काम करने, पांच किलो गेहूं जब तीन रुपये किलो का भाव था, 15 रुपये बनता है श्रीमानजी उस वक्त याद कर लो क्या भाव था तेल का, क्या भाव था चाय का, बीड़ी का, शक्कर का, मोटे कपड़े का । जो गरीब आदमी के, गांव में रहने वाले आदमी के काम आता था उसके भाव बहुत सस्ते थे । वह 15 रुपये आपके जमाने के 100 रुपये होते थे और यही वजह है कि राजस्थान के दुरूस्त इलाके के अन्दर, जहां एक पत्थर भी देखने को नहीं था पांव धोने के लिए, देखते ही देखते ढाई-तीन वर्षों के अन्दर सारे गांवों के अन्दर कहीं पंचायत घर, कहीं पटवार घर, कहीं स्कूल, कहीं सड़कें, नालियां बन गयी थी इसके पहले आपके राज के अन्दर क्या हुआ था यह सब आपको अच्छी तरह से पता है और उसके बाद दस साल के

(श्री चम्पालाल बांठिया)

अन्दर आपने क्या किया इस बात को भी आपके सामने ला देना चाहता हूं।

मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनता राज के अन्दर और कहीं की बात नहीं करता, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। वहां पर एक साल के अन्दर जहां पांच डामर रोड सड़कें बनी, बालोतरा से समदड़ी, बालोतरा से पादरू पाटौदी, बालोतरा से किठनूद, बालोतरा से खेड़े तक की इन सड़कों को बार-बार डामर सड़क बताकर के कांग्रेस के गुर्गों ने उन पैसों को खाया अकाल के नाम पर। उसके बाद इन दस सालों के अन्दर एक भी सड़क बनी हो तो आप बताओ। आप तुलना करना चाहते थे जनता शासन की। आपकी तुलना में आपके पास कुछ नहीं है। अकाल के अन्दर पशु चारे के नाम पर किस प्रकार का आपने गबन किया है। आपकी कांग्रेस के अध्यक्ष ने जिला गौ सेवा समिति बनायी। जो आपके सांसद थे वह भी उसके सदस्य हैं। वहां के जो कोषाध्यक्ष हैं वह आपकी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं। उन लोगों ने तत्कालीन जिलाधीश से मिलकर किस प्रकार अकाल के पैसे का, पशु चारे का अपव्यय किया, गबन किया, यह रिकार्ड के ऊपर साबित है। वहां पर जितनी रसीदें मिलीं उन सब रसीदों के अन्दर काट-छांट है। जितने ड्राइवर्स थे उनके नाम को बदला गया है। रिखभ दासजी के नाम से जो चिट्ठियां आती हैं, वह विधान सभा के अन्दर मैंने पेश की हैं। जो छीजत मिली वह छीजत खा गये। दूरी का पैसा खा गये। फर्जी बिल बनाये गये। मोटर साइकल वाहनों के नम्बर आपने ट्रकों के नम्बर बताकर पैसा उठाया और करोड़ों रुपए का गबन किया। गाय के मुंह से चारा छीनकर आपके लोग यह चारा खा गये। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी यहां हाजिर नहीं हैं। उनके सामने यह बात बाड़मेर में मीटिंग के अन्दर आयी है। वह जवाब नहीं दे सके, उनको जवाब आया नहीं। उनकी मिलीभगत थी, मेरा चार्ज है। तत्कालीन मंत्री जो थे उन्होंने यह स्वीकार किया है इसी पवित्र सदन में कि इसकी जांच कराऊंगा, यह गबन का मामला है। केवल बाड़मेर का एक मामला था। क्या जांच करायी आपने? आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अभिभाषण को अस्वीकार करने की बातें करते हैं। दिल्ली की मनगढंत बातें लाकर, जम्मू कश्मीर की बातें लाकर राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। राजस्थान की जनता को सब अच्छी तरह से याद है कि किस प्रकार से आपने बुरे दिनों के अन्दर उनकी जेब के ऊपर डाका डाला है, उनके खून और पसीने के पैसे को किस प्रकार आपने लूटा है और अपनी शानदार इमारतें खड़ी की हैं, मौज और शौक के अन्दर आपने कोई कमी नहीं आने दी। उसी की वजह है कि राजस्थान की स्थिति इस तरह कमजोर है। करोड़ों-अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी आपके राज के अन्दर आप पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाये। जिस प्रकार हैण्ड पम्प घोटाला हुआ, वह राजस्थान की विधान सभा और राजस्थान की जनता जानती है। मेरे क्षेत्र का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बलाऊ जाति के लिए पेयजल योजना के ऊपर आपने 30

(श्री चम्पालाल बांठिया)

गांवों को जोड़ दिया। पाइप लाइन बिछा दी, कोटा-खेलियां बना दीं, हौदियां बना दीं, और अब जाकर पता चला है कि पानी के स्रोत का तो पता ही नहीं है। इस प्रकार से आपने पैसे का दुरुपयोग किया है। आपके कुशासन और भ्रष्टाचार की वजह से समस्त पश्चिमी राजस्थान में गांवों के लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। उनकी आत्मा चिल्ला-चिल्लाकर आपसे बदला लेने की बात कर रही है। अभी पूरा नहीं हुआ उनका बदला। आने वाले नगर पालिका और पंचायत चुनावों के अन्दर आपके लोग जिस तरह से धराशायी होंगे उसमें और उसके बाद आने वाले समय में भी याद रख लेना। आप अपने पापों का जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक यह बदला पूरा होने वाला नहीं है। जनता जागरूक है, जनता सब तरह से जानती है। आपके जो कुकर्म हैं वह छिपाये नहीं छिप सकते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : इनका मुंह खींचकर उधर कर दीजिए, साहब।

श्री सभापति : चेयर की ओर देखिये, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य को क्या परेशानी है, यह तो पूछिये।

श्री चम्पालाल बांठिया : पशु चारे के अन्दर जिस प्रकार से अकाल के समय में गबन हुआ है, वह बिल्कुल स्पष्ट है। जो सरकार गयी है वह कुछ नहीं करना चाहती थी। जांच उन्होंने करायी नहीं। आने वाले समय में इस प्रकार से लोगों का नुकसान नहीं हो, गरीब आदमी के साथ, पशु धन के साथ कोई इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं करे, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ सीधा मुकद्मा चलाया जाय, उनको कटघरे के अन्दर बन्द किया जाय।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी मुख्य मंत्री आये कांग्रेस के राज में, सबने प्रदेशों में जाकर प्रवासी राजस्थानियों को यह कहा कि आओ, राजस्थान के अन्दर उद्योग लगाओ, हम तुम को सारी सुविधायें देंगे। कुल मिलाकर जितने लोग आये उन को आपने क्या सुविधा दी? आने के बाद उनको आपने चूसने की, उनको लूटने की पूरी कोशिश की। यही वजह है कि जितने भी प्रवासी राजस्थानियों ने यहां उद्योग लगाये, वह सब चले गये। आपके उद्योगों का लाभ आपने किसको दिया? सीकर के जो भूतपूर्व सांसद थे उनके लड़कों को। नागौर के जो सांसद थे उनके लड़कों ने क्या इमारत बना दी। बूटासिंह जी जो गृह मंत्री थे उनके लड़कों को आपने कितनी इमदाद दी। उद्योगों का आपने किसको नाजायज लाभ दिया? उन लोगों को जो आपके खुद के नेता थे। लेकिन जो सही उद्यमी राजस्थान के अन्दर आकर काम करना चाहते थे उनकी आपने परवाह नहीं की। उनको आपने लूटने की कोशिश की, उनके ऊपर हमेशा लटकती हुई तलवार रखकर चुनाव के समय लाखों और करोड़ों रुपए उन से वसूल किये। आने वाले समय के अन्दर वह लोग भी आपसे जवाब पूछेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने

(श्री चम्पालाल बांठिया)

स्कूल और अस्पताल तो धड़ाधड़ खोले, लेकिन कब ? जब सत्र समाप्त होने वाला था । आज उन स्कूलों की स्थिति क्या है ? स्कूल तो खुल गये लेकिन अध्यापक नहीं हैं । अनेक मिडिल स्कूलों के अन्दर केवल एक अध्यापक है । ब्लैकबोर्ड तक नहीं है । आपने क्या किया ? केवल वाहवाही लूटने के लिए जाते-जाते किया, जिस प्रकार माननीय समर्थक महोदय ने कहा कि जब जाता है आदमी तो जाते-जाते कर जाता है कि यह कर देंगे, वह कर देंगे । लेकिन करने को आपके पास कुछ था नहीं । 10 साल के मौके में आपने कितने काम किये । पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो सड़कें, जो औषधालय बने हुए हैं उनकी आपने कभी हालत देखी है क्या ? प्रायः औषधालय बन्द पड़े हैं । जब बन रहे थे उनके अन्दर न ए. एन. एम. थी, न एम. पी. डब्ल्यू. है और न उनके अंदर वैद्य, उपवैद्य थे । कहीं भाग्य से वैद्य थे, तो औषधि नाम की चीज नहीं थी । सारी की सारी औषधियां बाजार में बिकती रहीं और आप देखते रहे । आपने कुछ नहीं किया । अब जाकर आप अभिभाषण का खण्डन करना चाहते हैं । हिम्मत की थी कभी आपके मुख्य मंत्री ने, कि भ्रष्टाचार के आरोप के लिए उनकी भी जांच हो सके ? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय भैरोंसिहजी शेखावत ने यह हिम्मत की है कि अगर भ्रष्टाचार में मैं भी दोषी पाया जाऊं तो मेरी भी जांच हो । आपके किसी मुख्य मंत्री ने इतनी हिम्मत की थी क्या ? कभी नहीं की । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभिभाषण में जो बातें कही गयी हैं वह केवल बातें नहीं हैं, आने वाले समय के अन्दर इन बातों पर अमल होगा । जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन सब लोगों की जांच होगी, वे कटघरों के अन्दर खड़े होंगे, आपको पता है कितने आरोप लगे हैं ? उनकी आपने गिनती की है क्या ? वह वापस आयेंगे आपके सामने, तब आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार से राज चलता है । आपने राज को अपनी जेब का, अपनी ठेकेदारी का और अपने पूर्वजों का राज समझ रखा था । जनता के पैसे को जनता का पैसा नहीं समझकर, अपनी बपौती समझकर जिस प्रकार आपने उसका अपव्यय किया, उसकी वजह से राजस्थान की स्थिति आज यह बनी हुई है ।

आपने इस क्षेत्र के अन्दर जो स्थिति बना रखी है वह किस प्रकार की है ? क्षेत्र के अन्दर गर्मी होते ही धूल भरी आंधियां चलती हैं । एक गांव से दूसरे गांव जाना बन्द हो जाता है । सारी बसें बन्द हो जाती है । मैटल जगह-जगह बिछा कर आपने कंकर खड़े कर दिये । वहां पर इंसान पैदल भी नहीं चल सकता । आपने इस प्रकार लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, कि जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी । इन्होंने जो पाप किये हैं उनका बदला तो जनता आने वाले समय में इनसे अपने आप ले लेगी, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं वर्तमान सरकार को कि जो कुछ कमियां ये छोड़ गये हैं, जिस से आम जनता आज परेशान है, पश्चिमी राजस्थान का जन-जीवन अस्त-व्यस्त है, लोगों के पास क्रय शक्ति नाम की चीज नहीं है । 6-6 वर्षों तक निरन्तर अकाल पड़ने से आज उनकी हालत बहुत कमजोर

(श्री चम्पालाल बांठिया)

हो चुकी है। अकाल राहत के जो कार्य किये हैं उनको मजदूरी इन्होंने नहीं चुकायी है। लोग भीख मांगने को मजबूर हो रहे हैं, अपना प्रदेश छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस रहे हैं। पशुधन इनकी नीतियों के कारण, इनके कार्य-कलापों के कारण आज आधा रह गया है। हमारा मुख्य धंधा पशु-पालन का था, आज वहां क्या स्थिति है। पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है, आने-जाने के रास्ते ठप्प हैं, बालू रेत चलने से वहां पर हम सहायता पहुंचाने में भी असमर्थ हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्थान-स्थान पर जो ग्रेवल पड़ी है, सरकार की खुद की सम्पत्ति है, जिसको ठेकेदारों से मिलकर इन्होंने चोरी की है। पड़ी हुयी ग्रेवल को इकट्ठी करके उन सड़कों पर बिछाया जाय, सड़कों पर से रेत हटायी जाय, सड़कों के किनारे पटरी बनायी जाय तो आने-जाने में सुगमता रहेगी तो वहां पर पानी का टैंकर भी जा सकेगा, वहां पर अनाज और मजदूरी का भुगतान करने के लिये गाड़ियां भी जा सकेंगी अन्यथा बहुत कठिन है। जो 50 वर्षों से पूर्व जो सड़कें बनी थी, राजा-महाराजाओं के समय में 96 के अकाल के पहले सड़क थी धोक से आगोलाई तक जिसके ऊपर बड़ी-बड़ी पंचायत मुख्यालय हैं, वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेण्टर हैं, पुलिस थाने हैं, वहां पर आने जाने के लिये कंकड़ बिछे हुये हैं उनका डामरीकरण किया जाय प्राथमिकता के आधार के ऊपर तो लोगों को कुछ राहत मिलेगी और मैं समझता हूं कि सरकार को खजाना खाली मिला है, पैसा नहीं है सरकार के पास लेकिन यह जिस प्रकार से काम छोड़ गये हैं वह इस प्रकार के काम हैं कि उनको पूरा करना है चाहे किसी प्रकार से करें हमारे लिये यह जरूरी है, आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि आने वाले समय के अन्दर जहां दुष्काल है वहां क्या हालत है? जन सहयोग से इस दुष्काल को पूरा करना है और इस सरकार को आम जनता जिस सहृदयता से देखती है, गरीब की नजर आपके ऊपर है। गरीब को आपने तीन साल तक पहले जिस प्रकार आपको मौका मिला था जिस प्रकार से आपने सहायता दी, जिस प्रकार से आपने दिल से लगाया और आपका एलान था कि राजस्थान के खजाने पर अगर किसी का पहला अधिकार है तो गरीब का अधिकार है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हीं आशाओं को आप पूरा करेंगे जनसहयोग से और अपनी कुशलता से और आने वाले समय के अन्दर राजस्थान को खुशहाली की राह पर ले जायेंगे।

मैं स्वागत करना चाहूंगा कि आपने अभिभाषण के अन्दर 5 वर्षीय योजना की तरह ही अकाल का स्थायी हल करने के लिये जिस प्रकार पंचवर्षीय योजना बनाने की बात कही है। अब तो समय आपके पास कम है अभी से राहत के कार्य प्रारम्भ करने पड़ेंगे। पानी की टंकियां सब की सब खराब पड़ी हैं इस सरकार के कुशासन की वजह से। इतने टैंकर्स वहां इकट्ठे कर दिये, टैंकर्स की रिपेयर नहीं हुई। बरसात की बून्द गिरते ही सारे काम-काज ठप्प। जहां पत्थर बिछा है पत्थर वहीं पड़ा रहेगा, जहां टैंकर्स पड़े हैं वहीं टैंकर्स पड़े रहेंगे उसके बाद में देखने की सम्हाल नहीं की।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

आज एक-एक जिले के अन्दर इन टैंकर्स की रिपेयरिंग के लिये 10-10 लाख रुपये चाहिये। इस प्रकार के कठिन काम हैं लेकिन आप सक्षम हैं, आप केन्द्र से भी पैसा लाने में सक्षम हैं, जनसहयोग एकत्रित करने में आप सक्षम हैं। मुझे आशा है कि आप विकट समस्या का समाधान अच्छी तरह से करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान की बहबूदी करेंगे, राजस्थान को विकास के पथ पर ले जायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : सभापति महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने गवर्नर साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

मैं इस तरह के पदों पर रहा हूं जहां दोनों पक्ष मेरे लिये बराबर होते थे, शायद मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद में उसको पढ़ा भी और आज सुबह से ही जो माननीय सदस्य इस अभिभाषण के पक्ष में भाषण दे रहे हैं उनको भी मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मारवाड़ी में एक कहावत है—

"बात पुरानी वो करे ज्यों रे घर घाटो"

इन्होंने 10-12 साल पुरानी बातों से अपना भाषण शुरू किया—उस वक्त यह हो गया, उस वक्त यह हो गया। ठीक है अच्छा काम किया गया होगा, अपने समय में सभी सरकारें अच्छा करने की कोशिश करती हैं लेकिन आप अगर इस भाषण को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें वर्तमान सरकार ने एक तरह से विपक्ष की भूमिका ही निभायी है। उन्होंने पूर्व सरकार की बुराइयां कीं, उनके ऊपर दोष मंडित किये लेकिन कोई एक-दो विभागों के बारे में तो उन्होंने रचनात्मक सुझाव जरूर दिये हैं बाकी यह नहीं कहा है कि यह सरकार किस तरह से क्या सुधार करना चाहती है? जनतंत्रवाद में सरकारें बदलती रहती हैं और आम तौर से जो विपक्ष होता है वह अपना एक छाया मंत्रिमण्डल रखता है उसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी होता है, अलग-अलग विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको मंत्री का दर्जा दिया जाता है और वह सदैव अगर शासन में किसी समय आ जाते हैं तो क्या योजनायें क्रियान्वित करेंगे उसकी तैयारी होती है। आप पूरा भाषण पढ़ लीजिये। 2-3 विभागों के बारे में तो रचनात्मक बातें कही हैं, अकाल के बारे में स्वागतयोग्य बातें कहीं हैं कि कोई योजना निर्मित की जायेगी और उसमें लोगों को आमंत्रित किया जायेगा, उनके सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे। बाकी इन्होंने किस तरह से क्या कार्य करेंगे, क्या नीति होगी, क्या कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे उनके बारे में इस अभिभाषण में और माननीय सदस्य जिन्होंने इस अभिभाषण के लिये धन्यवाद का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उन्होंने कोई बातें नहीं कही है।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मिसाल के तौर पर आपने कहा है कि पेयजल योजनाओं के बारे में पुनर्मूल्यांकन करेंगे। उसमें कितनी कमी-खामियां रह गयी हैं इस तरह की बात कही है। लेकिन इसमें 20-25 साल से चाहे हमारी सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो यह शिकायत रही है कि इन्होंने कार्यकारी ढंग से राजस्थान की पेयजल की समस्या को समझने की कोशिश नहीं की है और इसका नतीजा यह हुआ मुख्य मंत्रीजी विराजमान है जैसे-जैसे समय बीतेगा और ज्यों-ज्यो अरबों रुपयों का व्यय होगा त्यों-त्यों पेय जल समस्या और विकट होती जायेगी और इस बार भी गर्मी आयेगी तो देख लेना जहां यह समस्या नही होती थी वहां भी यह समस्या खड़ी होगी। कारण क्या है ? कारण यह है कि इन विशेषज्ञों ने और राज्य सरकार ने चाहे हमारी सरकार हो चाहे नयी सरकार हो उन्होंने इस प्रश्न पर गहराई से विचार ही नहीं किया। उन्होंने जलस्रोत क्या होना चाहिये ? उन्होंने पेयजल योजना का आधार भू-जल मान लिया। 90 प्रतिशत से अधिक योजना भू-जल पर आधारित है। राजस्थान आधे से अधिक मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके भू-गर्भ में पानी लाखों वर्षों में एकत्रित हुआ है और वर्षा यहां कम होती है पानी ज्यादा निकाला जा रहा है इसका नतीजा यह होगा कि पिछले साल जब अकाल था तो मरुस्थलीय कई योजनाओं में पानी कड़वा हो गया था, जहरीला हो गया था, समाप्त हो गया और बड़ी भारी हमारे लिये विपत्ति खड़ी हो गयी थी। क्योंकि हमारा आधार बना हुआ था भू-जल।

मैं आसन के माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप वर्षा के जल को उसका आधार नहीं बनायेंगे पेयजल समस्या का अन्तिम हल यही है कि वर्षा के पानी को भविष्य के लिये चाहे जमीन की सतह पर भू-गर्भ में एकत्रित करके रखा जाय और जब सतह पर वर्षा का पानी उपलब्ध नहीं हो उस अवस्था में भू-गर्भ से पानी निकाला जाना चाहिये। अगर आप अपने इतिहास को देखें, पढ़ें, पुराने शहरों को, गांवों को, तो साल में नौ दस महिने तक तालाबों के पानी को काम में लेते थे और दो तीन महिने जब तालाबों में पानी नहीं होता था उस अवस्था में भू-जल को काम में लिया जाता था। अब रात दिन बारहों ही मास उस पानी को निकाल रहे हैं। पानी की सतह मेरे देखने में जहां पर पच्चीस फीट गहराई पर पानी होता था वहां एक सौ पच्चीस फीट पर पानी चला गया है। और दो-चार साल में आप देखेंगे कि पानी समाप्ति पर आ जायेगा। तो इस पेयजल की समस्या का हल क्या है ? हल हमारे बुजुर्गों ने निकाला। राजस्थान मरु प्रदेश होते हुए भी, मरुस्थल में जितने सुन्दर तालाब, बांध और जलाशय हमारे पुरखों ने अरबों की लागत से बनाये हैं, हिन्दुस्तान में और संसार में कहीं नहीं है, यह मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन क्योंकि, ज्यादा अच्छे ट्यूबवैल आ गये, नई योजनाएँ आ गयीं इसलिये जितने पानी के परम्परागत स्रोत थे उनको हमने उजाड़ दिया उनके जो पायतन या कैचमेंट एरिया होते हैं उनके अन्दर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और वह टूट-फूट गये हैं और स्थिति यह आयेगी कि पांच छः साल बाद में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हमको इन जलाशयों के पुनर्निर्माण की योजनाएँ फिर बनानी पड़ेंगी और अरबों रुपया खर्च होंगे। आप दो-तीन शहरों का उदाहरण ले लीजिए। जोधपुर शहर, एक जोधपुर शहर को पेयजल देने के लिये आपने इसके सौ-सौ मील के अन्दर जितने भी सिंचाई के और खेती के चाहे भूमि के अन्दर पानी था या सतह पर था, सबके सब एक शहर के लिये ये पानी दिया जा चुका है। उन्नीस सौ उनचालीस में जब अकाल पड़ा और बालसमन्द, कायलाना में पानी समाप्त हो गया तो हेमावास बांध से एक नहर लाये, कुछ वर्षों के बाद में फिर अकाल की मार के कारण वह पानी भी पर्याप्त नहीं हुआ। तो 110 मील जवाई से लाये। जवाई में भी पानी समाप्त होने को हो गया तो साबी नदी से टनल बनाकर नहर से पानी लाये। वह भी प्राप्त नहीं हुआ तो इस दरम्यान में रामपुरा और मथानिया क्षेत्रों से पानी लाये और इसके आगे से और पानी लाये वह भी पर्याप्त नहीं हुआ तो रणसी गांव और पीपाड़ की तरफ से पानी लायें। यानि नजदीक में कोई भी पानी के स्रोत थे सब के सब एक शहर के लिये उजाड़ दिया गया। इसका आशय यह नहीं है, तात्पर्य यह नहीं है कि जोधपुर शहर को पानी नहीं दिया जाये जोधपुर को पानी दिया जाना चाहिए लेकिन इसका यह तो हल नहीं है कि कृषि के लिये, पशुपालन के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पानी बचे ही नहीं और एक शहर के लिये जवाई से लगाकर जितने बांध हैं वह सब इसको समर्पित कर दिये जायें। खैर, अब अन्तिम हल हो जायेगा, राजस्थान नहर से पानी आयेगा जब वह पूरी होगी लेकिन राजस्थान नहर का पानी सब जगह नहीं जा सकता। आप अगर अन्दाजा लगायें, विशेषज्ञों ने यह जानकारियां की हैं, उन्होंने अनुसन्धान किये हैं कि जहां दस इन्च बरसात होती है वहां पर भी प्रति एकड़ ढाई लाख गैलन पानी पड़ता है, अनापशनाप पानी है। पांच इन्च भी होती है तो भी वहां पर सवा लाख गैलन पानी प्रति एकड़ पड़ता है। ब्यावर का किस्सा ले लीजिए- ब्यावर के आसपास पहाड़ हैं, वहां से नदी नाले निकलते हैं। एक बढ़िया तालाब बना दिया होता तो, पानी पहले सैन्दड़ा से लाये, सैन्दड़ा से नहीं चला तो बीरांटिया से लाये, बीरांटिया से नहीं चला तो, उसके बाद नीमाज गये, एक जगह के लिये। इसी तरह से अजमेर का है, अजमेर तो पहाड़ों से घिरा हुआ है। खैर, आनासागर कोई पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन आनासागर के साथ आपने किया क्या है। इतना सुन्दर एक जलाशय था, उसकी क्षमता बढ़ायी जा सकती थी और पानी बांधा जा सकता था, तो वह तो किया नहीं और कहीं राजमहल से पानी लायें और कोई दूसरी जगह से पानी लायें और कोई योजना बना रहे हैं। तो मेरा नम्र निवेदन है, मुख्यमन्त्री जी से, नये-नये आये हैं, इसलिये आपमें उत्साह है, जोश है, नया कुछ कर गुजरने की बात है तो मैं यह चाहूंगा कि पेयजल की समस्या के लिये बहुत गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। और एक जो आमतौर पर जल स्रोत है, पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे और वह बात बिल्कुल सही है कि कई क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं हैं। क्योंकि उनमें नलों की खरीद

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

होगी, बहुत से भवनों का निर्माण होगा, ओवरहैड टैंक्स बनेंगे, मशीनें लगेंगी। इन लालच के अन्दर पानी के स्रोत को तो ढूंढा ही नहीं और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया जलप्रदाय योजनाओं पर लगा दिया तो अभी तो जिस इन्जीनियर को सर्वेक्षण पर लगा दिया जाता है वह समझता है कि उसको तो कोई कैदी हो गयी। मैं कहता हूं कि यह तो स्टेट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, चाहे इरिगेशन का सर्वेक्षण हो चाहे पेयजल का हो, जब तक उच्चाधिकार प्राप्त कोई संस्था नहीं होगी या कोई कानून द्वारा निर्मित संस्था नहीं होगी, आम तौर से इंजीनियर के पास ज्यादा से ज्यादा काम आवे। काम ढंग का है या नहीं है, उनसे कुछ रिटर्न होगा या समाज को लाभ होगा या नहीं। वह इस बात पर तैयार रहते हैं कि करोड़ का, डेढ़ करोड़ का, ढाई करोड़ का काम हमारे क्षेत्र के अन्दर आ जाये। और हम काम करते रहें। यह मैं कतई नहीं कहता कि इंजीनियर सभी गैर ईमानदार हैं। अच्छे भी बहुत से हैं, लेकिन आमतौर से हमने यह प्रवृत्ति पाई है कि चाहे सिंचाई के छोटे-मोटे बांध का हो या एनीकट का निर्माण हो, चाहे और किसी योजना का निर्माण हो इसमें बिना स्रोत की जांच किये और बिना आगे के परिणाम देखे कभी इन कार्यों को हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। नहीं तो हमारा करोड़ों-अरबों रुपया व्यर्थ में जायेगा। और समाज को लाभ पूरा नहीं मिलेगा।

दूसरा जो मुद्दे का सवाल कहना चाहता हूं, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, उसके लिये बधाई देता हूं कि इतने वर्षों तक हमारे यहां अकाल रहा और अकाल के लिये कोई स्थाई योजना हमने नहीं बनाई। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान और मरुस्थल में, और मरुस्थल में ही क्यों पहाड़ी इलाके हों चाहे दूसरे क्षेत्र हों, उनमें सड़कों का नितान्त अभाव है, दूरियां बहुत ज्यादा हैं। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है—

We have roads or we have no roads but we pay for roads ; but we pay more if we have no roads.

सड़कें हों या नहीं, समाज को सड़क का खर्च वहन करना पड़ता है, लेकिन अगर सड़क नहीं है तो यह समाज पर भार अधिक होगा। यानि सड़कों का इतना महत्व है। सड़कों के बगैर कोई क्षेत्र तरक्की नहीं कर सकता और सड़कें जैसी-तैसी भी हों। उधर भी माननीय सदस्य पुराने हैं, मरुस्थल के अन्दर बराये नाम सड़क है अकाल में उस इलाके की तरक्की में घास पहुंचाने के लिये वहां उत्पादित होने वाली फसल को ले जाने के लिये, चारा ले जाने के लिये, बहुत काम आयी हैं हर तरह की सड़क। इसलिये अकाल के अन्दर, जैसा बहुत से भाई कह देते हैं, मुझे हँसी आती है कई दफा कहते हैं कि ग्रेवल रोड का तो कोई मतलब ही नहीं है। वह बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि वह लैबर इण्टेनसिव है। उसके अन्दर खाने का प्रतिशत बहुत कम पड़ता है। इसलिये लोगबाग चाहते हैं कि डामर रोड ज्यादा से ज्यादा बने और उनसे भी ऊंचे स्तर की बने तो वह अच्छी बात

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

है, उस पर ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि दुनियां के उन्नत देशों के अन्दर भी सड़कों के निर्माण के बारे में कोई न कोई नीति है। हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय सड़कें हैं या राष्ट्रीय पथ हैं, पक्की हों, शानदार हों, इण्टरडिस्ट्रिक्ट सड़कें हैं, वह भी पक्की होनी चाहिए। तहसील और सब-डिवीजन को जोड़ने वाली भी पक्की होनी चाहिए। तो इस पर जो गांव आ जाते हैं उसमें टार रोड हो, उससे भी उच्च स्तर की हो, मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने से और चारों दिशाओं से हर गांव को मार्ग जाते हैं तो चारों तरफ अगर सड़कें बनाई जाती हैं, और जिसकी लागत तीन-तीन लाख और दो-दो लाख रुपये प्रति किलोमीटर हो तो हर गांव को हम चारों तरफ से कब जोड़ पायेंगे। सबसे सस्ता यह है कि हम ग्रेवल की सड़कें खूब बनायें। ग्रेवल की सड़कों को आप कायदे से बनायें नहीं, जितनी ग्रेवल डलनी चाहिये, उतनी ग्रेवल डालो नहीं, बरसात के बाद उसकी मरम्मत करो नहीं तो वह किसी काम की नहीं है लेकिन अगर आप मरम्मत करते रहते हैं और मरम्मत के अभाव में भी, मदेरणा साहब यहां बिराजे हैं, यह जानते हैं कि जोधपुर से एक सड़क हिजहाइनैस के टाइम की बनी हुई है, दिग्विजयसिंह जी की देखी हुई होगी जो सरदार समंद को जाती है वह सड़क 50 साल पहले बनी थी, ग्रेवल की है। कई कारणों से सबसे सीधी सड़क है उसको अपग्रेड नहीं किया गया, डामर की नहीं बनाई लेकिन उस पर क्योंकि एक-एक फिट ग्रेवल डाली हुई है तो वैसे की वैसे पड़ी है तो यह जो ग्रेवल की सड़कें हैं तो इनको एक तरह से बदनाम कर दिया है। मैं समझता हूं कि एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने में इन सड़कों को उच्च स्तर का महत्व दिया जाना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा निर्मित होनी चाहिये और जो हम अकाल के लिये योजनायें बनायें उसमें जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अकाल की विभीषिका को अगर हमें तोड़ना है तो इन सड़कों पर ज्यादा बल देना पड़ेगा और यह सड़कें ऐसी हैं जो 12 महीने लोगों को रोजगार भी देगी और अकाल की विभीषिका को भी कम करने में भी काम आयेंगी। तो आपने यह बात कही है। अकाल के लिये खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में हमको सब पार्टियों को मिल बैठ करके और ज्यादातर उसमें मिट्टी का ही काम है जो हम आसानी से कर सकते हैं। यह नहीं है कि मिट्टी के काम की गुंजाइश ही नहीं रही है, तालाबों का निर्माण, यह सबसे सस्ता है। आप एक महीना ट्यूबवैल चलायें उतना पानी नहीं आता जितना एक घंटे की बरसात से तालाब को भरा जा सकता है। जो अच्छे तालाब हैं उनके पेन्दे भी पक्के हैं। जैसे बाप का तालाब है, 22 गांव उस पर पानी पीते हैं। बहुत से ऐसे तालाब हैं। तो बाकायदा योजना बनाई जानी चाहिये। हर गांव के अन्दर अच्छे-अच्छे तालाब हैं, छोटी तलाइयां हैं जिनमें हम ज्यादा से ज्यादा जल एकत्रित कर सकते हैं। सड़कें बना सकें, खड़ीन बना सकें और यही नहीं विशेषज्ञों ने हमारी फसलों का गहराई से अध्ययन नहीं किया है। ठीक है बाजरा गेहूं जैसा नहीं है,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चावल जैसा नहीं है लेकिन बहुत उपयोगी है, बहुत पौष्टिक है, राजस्थान में बड़ी आसानी से पैदा होता है, कोई फसल ऐसी नहीं जो 6–7 इंच बरसात के अन्दर अगर ईवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो 6–7 इंच बरसात के अन्दर बाजरे की, ग्वार की, मूंग की, मोठ की पूरी भरपूर फसल हो सकती है और आमतौर से शिकायत यह रहती है कि एक वर्षा पहले वाली नहीं होती तो उसके लिये है कि हमारे जो फार्म पौंड हैं पक्के की स्कीम तो चली थी लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। कच्चे पाण्ड्स भी हम बना सकते हैं, मुफ्त में हमको बनाने चाहिये ताकि 25 हजार गैलन में एक एकड़ की हम एक सिंचाई कर सकते हैं अगर पानी वहीं पर एकत्रित किया जाता है तो मैं कहता हूं कि एक सिंचाई 10–12 एकड़ में आसानी से दे सकते हैं और जो हमारी मरुस्थल की फसलें हैं उसमें फसलों का भरपूर फायदा हो सकता है। आजकल जो चावल की, गेहूं की, मूंग की, मोठ की, ग्वार की जो कीमतें हैं उसका भरपूर लाभ मिल सकता है तो इसके अन्दर फार्म पाण्ड्स की स्कीम पर भी हमको बल देना चाहिये। यदि हम अकाल को वास्तव में समाप्त करना चाहते हैं या इसके कष्ट को कम करना चाहते हैं तो हमें सिंचाई के साधनों को बढ़ाना होगा एक बात पर मुख्यमंत्री जी, आप गहराई से विचार करो कि जितने भी बड़े-बड़े बांध और नहरें निर्मित हुई हैं इनसे अगर सीधा लाभ देखें तो जिसको रिटर्न बोलते हैं वह रिटर्न कितना होता हैं चाहे भाखड़ा बांध को ले लीजिये, सीधे पिलाई का चार्ज तो इतना ही है जिसमें उसकी नहरों की, भवनों की, गाड़ियों की और इंजीनियरों की तनख्वाह भी वसूल नहीं होगी, किसी को भी आप ले लीजिये, जो पुराने नाप-तौल हैं इससे इतना रिटर्न होना चाहिये उस दृष्टिकोण को छोड़ दीजिये, समाज को लाभान्वित करने वाले सिंचाई के कार्य है इन पर आप बल दीजिये और क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इस तरह के कई बांध या स्रोत नहीं बन सकते लेकिन छोटे-छोटे तालाबों फार्म पाण्ड कच्चे और पक्के दोनों तरह के हों इस तरह की कोई योजना बनायी जाये जिससे कि जो सिंचाई पर जो दूसरे लाभ मिले हैं वह मरुस्थल के किसानों को ही मिलें।

मरुस्थल के अन्दर, जैसा मेरा फलौदी क्षेत्र है उसमें आमतौर से चार सौ फीट के ऊपर, 125 मीटर के ऊपर पानी उपलब्ध है और उससे खेती करते हैं लेकिन हमारे पड़ौस में ही राजस्थान नहर से 25 या 30 रुपये एकड़ पर गेहूं और सरसों पैदा करते हैं और जो काश्तकार 400 फीट से पानी निकालते हैं उसका 800 या 1000 रुपया पर प्रति एकड़ सिंचाई का चार्ज आता है लेकिन बाजार में तो यह ट्यूब वैल से पैदा हुई 400 फीट गहराई से या नहर से पैदा हुई है उसका भेद नहीं होता तो वह व्यक्ति कितने नुकसान में है। इसलिए हमको चाहिये कि मरुस्थल के अन्दर, हर जगह नहीं, मरुस्थल में जो काश्तकार 80 या 100 फीट से अधिक गहराई से पानी निकाल कर सिंचाई करते हैं उनसे बिजली का चार्ज आधा ही वसूल किया जाना चाहिये यह इसमें मेरा सुझाव है।

(87)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

दूसरा यह है कि मैंने गुजरात के अन्दर एक अनुसंधान का पेपर पढ़ा था उसमें बलीते की लकड़ी पैदा करने के बारे में और उसमें भी खास तौर से अंग्रेजी बबूल से बलीते के लिये इनको खेतों के अन्दर लगाने की बात कही गई थी और पूरा खर्चा निकाल कर उसमें कहा गया है कि चार साल बाद में जब यह पूरी ऊंचाई ले लेगा या यह जब पक जाता है तो प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10 हजार रुपये एकड़ की आमदनी होगी। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर 15.5 करोड़ टन जलाऊ लकड़ी चाहिये। यह लकड़ी पहले हिमालय के जंगलों से आती थी वह जंगल भी साफ हो गये, वहां मनाई हो गई तो कुछ वर्षों पहले तक यह आसाम से आती थी, लेकिन वह भी अब समाप्त प्रायः हो गये तो अब कर्नाटक और केरल के क्षेत्रों से लकड़ी आ रही है लेकिन उसकी भी एक सीमा है और जो माननीय सदस्य मरुस्थलों से आते है उनको याद है कि अकाल राहत के कारण तो लोगों की जानें बची और अकाल से अब वह निकल गये लेकिन सबसे बड़ा आधार लकड़ी काटकर बेचना रहा है पिछले वर्षों में मुख्य धन्धा और उसका नतीजा यह हुआ है कि फोग जो बहुतायत से हमारे मरुस्थल क्षेत्र के अन्दर थी उसको काट दिया, झाड़ियां थीं अनाप-शनाप वह कट रही हैं और इस हिसाब से कटती रहीं तो यह मरुस्थल का सब विकास सब समाप्त हो जायेगा और इसके साथ हमारा पशुधन समाप्त हो जायेगा। इसलिए सरकार को बहुत ही ज्यादा उनको आर्थिक मदद देकर और मरुस्थल के काश्तकार को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे और दो-तीन एकड़ मरुस्थल जमीन के अन्दर वह प्रोसीपरस ड्यूली फ्लोरा जिसको अंग्रेजी बबूल कहते है उसको लगायें तो यह पक्की आमदनी का स्रोत होगा और हमारे जो वन और कीमती वृक्ष है वह इससे बच जायेंगे और देश के अन्दर जलाऊ लकड़ी की जो बहुत भारी कमी है उस कमी को भी हम दूर कर सकेंगे। यह पूरे भारत की बहुत बड़ी समस्या है। शहर में मल-मूत्र को बहाने की अति खर्चीली प्रणाली है जो हम ने अपनायी है। एक छोटे बच्चे के पेशाब करने पर पर 15 लीटर पानी खर्च होता है। कहीं पीने का पानी नहीं है और इसमें इतना पानी चला जाता है। यह प्रणाली आखिर में चल नहीं पायेगी। मैंने दुनिया का काफी भ्रमण किया है। चीन वगैरह देशों में यह प्रणाली केवल जो पांच सितारा होटल हैं या जो बाहर के लोग आते हैं उन तक होती है। अपने देश में इतने विशेषज्ञ हैं, अपने देश के अन्दर कई प्रतिभाशाली लोग हैं, कोई मल-मूत्र के लिये ऐसी विधि निकालें जिससे खाद बनाया जा सके। बहुत श्रेष्ठ खाद इससे बनती है और जो नगरीय आबादी है यह विशेषज्ञों के देखने की बात है। यह हंसी में टालने की बात नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है। इससे खाद का भी निर्माण कर सकते हैं। पानी की बचत कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यह सुझाव दिया है।

दूसरी जो विधि निकालने की है वह यह है कि तालाब का पानी विशेषज्ञ और इंजीनियर यह कहते हैं कि स्वच्छ नहीं किया जा सकता। कुएं या नलकूप से

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

जो पानी निकाला जाता है उसको फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन गांवों में जो छोटे-छोटे तालाब हैं उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। क्या उसको स्वच्छ नहीं किया जा सकता है। तालाब छोटे हैं और फिल्टर हाउस बड़े आकार में होते हैं। हमारे देश के गांवों को स्वच्छ जल किस तरह से उपलब्ध हो तालाबों से इसका कोई हल निकालने के लिए राज्य सरकार इंजीनियर्स को, विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करे ताकि इन छोटे तालाबों का पानी शुद्ध करके पीने के काम में लिया जा सके और उससे बीमारियां न हों।

कई जगह तालाबों को उजाड़ दिया गया है और उनका वापिस निर्माण हो जाये तो वे काम के हो जायेंगे। जोधपुर, बीकानेर में सुन्दर-सुन्दर पुराने तालाब थे उन सबको बर्बाद कर दिया गया है और उनके आगे अतिक्रमण हो गया है। केचमेंट एरिया के ऊपर अतिक्रमण हो गया है। इनको रोकने की व्यवस्था करनी चाहिये। ये कुछ सुझाव थे जो मैंने आपको दिये हैं। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल (अनुपस्थित) श्री टीकमचंद कांत।

श्री टीकमचंद कांत (रेवदर) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जैसा कि प्रस्ताव आया है उनका आभार और समर्थन करने का, मैं इसके समर्थन पर बोल रहा हूं। वैसे अभिभाषण पर दोनों पक्ष के लोग बोल रहे हैं। अपने-अपने दृष्टिकोण हैं। हमने इसमें एक आशा की किरण देखी है। पांच वर्ष की ऐसी आशा देखी है कि राजस्थान कुछ प्रगति, कुछ विकास कर पायेगा। किसान जो सपना देख रहा है वह सपना साकार हो पायेगा। लेकिन ना पक्ष के लोगों को शायद अच्छाई में भी बुराई नजर आती है लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य केन्द्र के बजट तक पहुंचे और उसके साथ-साथ ही समाजवाद की अपनी परिभाषा कर डाली उन्होंने शायद बजट का स्पष्ट चित्र नहीं देखा है। इस बजट के अन्दर जो कर लगाये गये हैं वह धनवान लोगों की चीजों पर लगाये गये हैं और गरीबों के काम आने वाली, किसानों, मध्यम वर्ग के काम आने वाली किसी चीज पर टैक्स नहीं लगा है। लेकिन दृष्टि अपनी-अपनी। कश्मीर के ऊपर भी आपने भावनाएं भड़काई। मैं राष्ट्रवादी हूं। पुराना जनसंघी हूं। यह कहने में संकोच नहीं है। लेकिन अगर यह बीज किसी ने बोये हैं तो इस पार्टी ने बोये हैं जो आज सामने बैठी है जिसको यहां की जनता ने रास्ता दिखा दिया है कि वह किस लायक है। धारा 370....

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने जो साम्प्रदायिकता की बात कही है और ये स्वयं कहते हैं कि मैं साम्प्रदायिक हूं। किस बारे में आप बात कर रहे हैं। जो पार्टी स्वयं साम्प्रदायिक है वह साम्प्रदायिकता की बात करती है....

श्री टीकमचंद कांत : बाद में गर्म होइये, जरा गर्मी खाना सीखिये पहले। मेरे कहने का तात्पर्य यह है....

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य स्वयं को साम्प्रदायिक कह रहे हैं, वही पार्टी दूसरों पर लांछन लगा रही है।

श्री टीकमचंद कांत : साम्प्रदायिकता का अर्थ भी समझिये। पहले मेरी बात सुन लीजिये। सदन का समय खराब मत करिये कृपया मुझे मेरी बात कहने दीजिये।

तो मैं यह कह रहा था कि जिस पार्टी ने धारा 370 को रखा है, तो अखण्ड भारत का सपना, भारत मां का सपना, जो इस सपने के लिए फांसी पर चढ़ गये, वह चकनाचूर हो गया। आज इस धारा 370 से समस्याएं हो रही हैं और फिर आप अखण्ड भारत देखना चाहते हैं। काश्मीर में जो धांधलियां चल रही हैं उसको आप समाप्त हुआ देखना चाहते हैं। आज हम 86 हैं लोकसभा के अन्दर देखिये कैसे धारा 370 के विषय पर बहुमत बनाते हैं। लेकिन शायद आप डुप्लीकेट बनते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप प्रधानमंत्री जी से कह कर हटा दें 370।

एक माननीय सदस्य : यह +++ क्या हटा सकती है। (व्यवधान)

श्री टीकमचंद कांत : माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के विषय में कह रहे थे। राजस्थान के अन्दर उसने 125/130 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 70 प्रतिशत से ऊपर उसको स्थान मिले हैं। फिर आप कहना क्या चाहते हैं? हमारा राष्ट्रीय समझौता था कि विपक्ष एक होकर लड़े ताकि आप लोगों को मौका नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी ने 70 प्रतिशत स्थान प्राप्त किये हैं और जनता दल को मिला कर हमारा दो-तिहाई बहुमत है।

आप महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और महात्मा गांधी का काम नहीं करते हैं। महात्मा गांधी का सपना अन्त्योदय के रूप में अगर किसी ने साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने। जिस काम को आप नहीं कर सके, जिसका अंजाम हमें देना पड़ रहा है। हर अन्त्योदय दीप के साथ हम महात्मा गांधी का नाम लेंगे। चिन्ता की एक ही बात है। महात्मा गांधी को हम नहीं भूले हैं, आप भूले हैं। नारा क्या यह नहीं हो सकता, राजीव भगाओ, कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ। यह नारा सही हुआ। पच्चीस की पच्चीस सीटें आई हैं और राजस्थान से लोकसभा में धूप देने वाला एक भी नहीं है। किसको लाने की बात कर रहे हो। स्वतन्त्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस का जिसको फर्क नहीं मालूम, 100 करोड़ और 10 करोड़ का फर्क जिसको मालूम नहीं, उस व्यक्ति के लिये आप दुहाई देते हैं, बड़ी होशियारी प्रदर्शित करते हैं। आप जब कह रहे थे, तो आपके वरिष्ठ साथी को यह मालूम है आप उनसे पूछो तो सही। चुनाव के समय जब वे भाषण देते थे और वोट मांग रहे थे तो जेब से चाकू निकाल कर कहते थे, यह चाकू लो, मुझसे भूल हुई है, मेरी नाक काट लो लेकिन मुझे हराना मत ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? यह पाप नहीं तो क्या था। यह तुम्हारे काले कारनामे नहीं थे तो क्या थे। यह जनादेश जो आज मिला है, यह तुम्हारे पिछले काले कारनामों के विपरीत मिला है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आजादी के बाद बराबर विपक्ष हारता रहा, वह अपने कारनामों से हारा था।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री टीकमचंद कांत : धीरूभाई अंबानी को एक ही रात में 80 करोड़ का मुनाफा कराने वाली पार्टी के लोग आज हमें कहने जा रहे हैं, हमको समाजवाद की परिभाषा बताना चाह रहे हैं।

सभापति महोदय, कांग्रेस के किले के कंगूरे तोड़ दिये हैं जनता ने। दो बार विधान सभा के अन्दर से भागने वाले, पिछले ही सत्र की बात थी जब यहां से भाग छूटे थे वह, जवाब नहीं दे पा रहे थे, आज सामने आकर बैठे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं।

सत्ता सेवा का माध्यम है यह हमारा नारा है। फलस्वरूप आज यहां की जनता ने यह शासन बदला है, परिवर्तन लाया है? मजाक के विषय भी आपके बहुत हैं। केन्द्र में सत्ता पलट गई। राजस्थान के अन्दर सत्ता को वापस हासिल करने के लिये जो तरीका अपनाया, मुझे ऐसा लगता है कि वर्षों से इस विधान सभा के अन्दर बैठने वाले माननीय सदस्यों को यह मालूम नहीं था कि आसाम का राज्यपाल, राज्यपाल के सामने शपथ नहीं ले सकता है। आसाम के राज्यपाल का स्तीफा दिये बिना, अगर दिया भी तो मंजूर हुए बिना यहां राज्यपाल भवन के अन्दर पहुंच गया शपथ लेने के लिये मुख्यमंत्री के रूप में, यह कितनी बड़ी मजाक है। यह वरिष्ठ पार्टी जो वर्षों तक सत्ता के अन्दर बैठी, वह वरिष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में भी वहां बैठे हुये थे, उनको यह मालूम नहीं था, राज्यपाल मुख्यमंत्री की शपथ राज्यपाल के सामने नहीं ले सकता है, यह कितना बड़ा मजाक है। (व्यवधान)

श्री रामप्रसाद (बैर) : उप प्रधानमंत्री बोला जा रहा है, और राष्ट्रपति महोदय मना कर रहे हैं कि उप प्रधानमंत्री नहीं बोला जायेगा।

श्री टीकमचंद कांत : आपकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं रिपोर्टिंग पढ़ लूंगा उसके बाद जवाब दे दूंगा।

श्री रामप्रसाद : मतलब यह है कि आपकी उप प्रधानमंत्री की कोई पोस्ट ही नहीं हैं, राष्ट्रपति महोदय यह कह रहे हैं कि उप प्रधानमंत्री की पोस्ट ही नहीं है फिर आप....

एक माननीय सदस्य : अगरबत्ती लेकर बोलिये।

श्री रामप्रसाद : पहले अपने वहां देखो ना।

श्री टीकमचन्द कांत : सभापति महोदय, राजस्थान किन हालातों में जीया, किस रूप में जीया। मैं राजस्थान के उस छोर की बात कर रहा हूं जो गुजरात से लगता है। वह विधान सभा क्षेत्र जो रेवदर विधान सभा क्षेत्र कहलाता है। उस क्षेत्र का स्वरूप देखिये, एक तरफ उद्योगपति पनप रहे हैं, पहाड़ों के अन्दर जिन्दा रहने वाले लोग एक छोटी धोती और बिना अंगरखी के जी रहे हैं तो कहीं मरुस्थल दिखाई दे रहा है। किसान वहां का दुखी है और सब कुछ देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद दो सौ विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर दो सौवां नम्बर किसी क्षेत्र का है तो रेवदर का है। आज रेवदर रो

(श्री टीकमचन्द कांत)

रहा है उस कांग्रेस के काल को। आज रेवदर चीर फाड़ने के लिये तैयार खड़ा हैं उस कांग्रेस शासक को और उन कांग्रेसियों को। आज शायद आकर वह सभा करने वहां बैठ जाय तो उनके चिथड़े-चिथड़े करके रेवदर क्षेत्र से फेंक सकता हैं। उसका कारण, सभापति महोदय, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 25 प्रतिशत वोट आदिवासी जनता के हैं, जहां 20 प्रतिशत मत अनुसूचित जाति के हैं और 50 से 55 प्रतिशत के अन्दर दूसरे लोग हैं। उस क्षेत्र को इन्होने वर्षों पिछड़ा हुआ रखा, जिसका आज भोग हमें भुगतना पड़ रहा है, वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में उसको देखा जाय तो आबू की पहाड़ियों से निकल कर जो जल वहा बहता है वह 4 हजार एम. सी. एफटी. है। जानते होंगे, 4 हजार एम. सी. एफटी. जल का कहीं संग्रह नहीं हो पाया। उस पानी को कहीं सिंचाई के काम में नहीं लिया गया। वह पानी गुजरात जाता रहा और गुजरात वालों ने वहां अपने बांध बना लिये। कभी-कभी तो हमारा इतना पानी बहा कि वहां फ्लड आ गया। उस फ्लड को रोकने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली लेकिन वर्षों वह पानी बहता रहा, आज तक उसकी सुरक्षा या सिंचाई के काम में उस पानी को नहीं लाया जा सका। अभी वरिष्ठ माननीय सदस्य फलौदी से आये हुए कह रहे थे, पानी पीने के बारे में सुझाव दे रहे थे और मैं यह कह रहा हूं कि 4000 एम. सी. एफटी. पानी उस क्षेत्र का अगर रोक दिया जाय तो पीने के पानी की सुविधा हो जायेगी और 40 हजार एकड़ भूमि उससे पिलाई जा सकती है, राजस्थान में उत्पादन का एक बहुत बढ़िया क्षेत्र वह रेवदर बन सकता है। आज इन लोगों ने उस क्षेत्र को पीछे रखा।

सूकड़ी सैलवाड़ा बांध उस बांध का नाम है, महाशय। सभापति महोदय, उस सूकड़ी सैलवाड़ा बांध का सपना उस रेवदर को 25–30 साल से दिखाया जाता रहा। उन भ्रष्ट नेताओं ने वोट देने के लिये ढोल बजा-बजा कर लोगों को इकट्ठा कर लिया, सूकड़ी सैलवाड़ा बांध हम बांध लेगे। 25 साल तक 48 से 50 गांव उससे लाभान्वित होने वाले पिछले कई सालों से उनको वोट देते रहे, मत देते रहे सूकड़ी सैलवाड़ा बांध के नाम पर। सूकड़ी सैलवाड़ा बांध कुछ करोड़ की योजना थी, आज 11·23 करोड़ की योजना हो गई। सूकड़ी सैलवाड़ा बांध आज रेवदर का सपना हो गया। इस सदन के अन्दर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मुझे जो आशाएं लगी हैं उसके लिये उस पिछड़े क्षेत्र का वह सपना शायद साकार इन पांच वर्षों में कर सकें, उस आशा के फलीभूत मैं कह रहा हूं कि सूकड़ी सैलवाड़ा बांध, मैं वादा करके उस क्षेत्र से नहीं आया लेकिन उस क्षेत्र की जनता की यह आवाज, सूकड़ी सैलवाड़ा बांध के लिये मैं आशा लगाये बैठा हूं, मेरा क्षेत्र आशा लगाये बैठा है कि सूकड़ी सैलवाड़ा बांध बन जाय। लहलहाते खेत वहां उपजाऊ भूमि से फसल पैदा करें, किसान हमारे समर्थ बने, यह सपना साकार हो जाय।

(श्री टीकमचन्द कांत)

सभापति महोदय, एक बड़ी मजाक की बात है। आज से दस वर्ष पूर्व टाडा का पैसा दस लाख रुपया भैंसासिह बांध के नाम पर वहां खर्च आ गया आदिवासी क्षेत्र के अन्दर। दस साल से वह दस लाख की पूंजी 50 लाख हो गई। दस लाख नहीं पचास लाख। दस साल से वह लगी हुई पड़ी है। उस पूंजी को अगर व्यापारी को दिया होता तो न मालूम कितना ब्याज बढ़ता। उस लगी हुई पूंजी में से वह लगी हुई दीवारें उस बांध की आज तक ऊपर नहीं हो पाई। मात्र डेढ़ करोड़ रुपये के लिये। 3.50 लाख और लग जाते, भैंसासिह बांध बन जाता। करोड़ीधर का बांध उस 40 हजार एम. सी. एफटी. पानी का एक भाग रोकने के लिये काम आयेगा।

सभापति महोदय, मेरे उस क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं के अन्दर से 25 सिंचाई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। और रुपया कितना चाहिये? सिर्फ 225 लाख। 25 सिंचाई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, रुपया चाहिये सिर्फ 225 लाख। क्यों गरीब होता गया वहां का किसान? किसलिये उसको ठगा जाता रहा? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक आशा लगाये बैठे हैं कि उन अधूरी योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जायगा। इस अभिभाषण के अन्दर मुझे उम्मीद है, आशा है कि शायद वह अधूरी योजनाएं वहां शीघ्र पूरी होंगी।

सभापति महोदय, इन्होंने मरु विकास का एक कार्यक्रम हाथ में लिया। इस में मुझे यह मालूम नहीं पड़ा कि जब 40 गांव इससे ग्रस्त हैं उस क्षेत्र के और उस क्षेत्र के 9 गांव ही लिये गये। यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। यह कांग्रेस सरकार की पुरानी कौन सी नीति रही कि 40 गांव जिस क्षेत्र के बिल्कुल मरु के रूप में आपको नजर आते हैं। कोई भी पैमाना ले लीजिए वह 40 गांव मरु ही के रूप में रहेंगे। उनके अन्दर सिर्फ नौ गांव मरु विकास कार्यक्रम के अन्दर लिये गये हैं। मैं चाहूंगा कि इस बार जो नई सरकार है वह इसका पुनः सर्वेक्षण करे और इन 40 गांवों को भी मरु विकास कार्यक्रम में सम्मिलित करे।

सभापति महोदय, बिजली में 132 के. वी. की लाइन शायद उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन रेवदर क्षेत्र के लिए 132 के. वी. की लाइन बहुत बड़ी बात है। आज तक वह क्षेत्र 132 के. वी. की लाइन नहीं देख सका। 132 और 33 के. वी. का जी. एस. एस. नहीं देख सका। इस कारण इस रेवदर क्षेत्र में फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाने की इतनी बड़ी क्षमता होने के बावजूद भी वहां कुछ भी नहीं लग पाया क्योंकि वहां बिजली हम को नहीं मिल पाई। वहाँ खानों के अन्दर हमारे पास प्रचुर मात्रा में बहुत अच्छे पत्थर हैं। उन पत्थरों की न मालूम कई, कैसी भी फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। उससे सीमेंट का कारखाना लगाया जा सकता है लेकिन बिजली नहीं होने के कारण उस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया। मेरा कथन है या मेरा मानना है कि 132 के. वी. की लाइन और 132-33 के. वी. जी. एस. एस. का शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर

(श्री टीकमचन्द कांत)

उसका निर्माण कराया जाय। अभी शायद प्रारम्भ हुआ है लेकिन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय तो इस रेवदर क्षेत्र के अंदर जो कुछ हम देखना चाहते हैं उसका एक आधार बनेगा।

मैंने एक बार नाप की थी वहां सड़कों की। 750 कि. मी. सड़कें चाहिए उस क्षेत्र में गांव से गांव को जोड़ने के लिए। 750 कि. मी. तो नहीं मिल पाएंगी। विकास के अन्दर पीछे रहा रेवदर। एक बार तो मेरा मन होता है सभापति महोदय, उस रेवदर को यह सदन गोद ले ले। यह दो सौ माननीय सदस्य एक-एक कि. मी. भी सड़क का क्षेत्र देवें तो 200 कि. मी. सड़क उस क्षेत्र को मिल जाएगी। वर्षों पीछे रहा रेवदर एक बार इस लाइन में आ जाएगा जिस लाइन के अन्दर अन्य क्षेत्र हैं राजस्थान के। मैं रेवदर को हमारा बनाना चाहता हूं और इस राजस्थान को तो मैं मेरा कहता हूं। शब्दों का थोड़ा फर्क हो जाएगा। इस रेवदर को एक बार हमारा बना दीजिए। इसके विकास के लिए मैं सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेवदर के विकास के लिए एक बार पुरजोर आवाज उठाइये। यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र का शोषण हुआ है पिछली सरकार के अंदर। अतः मैं चाहूंगा कि इस रेवदर का विकास युद्ध स्तर पर किया जाय। इसको समानता पर लाया जाय जिस स्थान पर और क्षेत्र हैं उनके समान लाया जाय। हम रिजर्वेशन और आरक्षण की बात करते हैं। एक बार उस आरक्षण का लाभ हमारे रेवदर को दे दीजिए इस 5 वर्ष के लिए ताकि देवदर का सुधार हो सके। शायद वह अन्य क्षेत्रों के बराबर आ जाएगा।

उद्योग वहां पनप सकते हैं। गुजरात की सीमा पास में लगती है। हीरे का बहुत बड़ा उद्योग वहां पर पनप सकता है। अगर इस बार इसकी तरफ हम देखें। अगर सरकार चाहे, उद्योग विभाग चाहे और अगर कुछ प्राथमिकताएं हीरे के उद्योग के लिए वहां तय कर दें उस क्षेत्र में तो मैं कह सकता हूं हीरे के क्षेत्र में कम से कम 4 से 5 हजार युवकों को वहां रोजगार मिल सकता है। यह बहुत बड़ी बात है 4-5 हजार युवकों को रोजगार सिर्फ एक विधान सभा क्षेत्र के एक कोर्नर से जो गुजरात से लगता हुआ है। लेकिन इसके लिए हमें इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। उस क्षेत्र का हमें विकास करना है। वहां यह सब हो सकता है। कमियां हैं वह तो हैं ही।

पानी के लिए जैसा कि मैंने कहा इस क्षेत्र में 40 से 50 फुट नीचे चले जाइये, सभापति महोदय, इस क्षेत्र के जैसा कि माननीय वरिष्ठ सदस्य फलौदी से पधारे उन्होंने कहा था। बिल्कुल ठीक ही कहा पीने के पानी की समस्या पर, वहां पर वास्तव में 40-50 फुट नीचे खोदने के लिए जाएंगे तो शीट रॉक आती है उस शीट रॉक का मतलब है जहां तक वह रॉक है उसको खोदते चले जाइये, वहां पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। पानी उसकी सतह के ऊपर जितना है उसी को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि

(श्री टीकमचन्द कांत)

वहां जो सिंचाई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं उनके अन्दर एक बार पानी बहने दीजिए और बांध और एनीकटों को पूर्ण होने दीजिए, सिंचाई के लिए आपको कूआ खोदने के लिए एक पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। न हैण्ड पम्पों की हम मांग करेंगे। वह पानी अगर शीट रॉक पर आ जाएगा तो हम थोड़ी सी खुदाई के अन्दर पानी प्राप्त कर सकेंगे। लोगों को पीने का पानी मिलने लग जाएगा और पीने के पानी की समस्या का हल भी इसके साथ ही हो सकता है यदि सिंचाई योजनाएं समय पर पूरी करली जायें।

इसके अलावा और भी कई कमियां हैं सभापति महोदय, आबू रोड को रेफरल हास्पीटल दे दिया जिसका मतलब यह होता है कि 2 जूनियर स्पेशलिस्ट और 6 सी. ए. एस. यानि 8 डाक्टर और उनके अनुपात में कम्पाउण्डर और नर्सें और हमारे वहां कुल मिलाकर शायद 4 का ही स्टाफ है। यह रेफरल हास्पीटल है, यह है कांग्रेस का कारनामा। नाम रेफरल हास्पीटल दे दिया स्टाफ नहीं। और जगह जहां मिनी पी. एच. सी. वगैरा है, वहां भी यही हालत है सभी में स्टाफ की यही हालत है। सभापति महोदय, इस कांग्रेस के कमी वाले शासन के अन्दर, काले कारनामों वाले शासन के अन्दर जिसकी इतिश्री भारत की जनता ने, राजस्थान की जनता ने कर दी। रेवदर भी पीछे नहीं रहा। बूटासिंहजी को हराने के बाद, छोगालाल बाकोलिया जो केबीनेट मंत्री थे उनको भी रास्ता दिखा दिया और इस परिवर्तन के साथ और परिवर्तन के बाद इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर मिलती हुई आशा की किरण के साथ मैं आशा और उम्मीद रखते हुए, मेरे रेवदर का विकास होगा इस उम्मीद के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, 16 मार्च को महामाहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया उसको मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद चार बार मैंने उसको पढ़ा। इससे नीरस और बोगस कोई अभिभाषण आज तक विधान सभा में पढ़ा नहीं गया। वह धन्यवाद प्रस्ताव जो नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा और आपने उसका समर्थन किया....

श्री टीकमचन्द कांत : माननीय सदस्य, नीरस और रसदार किसे कहते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह तो सब आप जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : चार बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : समझ में आया यह आलोचना के लिये आलोचना का दस्तावेज है। इसमें न तो कोई नीति बताई गई है और न सरकार की क्या नीति होगी, सरकार कैसे काम करेगी, कैसे-कैसे विकास के काम करेगी, कुछ भी नहीं है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

केवल मात्र एक, आगे मैं बताऊंगा आपने क्या किया है।

जो चुनाव हुए उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 49.53 लाख वोट मिले यानि 33.58% वोट कांग्रेस को मिले। भा. ज. पा. को 37.7 लाख वोट मिले और 25.13% वोट मिले। जनता दल को 21.66 लाख वोट मिले प्रतिशत के हिसाब से 21.46% वोट मिले। जहां तक केन्द्र का सवाल है वहां 138 सीटें जनता दल की आई। कांग्रेस की 193 सीटें आई तो कुल मिला करके जो जनादेश आया है वह यह समझें कि इनके लिए बहुत अनुकूल है और हमारे लिए बहुत प्रतिकूल है, मैं समझता हूं जनादेश जो जिसको मिला है उसका आदर करना चाहिए और जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह कहा कि कांग्रेस की नीतियां और, और कोई कारणों से कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा तो आप आजादी के बाद कितनी बार विपक्ष में बैठे ? तो जो जनादेश जिसको जैसा मिल जाय उसका आदर करना चाहिए और जो जिसको भूमिका निभानी है वह भूमिका निभानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अनीतियों के कारण।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अनीतियां तो आपने कीं। 80-80 सीटों का चुनाव समझौता किया और उसमें 8 सीटों पर भा. ज पा. ने समझौते को माना नहीं। लिखित रूप में नाथूराम जी मिर्धा ने इसका विरोध किया। (व्यवधान) जो लिखित में समझौता करने के बाद भी मुकर जाते हैं और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है यह भी लिखित में है। इसके ऊपर भी क्या विश्वास है। इसी तरीके से सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो जनादेश लिया है, इन्होंने जनता को धोखा दिया है। इस रूप में दिया कि साम्प्रदायिकता की आड में इन्होंने चुनाव लड़ा, कहीं राम जन्म भूमि का नाम लेकर, कहीं पर बाबरी मस्जिद का नाम लेकर और कहीं पर इन्होंने लोगों को अलग-अलग प्रकार के असत्य चुनावी झांसे दिये और झांसापट्टी में....(व्यवधान) आप कितना ही डिस्टर्ब कर लें, मैं तो मुझे जो बात कहनी होगी वह तो कहूंगा ही, ज्यादा आप करेंगे तो और जोर से कहूंगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापतिजी, थोड़ा व्यवधान सत्तापक्ष वाले कम डालें....

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा लगता है कि यह अभी भी विपक्ष में ही बैठें हों। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो पार्टियां लिखित में समझौता करके भी अपने वचन पर कायम नहीं रहती और, लिखित में जो समझौता होता है उसके ऊपर भी अमल नहीं करती हैं और आपस में एक दूसरे का विरोध करती हैं वे कैसे साथ रहेंगी ? अभी तीन दिन पहले इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गयी थीं जब देवीलालजी ने इस्तीफा दे दिया था,...

श्री हीरासिंह चौहान : आपकी रगों में खून बहने लग गया था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमने तो यही कह दिया था कि यह चेपा चेपी की सरकार है। एक बार चेपा लगेगा। लेकिन यह कच्चा चेपा है, पक्का चेपा नहीं है....

श्री डूंगरराम पंवार : हमारी पार्टी तो अमल नहीं करती लेकिन आप तो +++ सभी कुछ करते हो। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने वाला नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बहुत अच्छी बात है नहीं टूटेगा तो। 1977 में जिनको एब्सल्यूट मेजोरिटी मिली वही 5 साल तक स्थाई प्रशासन नहीं दे सके तो यह भापजा, नाजपा की बैशाखियों पर जनता दल की केन्द्रीय सरकार कैसे चल पायेगी ? यह तो आने वाला भविष्य ही बतायेगा। सभापति महोदय, जो कच्चा मकान होता है वह कभी भी गिर सकता है। यह केन्द्रीय सरकार उसी तरह के मकान वाली सरकार है। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि एक महखाना है, एक सनमखाना है, रिंद और शेखजी में बड़ा फर्क है। क्या मोह-माया है। दोनों में बनती नहीं है। एक इधर जायेगा और एक उधर जायेगा। देवीलालजी अपनी डफली अलग बजा रहे हैं, वी. पी. सिंह जी अलग अपनी डफली बजा रहे हैं। कल ही लोक सभा में, हमेशा देवीलालजी वी. पी. सिंह के पास बैठते थे लेकिन कल वो दूसरी जगह बैठे और जो क्रम था बैठने का उन्होंने उसको भंग किया है। ऐसा लगता है उनमें अभी तक मनमुटाव मिटा नहीं है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में भी ललित किशोर चतुर्वेदीजी और भैरोंसिंहजी में बनती नहीं है। नाथूरामजी और भैरोंसिंहजी में नहीं बनती है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको क्या सपना आ रहा है ?

एक माननीय सदस्य : माथुर साहब और जोशीजी की स्थिति क्या है यह आपको मालूम है क्या ?

श्री डूंगरराम पंवार : अब यह कारीगरी नहीं चलेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : केदारजी और भैरोंसिंहजी में नहीं बनती है।

श्री केदारनाथ : यह किसने कहा है आपको।

श्री डूंगरराम पंवार : आपको पंचायती करने नहीं बुलायेंगे। अब यह मसालेदार भाषण कोई रंग नहीं ला सकता। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : चलो अच्छी बात है। मेरी बात से आपको गुस्सा आ जाय और एक हो तो....(व्यवधान) वह तो मैं आपके सब ठीक कर दूंगा।

श्री डूंगरराम पंवार : जनता ने तो आपको ठीक कर दिया। अब आप क्या ठीक करेंगे। (व्यवधान)

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो आपके सुराणाजी को हरा करके आया हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, या तो आप इस व्यवधान को दूर करें या पहले इनको बुलवा लें, मैं फिर बोल लूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण जी अडवाणी बजट के बारे में यह कहते हैं कि यह बजट जो केन्द्र सरकार ने कल प्रस्तुत किया है वह गरीबों के विरोध में है और माननीय सदन के नेता भैरोंसिंहजी शेखावत कहते हैं कि यह सन्तुलित बजट है। आज के अखबारों में समाचार है। आप कहें तो मैं यह समाचार पत्र सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं। मदनलाल जी खुराणा इसी पार्टी के नेता यह कहते हैं कि यह बजट गरीबी बढ़ाने वाला बजट है, गरीबी फैलाने वाला बजट है और शेखावत यह कहते हैं कि यह बजट सन्तुलित बजट है। तो क्या गरीबी को बढ़ाने वाला बजट सन्तुलित बजट होगा ? इस बजट के आने के बाद नव जवानों में बड़ी निराशा फैली है। इन लोगों ने चुनाव में एक चुनावी झांसा दिया था कि हम हर हाथ को काम देंगे, शिक्षित बेरोजगारी को मिटायेंगे, ग्रामीण बेरोजगारी को मिटायेंगे। लेकिन जब कल बजट का भाषण समाप्त हुआ....

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ा मालानी) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य सैण्ट्रल बजट पर बोल रहे हैं या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम): यह तो विधान सभा में नहीं बोल रहे हैं यह तो चुनाव सभा में बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो है वह सरकार की नीतियों को बताने वाला होता है और बजट से आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप बेरोजगारी नहीं मिटा पायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अभिभाषण की कापी को पढ़ तो लेते।

श्री डूंगरराम पंवार : चार बार पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसानों को यह कहा गया कि कर्जे माफ कर देंगे, 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ कर देंगे। लेकिन जो कल प्रावधान किया गया 1 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष, यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अकेले राजस्थान में लगभग 500 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्जे हैं किसानों के ऊपर। यदि 10 हजार रुपये के कर्जे माफ कर दिये तो यह राजस्थान का ही 500 करोड़ रुपये कर्जा हो जायेगा। इसके बाद प्राइवेट मनी लैण्डर्स ने कर्जे दे रखे हैं। उनका अनुमान लगायें तो अकेले राजस्थान में 5000 करोड़ से ऊपर का कर्जा प्राइवेट मनी-लैण्डर्स का होगा। इसके बारे में बिल्कुल मौन हैं। माननीय सदन के नेता जब अपना स्पष्टीकरण देंगे तो यह बतायेंगे कि प्राइवेट मनी लैण्डर्स जिन्होंने 10 हजार रुपये तक के कर्जे किसानों को दे रखे हैं और किसानों को दे रखे हैं क्या वह माफ करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : कल्ला साहब एक स्पष्टीकरण कर दें। भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने जब 15 हजार रुपये के कर्ज की घोषणा की थी उसमें क्या मनी लैण्डर्स का कर्जा शामिल था ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, उसमें 15 हजार रुपये तक के सरकारी और सहकारी कर्जे माफ करने की बात थी। लेकिन यह मुद्दा जब उठा है तो उसके बारे में भी आप विचार करके आप अपना उत्तर दे दें। (व्यवधान) अच्छा हुआ मुख्य मंत्रीजी सदन में आ गये। मैं यह कह रहा था कि कल के बजट के बाद और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह लेंग्वेज आपको शोभा नहीं देती।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा हूं। कल एक नवजवान ने कहा था कि जनता दल की सरकार ने हमारे से वोट ठग लिये। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम हर हाथ को काम देंगे, अब कहते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम योजना बनायेंगे। वह भी प्रायोगिक तौर पर चलायेंगे, ड्रोटपोन एरिया में चलायेंगे, जहां सूखा पड़ता है, जहां बेरोजगारी बहुत अधिक है वहां और बाकी एरिया में कुछ नहीं करेंगे। तो बकौल शायर ने जैसे कहा है वैसे ही नवजवान कह रहे थे।

"कहां चिराग मिलेगा हर एक घर के लिए, जहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहां दरख्तों के साये में धूप पड़ती है चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए।"

लोगों में बड़ी निराशा है। इस सौ दिन होने वाली सरकार से लोगों को बड़ी आशाएं थीं, कि वह बेरोजगारी को मिटाने के लिए राजस्थान में और देश में बहुत कुछ करेगी। आज राजस्थान में पैंतीस लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में उनके लिये क्या है कौनसी बेरोजगारी को दूर करने के लिये नीति निर्धारित की है। और आने वाले समय में कितने लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, कितने लोगों को पब्लिक सैक्टर में नौकरी देंगे, कितने लोगों को ज्वाइन्ट सैक्टर में नौकरी देंगे और कितने लोगों को सहकारी सैक्टर में नौकरी देंगे, इसके लिये क्या व्यवस्था की जायेगी ? मैं समझता हूं कि सदन के नेता जब अपना उत्तर दें, इन नौजवानों को रोजगार देने के लिये वह अपना मंतव्य स्पष्ट करेंगे। इस बजट के अभिभाषण में हर जगह मेरी सरकार, मेरी सरकार कहा है। ऐसा लगता है कि सरकार कोई जागीर है, जबकि लोकतंत्र में for the people, by the people है। मैं समझता हूं कि सदन के नेता महोदय जो स्वयं समन्वयवादी हैं, इस शब्द को इस स्पीच से निकालेंगे। आपने आगे दो तीन पेज के बाद ठीक कर लिया है "सरकार ऐसा करेगी।" लेकिन पेज दो पर और अन्य स्थानों पर जो मेरी सरकार, मेरी सरकार कह करके, मैं समझता हूं कि या तो जल्दबाजी में आप लोगों ने इसको पढ़ा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

नहीं, ब्यूरोक्रेट्स ने बना करके दस्तावेज को जैसा थमा दिया, वैसे ही पढ़ दिया।

श्री डूंगरराम पंवार : अब हमारी सरकार है, आपकी थोड़े ही है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : For the people, by the people है, आप समझते नहीं, आपके बस की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कल्ला साहब, अगर इसके पहले आपके शासन में गवर्नमेंट ने "मेरी सरकार" शब्द का प्रयोग किया हो, तो आपत्ति की चीज है न, गलत है न ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आया। आता तो वहां पर भी सुझाव दे देता कि इसको करेक्ट करना चाहिये।

इस अभिभाषण में एक जगह यह कहा गया है कि कांग्रेस ने भाई-भतीजावाद, परिवार तंत्र को प्रोत्साहित किया। इनके बारे में तो रोज अखबारों में यह आता है कि परिवार तंत्र और भाई-भतीजावाद को और उपनिवेशवाद को किसने बढ़ावा दिया। स्वयं सदन के नेता महोदय ने यह कहा था कि मैं राजस्थान को देवीलाल जी का उपनिवेश नहीं बनने दूंगा। और यहां पर आप देख लीजिये कि हरियाणा के लोग आ करके चुनाव लड़े हैं या नहीं लड़े हैं, किस-किसके रिश्तेदार, कितने-कितने टिकटें मिलीं, 9–9, 7–7 टिकट।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हरियाणा के नहीं, यू. पी. के लोग भी चुनाव लड़े हैं, आपके पास में बैठे हैं. अपने पड़ौसी का तो ध्यान रखते -

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कोई वंश की बात थोड़े ही हो रही है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, थोड़ा व्यवधान कम करें। मेरा गला चुनाव के बाद पूरा ठीक नहीं है, नहीं तो मैं इन सबको सलट दूं....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोलिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो वर्षों तक विरोध को भरपूर बात कहने का अधिकार दिया है, आप पहले दिन ही घबरा गये ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष भी आप ही संभालिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो कृपया अब बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने जो निर्देश दिया है, दोनों को सम्भाल लूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जनता दल सरकार ने भाई-भतीजावाद, परिवार तंत्र को ज्यादा बढ़ाया है।

दूसरी बात इस अभिभाषण में यह

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कही गयी कि खजाना खाली कर दिया। कुछ भी पैसा नहीं बचा। मैं बताना चाहता हूं कि 1977–78 में 45·79 करोड़ का घाटा, 1978–79 में 51 89 करोड़ का बजट में घाटा, 1979–80 में कुल घाटा 60.46 करोड़ रुपये। आप स्वयं जानते हैं, सभापति महोदय, आप सदन के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, राजस्थान में अकाल और अकाल की भयंकर स्थितियां रहीं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक वर्ष में आठ सौ करोड़ रुपये अकाल और अभाव से पीड़ित लोगों के ऊपर खर्च किये।

श्री अनंग कुमार जैन : कितना घाटा हुआ, कितना खर्चा हुआ और कितना खा गये, यह बताओ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : खा गये, तो अब आपकी सरकार आ गयी, उनके ऊपर एक्शन ले लो न, क्या खा गये-खा गये सुबह से कर रहे हो। अब तो आपको एक्शन लेना चाहिये। जो खा गये, उनके खिलाफ एक्शन लो। 25 लाख लोगों को जो अकाल से जूझ रहे हैं, पहली बार भीषणतम अकाल से मुक्ति दिलाने के लिये लोगों को रोजगार दिये गये, चार लाख लोगों को प्रतिदिन चार रुपये के हिसाब से अकाल सहायता दी गयी। पिछले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़े, बोनस दिया गया, उसके कारण भी राज्य सरकार पर आर्थिक भार बढ़ा और भैरोंसिंह जी साहब, अब अपना जवाब देंगे, उस समय उसको बतायेंगे। मुझे जानकारी प्राप्त है, उसके अनुसार जब इन्होंने शासन सम्भाला है, तब करीब-करीब 90 या 91 करोड़ का डेफिसिट इनको मिला होगा। मैं समझता हूं कि 1980 के बाजार मूल्यों को और अब के बाजार मूल्यों को देखें, तो तकरीबन आपने जो सत्ता कांग्रेस को सौंपी थी, कांग्रेस के बाद आपको सत्ता मिली, उससे कहीं कम ही घाटा आपको देखने को मिला है। आपसे लोगों को बड़ी उम्मीद है कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान के जिन मुद्दों को इस विधान सभा में विपक्ष के रूप में उठाते थे, उन मुद्दों को हल करेंगे। लेकिन केवल मात्र आप यह बहाना लेकर कि राजस्थान हमको घाटे की स्थिति में मिला है, यही राग आपके मधु दण्डवते जी केन्द्रीय सरकार में अलापते रहते हैं कि घाटे का खजाना मिला है, यह मिला है। विकास के जहां काम होंगे, विकासशील राष्ट्र जहां होगा, विकासशील प्रदेश होगा, वहां घाटे की वित्त व्यवस्था निश्चित रूप से चलेगी। विकास करने वाले जो हैं, वह घाटे की वित्त व्यवस्था को ध्यान में रख कर यदि काम छोड़ दें, तो देश और प्रदेश का विकास रुक जायेगा। इसलिये यह बहानेबाजी तो हम चलने नहीं देंगे। मैं चाहूंगा कि जो मुद्दे आपने उठाये हैं, जो अवसर आपको मिला है, उस अवसर का उपयोग करते हुए राजस्थान के हितों में उन कामों को करें जिन कामों को आपने सदन में उठाया है।

जहां तक कोष का दुरुपयोग करने की

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बात आपने कही, किसी भी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। मैं तो इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान में लगभग चौदह सौ करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोजन किया, अंता के गैस प्लांट, चित्तौड़गढ़ के जिंक स्मेल्टर और इसी तरीके से निजी क्षेत्र में लगभग आठ सौ करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर फैक्ट्री, यह सारी चीजें पहली बार राजस्थान में हुई और इससे एम्प्लायमेंट का जेनरेशन हुआ। आने वाले समय में जब यह प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, स्वीकृत हैं, वह पूरे हो जायेंगे, तो इससे भी राजस्थान की जनता को बेहद लाभ मिलेगा।

जहाँ तक राजस्थान में शिक्षा का प्रश्न है, मुझे खुशी होती कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा जाता कि पिछले वर्षों में राजस्थान में तीन नये विश्व विद्यालय बने, कोटा में इंजीनियरिंग कालेज खुला, छः हजार प्राथमिक स्कूल खुले, बारह सौ मिडिल स्कूल बने....(व्यवधान) मैं अध्यापकों के बारे में बात कर लूंगा भाई, आपकी तरह बिना प्रक्रिया के मास्टरों को नहीं लगाने वाला। प्रक्रियायें होने में समय लगता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिन अधिकारियों ने बीस-बीस हजार रुपये ले लिये, उस का क्या हुआ ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसने लिया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी सरकार के प्रमुखों ने, प्रधानों ने और आपके मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिन्होंने लिये, उनको जेलों में बंद कर दो।

श्री परसादीलाल मीणा : जिला परिषदों और पंचायत समितियों को भंग कर दो, पर अध्यापक लगा दो आप तो गांवों में, हमको एतराज नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : करीब 1200 मिडिल स्कूल खोले। जो आदिवासी क्षेत्र हैं और रेगिस्तानी इलाके हैं वहां 200 की आबादी पर कम से कम एक प्राइमरी स्कूल खोला गया और जो सामान्य क्षेत्र है वहां 250 की आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल खोला और तकरीबन-तकरीबन सारे पंचायत मुख्यालय जो हैं वहां मिडिल स्कूल खोल दिये गये। पहली बार राजस्थान के 672 हायर सैकण्ड्री स्कूलों को सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल के रूप में क्रमोन्नत किया गया। सभापति महोदय, हमारे गांवों के वे भाई, जो ग्यारहवीं के बाद ड्राप-आउट हो जाते थे और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कहीं जा नहीं सकते थे, ऐसे कम से कम ढाई लाख लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही बारहवीं कक्षा पढ़ने का लाभ कांग्रेस की सरकार ने दिया। लेकिन इस अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं। हम प्रति दिन दो गांवों को सड़क से जोड़ रहे थे, 730 गांवों को प्रति वर्ष कांग्रेस की सरकार ने सड़कों से जोड़ा। लेकिन जिनकी विरोध के लिए विरोध करने की आदत बन गई है, आलोचना के लिए आलोचना करने की आदत बन गई है, वह कभी भी इस बात के लिए तैयार

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

नहीं होंगे कि कांग्रेस ने कोई अच्छा काम भी किया है। कांग्रेस की सरकार ने इसी तरीके से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 119 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जो मैं समझता हूं कि अब तक के प्रावधानों में सर्वाधिक प्रावधान था और 50 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता विकसित करने के लिए बजट प्रावधान किया गया। और इसी धनराशि में से 45 करोड़ रुपये खालों के निर्माण के लिए विशेष रूप से रखे गये। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात का जिक्र क्या इस डाक्यूमेंट में नहीं आना चाहिए था। मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से यह भी जानना चाहता हूं कि आपने सदन में बार-बार यह कहा था कि चम्बल सिंचाई क्षेत्र में और इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में जो सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 119 करोड़ रुपये की खालों की बकाया राशि है प्रथम चरण की, उसकी माफी के बारे में आपने बार-बार आवाज उठाई। मैंने भी अपने स्तर पर, मैं जिस किसी हैसियत में रहा, इस बात को उठाता रहा। हो सकता है कि उस काम को हम करने की स्थिति में थे, प्रक्रिया में था, लेकिन क्या आप 119 करोड़ रुपये के खालों की प्रथम चरण की निर्माण की राशि को माफ करेंगे ताकि किसानों को राहत मिल सके ?

इसी तरीके से राजस्थान, जो विपुल खनिज पदार्थों का भण्डार है और अभी भी हमारा प्रदेश कच्चे माल का निर्यातक प्रदेश है, क्या हम इसका उन्नत उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना रखते हैं ? इस डाक्यूमेंट में केवल मात्र कांग्रेस का विरोध करने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने तो पहली बार पार्टियों का नाम इस डाक्यूमेंट में देखा है।

जहाँ तक बिजली के उत्पादन का सवाल है, अभी वर्तमान 30 मार्च को हमारी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है इस योजना के अंत तक 900 मेगा-वाट बिजली का उत्पादन हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि 1977 और 1980 के बीच में

(4.45 सायं)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। क्या 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन, जो कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज थर्ड, अंता गैस आधारित योजना, और हमारे अन्य श्रोतों से और इण्टर स्टेट प्रोजेक्ट से हुआ, उसका जिक्र इसमें नहीं आना चाहिए था ? मैं चार्ज लगाता हूं आपकी सरकार पर कि आपने 1977 और 1980 के बीच में पश्चिमी राजस्थान की कोलायत गजनेर लिफ्ट, सावा चूरू लिफ्ट, पोकरण लिफ्ट और फलौदी लिफ्ट को जान-बूझ कर बंद कर दिया और उसमें एक इंच निर्माण नहीं किया....

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : आपकी तरह से राजीव जी को बुलवा कर +++ उद्‌घाटन भी नहीं करवाये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक तो यह +++ शब्द एक्सपंज करवाइये, असंसदीय है। अभी +++ शब्द का

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रयोग किया, यह असंसदीय है, इसको कार्यवाही से निकाला जाय। (व्यवधान)

श्री सभापति : यदि असंसदीय है तो एक्सपंज कर दिया जायेगा।

श्री लालचन्द डूडी : मैं जवाब दे दूं, उसके बाद एक्सपंज कर दें।

श्री सभापति : मैंने कहा यदि असंसदीय है, तो एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री लालचन्द डूडी : थोड़ा सुन लें मुझे, आप। 5 अक्टूबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी भादरा आये, उन्होंने सिद्धमुख नहर का शिलान्यास किया। वह सिद्धमुख नहर आज तक भी प्लानिंग कमीशन से अप्रूव्ड नहीं है। अब वह असत्य था या सच था, यह आप बता दो। फिर इस शब्द को निकालें या न निकालें यह आप बता दो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। इसके रेफरेन्स टू कन्टेक्स्ट सही करिये।

श्री यदुनाथ सिंह : शिलान्यासों का एक म्यूजियम बनवा लीजिए।

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य व्यवधान न करें।

श्री यदुनाथ सिंह : एक थोड़ी मेहरबानी होगी। दस साल में जितने शिलान्यास हुए हैं उनका एक कहीं न कहीं अजायब घर बनवा दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, आप कहते हैं शिलान्यास, पलाना लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री जी करने वाले थे लेकिन पी. आई. बी. की क्लीरेंस में कुछ व्यवधान आया, वह उस दिन शिलान्यास करने नहीं आये। हमने कभी भी कोई असत्य शिलान्यास नहीं किया।

श्री लालचन्द डूडी : क्या यह सत्य था ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी बारी आये, तब बोल देना।

श्री लालचन्द डूडी : इसका जवाब दे दें।

श्री सभापति : आप लोग आपस में बात करना न शुरू करें, कृपया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें भी माननीय सदन के नेता ने यह कहा कि पलाना लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, केवल इतना सा जिक्र किया है। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि पी. आई. बी. की क्लीरेंस उसके बाद हो गई लेकिन लोकसभा का चुनाव और विधान सभा चुनाव आने के कारण सम्भवतः उसका शिलान्यास नहीं हो पाया। क्या आप केन्द्र सरकार के माध्यम से उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी शुरू करवायेंगे ? इसी के साथ-साथ, राजस्थान में इरिगेशन का पोटेन्शियल कांग्रेस की हुकूमत में जो समय-समय पर बढ़ा, उसके बारे में भी जिक्र

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

होना चाहिए। जो अच्छे काम हुए हैं, निश्चित रूप से एक-दो चीजें जो भी अच्छी होंगी, तो हम अच्छी बताने में रचनात्मक विरोध करेंगे, विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या-क्या अच्छे काम किये हैं वह तो गिना दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको तो अब करने का मौका मिला है। अब करोगे तो बतायेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : आपको एम. एल. ए. बनवा दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अभी गिना दो अच्छे काम।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमने बताया है कि हमने तीन विश्वविद्यालय बनाये, कोटा में इंजीनियरिंग कालेज खोला है। आप कहां-कहां इंजीनियरिंग कालेज खोलेंगे, कहां-कहां विश्वविद्यालय बनायेंगे, यह यदि आप इसमें घोषणा कर देते, अपनी नीति बता देते, तो हम आपकी तारीफ कर देते। जिस दिन आप अजमेर में, बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देंगे, हम आपकी तारीफ कर देंगे। आज राजस्थान में 75 प्रतिशत से अधिक मार्क्स आने वाले भी सुसाइड करते हैं क्योंकि उनका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमीशन नहीं होता। हमने इस समस्या को गम्भीरता से लिया और कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। आपका भी देख लेंगे कि बजट आयेगा उस समय आप कितने इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान में खोलते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 75 प्रतिशत ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : 75 प्रतिशत मार्क्स आ जाते हैं उनका भी एडमीशन नहीं होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, और अन्य प्रदेशों में 52 प्रतिशत पर एडमीशन्स हो जाते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप शिक्षा मंत्री रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमने तो खोला है कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कितना प्रतिशत रखा था ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : विश्वविद्यालय जो खोला है वह अधूरा खोला है। विश्वविद्यालय तो आप उदयपुर से ले गये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय कोई एक दिन में तो बनता नहीं, विश्वविद्यालय को बनने में समय लगता है। राजस्थान विश्वविद्यालय जब बना तो वह एक दिन में नहीं बन गया। आज जो स्थिति बनी है कई वर्षों बाद बनी है....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : वह तो उदयपुर से ले गये, वह तो बना-बनाया था। लेकिन आप ले गये उसको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप उदयपुर वाले दोनों विश्वविद्यालय रखना चाहते हैं क्या ?

सभापति महोदया, आपने कल बजट स्पीच को सुना। अभिभाषण में भी कहा कि 60 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च करेंगे और केन्द्र सरकार 49 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण विकास पर खर्च करेगी। पर उनको यह भी कहना चाहिये था कि कांग्रेस की सरकार ने कितना प्रतिशत खर्च किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि तकरीबन-तकरीबन इतनी ही राशि हमने भी खर्च की थी। 800 करोड़ रुपये अकाल राहत में सालाना प्लान के अलावा हमने गांवों के विकास पर खर्च किये और पक्के कामों पर खर्च किया। गांवों में पंचायत घर बने, पटवार घर बने, स्कूलें बनीं, सड़क के ऊपर खर्च हुआ, एनीकट्स पर खर्च हुआ और विकास के कार्यों पर समय-समय पर सालाना प्लान से भी ज्यादा राशि खर्च की गयी। इसलिए केवल मात्र यह कहना कि जैसे यह तो गांव के हिमायती हैं और कांग्रेस के लोग गांव के हिमायती नहीं हैं, मैं समझता हूं जनता दोनों में अपने आप फर्क कर लेगी।

सदन के नेता महोदय ने इस अभिभाषण में साक्षरता के प्रति जो चिन्ता व्यक्त की है, वह वाजिब है। राजस्थान जो आजादी से पहले तिहरी गुलामी का शिकार रहा, उसके बाद समय-समय पर साक्षरता को बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्न हुए। पिछले वर्षों में जो नये स्कूल बने हैं उसके रिजल्ट्स आने वाले वर्षों में आयेंगे। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वह 1981 के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं जो दस वर्ष पुराने हैं। आज यदि कोई इस बात का आंकलन करे, तो मैं दावे के साथ कह सकता-हूं कि राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 24 प्रतिशत नहीं है, वह 37 और 38 प्रतिशत से ऊपर है। और जो गांवों में हमने प्राथमिक शालाओं का जाल बिछाया है उससे आने वाले वर्षों में राजस्थान का गांवों में साक्षरता का प्रतिशत भारत में पहले पांच राज्यों में आयेगा। निश्चित रूप से आयेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण जो सदन के नेता महोदय की अध्यक्षता में बना हुआ है....

श्री डूंगरराम पंवार : जाल तो बिछाया था लेकिन उसमें खुद ही फंस गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अब आप रनिंग कमेंटरी बन्द करिये, अब आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य, आप कण्टीन्यू रखें और कनक्लूड करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं अपनी पार्टी का समय तो पूरा लूंगा न। व्यवधान में काफी समय चला गया है। मेरी पार्टी के व्हिप कह देंगे तो बैठ जाऊंगा। सभापति महोदया, इस राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रदेश में एक प्रान्तीय स्तर पर राज्य साक्षरता प्राधि-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

करण मिशन बनाया गया है जिसके चेयरमैन सदन के नेता महोदय हैं। विपक्ष के भी माननीय सदस्य और शिक्षा से जुड़े हुए लोग भी हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें जो प्रमुख बात Each one teach one प्रत्येक पढ़ा हुआ व्यक्ति एक व्यक्ति को पढ़ायें, इस आन्दोलन को हम स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से चलायें और प्रत्येक पढ़े-लिखे व्यक्ति को कृतसंकल्पित होकर के काम करना चाहिये कि कम से कम एक व्यक्ति को एक वर्ष में पढ़ायेगा। जब तक हम इस काम को मिल-जुलकर हाथ में नहीं लेंगे, हम राजस्थान की निरक्षरता का उन्मूलन नहीं कर पायेंगे। इसके लिए जरूरी है कि यह साक्षरता का अभियान किसी पार्टी का अभियान न होकर पूरी सरकार का, प्रदेश का अभियान हो और सारे लोग, संस्थाएं मिलकर काम करें। यदि इस प्रदेश के बुद्धिजीवी लोग, सारे शिक्षित लोग मिलकर काम करेंगे तो हम राजस्थान की निरक्षरता का उन्मूलन कर पायेंगे।

इस अभिभाषण में चुनावों की बात की गई है। मैं इस सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सदैव लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में विश्वास किया है। पिछले वर्षों में पंचायतों के चुनाव हुये और पंचायतों के चुनाव जनता शासन की तरह केवल मात्र सरपंचों और वार्ड पंचों के चुनाव न करवाकर के थ्री टीयर सिस्टम हमने पूरा किया और प्रधानों और प्रमुखों के चुनाव पूरे कराये।

सहकारिता से संबंधित सहकारी बैंकों के भी चुनाव करायें। आप भी चुनाव करायेंगे तो निश्चित रूप से हम चुनावों का स्वागत करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन चुनावों की घोषणा आप सदन में अपना रिप्लाई देते वक्त करें कि हम अमुक-अमुक महीने की अमुक-अमुक तारीख तक नगरपालिका के, कृषि उपज मण्डी समितियों के, सहकारी समितियों के चुनाव एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर के करायेंगे तो हम निश्चित रूप से इसका स्वागत करेंगे। चुनावों से कांग्रेस ने कभी मुंह नहीं फेरा है, हम चाहते हैं कि इसकी निश्चित रूप से घोषणा होनी चाहिए, वेग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिये।

श्री यदुनाथ सिंह : चाहे पार्टी के कभी चुनाव कराये हों या नहीं कराये हों।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, अन्तर्राज्यीय जल विवाद और विद्युत विवादों के बारे में अभी नदबई से आने वाले सदस्य ने काफी बातें कहीं। माननीय सदन के नेता महोदय ने विपक्ष के नेता के रूप में 24-1-82 को इसी सदन में जो अपना वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने रोपड़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, थीन डेम प्रोजेक्ट, मुकेरिया प्रोजेक्ट और आनन्दपुर साहिब प्रोजेक्ट और उसके साथ-साथ एक-दो अन्य प्रोजेक्ट के बारे में कहा था। उन्होंने कहा 2500 मेगावाट बिजली का हिस्सा राजस्थान का बनता है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आपने सत्ता संभालने के बाद क्या-क्या प्रयत्न किये हैं और आगे आपकी क्या योजना है। किस तरह से आप इसको आगे ले पायेंगे।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

गंगा और यमुना के पानी के बारे में भी आपने समय-समय पर अपने विचार रखे। आपके वी. पी. सिंहजी से बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं, देवीलालजी से भी आपके बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं....

श्री लालचन्द डूडी : आपके राजीवजी से नहीं थे क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : कौन मना करता है ? लेकिन सरकार आने वाले समय में क्या कर पाती है यह योजनाओं की क्रियान्विति पर पता लगेगा। हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं कि आप राजस्थान के हिस्सों को लाने में कामयाब रहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके राज में हिस्सा बाकी रह गया था क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने गांधी सागर के पानी को, जो बीच-बीच में मध्य प्रदेश रोक रहा है, उस पर आपने समय-समय पर अपने भाषणों में उल्लेख किया। अब तक आपने उसके बारे में क्या कार्यवाही की और आगे आप क्या कार्यवाही....

श्री यदुनाथ सिंह : फाइलों पर से धूल झाड़ रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : करेंगे किस तरीके से आप राजस्थान को, राजस्थान के लोगों को इसका लाभ दिला पायेंगे। आपने, सभापति महोदया, बजट के अभि-भाषण में यह पढ़ा होगा....

श्री सभापति : बजट का अभिभाषण कहां है ? यह तो राज्यपाल का अभि-भाषण है....

श्री यदुनाथ सिंह : अभी आदत नहीं पड़ी है। धीरे-धीरे पड़ जायेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राज्यपाल के अभिभाषण पर। कई बार व्यवधान पड़ने से गड़बड़ हो जाती है। अभिभाषण में सर्व-धर्म सम भाव की बात कही गयी है। मुझे आश्चर्य होता है कि जो पार्टी बहुत संकीर्ण + + + विचारधारा रखती है वह सर्व धर्म सम भाव की बात करती है। (व्यवधान)....अब आप व्यवधान करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा....

श्री भैरोंसिह शेखावत : खूब लेओ आप।

श्री सभापति : आप बीच में प्रोवो-केटिव बोलना एवाइड करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, मैं यह जानना चाहूंगा कि मक-राना, बीगोद, जयपुर और कोटा में जो दंगे हुए उसकी आप हाई कोर्ट के दो-तीन जजों से जांच करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जायेगा....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सारे दंगे कांग्रेस पार्टी ने करवाये हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : इन दंगों में आपके + + + थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : + + + तो आपके हवामहल से आने वाले माननीय

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सदस्य के साथ जयपुर में दंगा करवा रहे थे, वो उनके साथ वोट मांग रहे थे....

श्री हेमराज मीणा : कांग्रेस के लोगों ने तो +++ ना, उन्होंने ही दंगे करवाये हैं....(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : इन दंगों में कांग्रेस के कार्यकर्त्ता +++ थे, उन्होंने दंगे करवाये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो सदन की इलतजा चाहता हूं—

इलतजा यह है वतन के जानिसारों से, उठो,
बादगाहों की जगह परवर बहारों से उठो,
एक दो से ही नहीं, कहता है सारों से उठो,
मन्दिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से उठो।

और इन संकीर्णताओं को छोड़कर सर्व धर्म सम भाव की बात करते हो तो रामजन्म भूमि के नाम पर शपथ मत लीजिये, यहां बड़ी-बड़ी मान्यताओं के आधार पर आपके सामने सदन के सदस्यों ने शपथ ली है, और राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांगने की प्रवृत्ति को छोड़ो और सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले लोग, सेक्यूलररिज्म की बात करनी है तो मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारों से ऊपर उठकर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात जो आपने लिखी है उस पर अमल करना सीखो। केवल डाक्यूमेण्ट में या दस्तावेज में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय लिखने से काम नहीं चलेगा। कथनी और करनी में अन्तर करना होगा.... (व्यवधान) अभी आप बोल रहे थे तो मैंने आपके बीच में व्यवधान नहीं डाला था। जनहित में काम नहीं किया दलहित में काम किया। क्या हमने कर्जे माफ करने का काम कांग्रेस के हित में किया ? क्या हमने कच्ची बस्ती के नियमन का काम कांग्रेस के हित में किया ? इसी तरीके से शिक्षा का विस्तार का काम कांग्रेस के लिये किया गया ? क्या विश्वविद्यालय कांग्रेस के लिए खोले गये ? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस के लिए खोले गये ? क्या 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन कांग्रेस के लिए किया गया ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, एक बात कहना चाहती हूं कि सालगिरह के दिन 59 पट्टे देने से कच्ची बस्ती का विकास का काम हो गया ? 59 पट्टे केवल शिवचरणजी माथुर अपनी सालगिरह को दे गये और आपने विकास कर दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, जो भी निर्णय किये जाते हैं वह जनहित में किये जाते हैं, किसी पार्टी के लिये नहीं। आपने ये 10 हजार रुपये के

+++शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कर्जे माफ करने का निर्णय किया, यह जनता दल या भाजपा के हित में किया या सार्वजनिक हित में किया है ? इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कह कर मैं समझता हूं कि गवर्नर महोदय को आपने अपनी बात कहलाने के लिए इस्तेमाल किया है यह मैं आरोप लगाता हूं।

इस तरीके से अन्त्योदय योजना का उद्देश्य बहुत अच्छा हो सकता है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पिछले 10 वर्षों में यहां पर अन्त्योदय से सम्बन्धित प्रश्न आये, मैं सदन के नेता महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस अन्त्योदय योजना में बहुत भारी घपले हुये। सरपंचों ने पांच-पांच, दस-दस लाख रुपये तक के अनाज अपने यहां स्टॉक में रखे और वहां पर कोई विकास का काम नहीं हुआ। मैंने स्वयं ने पिछले वर्षों में....

श्री महावीर प्रसाद जैन : शिक्षा मंत्री जी, क्या पिछले वर्षों में आपने इसी प्रकार भाषण दिये हैं। अन्त्योदय योजना क्या है यह आपको पता है ? इसमें अनाज होता है अन्त्योदय योजना में ? आप बिराजो। आपको पता नहीं है और बोलने खड़े हो जाते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे सब पता है। अन्त्योदय योजना का भी पता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्री बने रहने के लिए+ + +कुछ नहीं किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में इशारा करके नहीं बोलें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अेमने की टोपी मेमने पर रख दो और मेमने की टोपी अेमने पर रख दो। यह जिला विकास अधिकरण से सम्बन्धित योजनायें हैं इनको आप अन्त्योदय का नाम दे दो। मैं समझता हूं कि यह नामकरण का फर्क है।

इस अभिभाषण ने कृत्रिम गर्भाधान के बारे में एक योजना नई शुरू करेंगे। कृत्रिम गर्भाधान की योजना पशु-पालन विभाग की बहुत पुरानी योजना है, उसका नाम गोपाल योजना रख दिया यह कौनसी नई बात कर दी आपने ? इसी तरीके से जिला विकास अधिकरण से सम्बन्धित योजनाओं को अन्त्योदय योजना का नाम देकर उसके माध्यम से आप राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की योजनाओं को आपने अपना नाम देकर उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है।

एक माननीय सदस्य : अभी आपको पढ़ने की जरूरत है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप वही कह रहे हैं जो जनता सरकार ने चालू की है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमेशा व्यक्ति को पढ़ना चाहिये, जिज्ञासु रहना चाहिए आप बहुत बड़े प्रकाण्ड पण्डित हो गये आप पढ़ना छोड़ दीजिये।

एक काम इन्होंने अच्छा किया कि आते ही असामाजिक तत्वों को निर्भय कर

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दिया। पिछले दिनों में जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो अपराधिक तत्व हैं वह निर्भय हो गये हैं। जिस तरह से मोरारजी देसाई ने 1977–80 के बीच में गुण्डों को, असामाजिक तत्वों को, लुटेरों को, तस्करों को निर्भय कर दिया। इसी तरीके से इस सरकार ने आते ही इन सबको निर्णय कर दिया। आज जगह-जगह सीमावर्ती जिलों में तस्करी बढ़ रही है, चोरियां हो रही हैं। बीकानेर जैसे शहर में, जहां कभी चोरी नहीं होती थी, अभी कल ही मेरे पास बीकानेर के लोगों का टेलीफोन आया कि सरेआम बाजार में ढाई लाख रुपये की चोरी हो गई।

श्री दिग्विजय सिंह : आपके जीतने के बाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने बीकानेर में जो शुरूआत की है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप+++ हिमायत करेंगे इसमें कोई शक नहीं है। यहां कितना गम्भीर विषय चल रहा है, उसमें भी व्यवधान डाल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।

एक माननीय सदस्य : आप उल्टा समझ रहे हैं। ऐसे फोन किया था कि आपकी कृपा से ढाई लाख की चोरी हो गई।

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य। माननीय कल्ला साहब, चेयर को एड्रेस करके बोलिये आप। प्रोवोकेटिवली बोलते हैं तब उधर से डिस्टरबैन्स होता है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदया, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदया, मैं भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग भी बोलने नहीं देंगे। इस प्रकार का व्यवधान है, नम्बर एक। आखिर समय भी आपने हमारा चार घण्टे का मुकर्रर किया है आसन की तरफ से, उसमें भी आप समय का ध्यान रखिये। आपको जो बात कहनी है आप जवाब दे दीजिये। यह तो बहुत अनुचित बात है इस प्रकार का एक-एक शब्द के बारे में... (व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन सभापति महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने सदस्यों को कम से कम यह तो कहें कि तैयार होकर आयें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये। माननीय सचेतक महोदय, इस बात को भी हमको सदन में ध्यान रखना होगा कि एक तो हम थोड़ा सा प्रोवोकेटिवली ऐसा ओपनली नहीं बोलें, और फिर दूसरी साइड में देख कर जवाब का इन्तजार नहीं करें। इसलिए थोड़ासा चेयर को एड्रेस करके बोलिये, तो प्रोवोकेशन होगा नहीं। (व्यवधान)

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे धमकियां देकर आप हमको चुप करना चाहते हो। आप अदस्यों से कहिये तैयार होकर आयें, इस प्रकार की बात कहें जो नीति सम्बन्धी हो, जिसको लोग पसन्द करें। जिस प्रकार धौलपुर में और राजाखेड़ा में हुआ, उस तरह से हमको धमकाना चाहते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सचेतक महोदय, माननीय सदस्य जब चेयर की तरफ से कहा जाता है कि शांति से बैठिये, तो उस वक्त तुरन्त बैठ जाना चाहिए। आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदया, इस प्रकार की बातें कि राजाखेड़ा धौलपुर में सरकार आपकी है आपको खुली चुनौती है, आप जो करवाना चाहें करवाइये आप। इन्क्वायरी करायें तो करवाइये आप, उससे मैं डरने वाला नहीं हूं।

श्री सभापति : दो-दो सदस्य एक साथ कैसे बोलेंगे? माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। आपके सचेतक बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने मुझसे एक बात कही है कि प्रोवोकेटिव बात नहीं कहें।

श्री सभापति : प्रोवोकेटिव नहीं, और आसन को एड्रेस करके कहें। You don't look at others and wait for reply.

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के द्वारा सरकार ने जितनी प्रोवोकेटिव बात यहां कहलवाई, उसके बाद भी हम लोग शान्त बैठे रहे, हमने एक बात भी नहीं कही यहां पर। अगर चाहते तो राज्यपाल महोदय को बोलने नहीं देते यहां पर।

श्री सभापति : आई एम सॉरी, अगर आपका यह एटीट्यूट रहता है तो सदन का चलना मुश्किल है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये। एक-एक करके बोलिए। एक-एक को बोलने दीजिए, कुछ बात समझ में आयेगी। बिना परमीशन के बीच-बीच में उठकर बोलने लगते हैं इससे कैसे समझ में आयेगी। सदन के नियम हैं। आप लोग पुराने सदस्य हैं, उनकी पालना करें।

श्री चन्दनमल वैद : यह नियम हमारे लिए ही है क्या? सत्ता पक्ष के लिये कोई नियम नहीं हैं?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदया आसन से एक निवेदन करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि एक वक्ता कोई बोल रहे हैं, वह आसन की तरफ देखकर बोले, यह बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और हम उसको सही मानते हैं। प्रश्न इस बात का है कि जब कोई बात कहते हैं तो सत्ता पक्ष की लॉबी के लोग उसको बोलने नहीं देते, बीच-बीच में कटाक्ष करते हैं। तो यह परम्परा क्या सत्ताधारी पक्ष को बोलने पर है?

श्री सभापति : इसको डिस्करेज करती हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कई माननीय

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सदस्य तो आसन की तरफ भी नहीं देखते, आसन से परमिशन भी नहीं लेते, बल्कि खड़े भी नहीं होते। माननीय सदस्य ने तो एक परम्परा बना रखी है, न तो आसन की ओर देखते हैं, वहीं बैठे बैठे कमेण्ट्स करते रहते हैं।

श्री सभापति : इसकी कोई तारीफ तो नही करती।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सभापति महोदया, यह परम्परा तो सही माइने में आसन का भी अपमान है और सदन का भी अपमान है। कुर्सी से उठते ही नहीं, उठे बिना ही बात करते हैं और बैठे-बैठे माइक को पकड़कर बोलते रहते हैं। कम से कम आसन की तरफ से यह व्यवस्था तो देनी पड़ेगी। आप को सदन को चलाना है, मर्यादा इसकी रखनी हैं तो आसन को यह आदेश देना पड़ेगा कि कम से कम माइक पर खड़े होकर के बोलें।

श्री डूंगरराम पंवार : असत्य बोलो और असत्य कथा शुरू कर दो तो बोलेंगे हीं। (व्यवधान) आपके भाषण सुनें हम।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं आसन से परमिशन लेकर बोल रहा हूं, आपकी जैसे वहीं बैठे-बैठे कंधे पर हाथ लगाकर नहीं। यह सदन की परम्परा नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप खुद उधर देख रहे हैं जबकि अभी आपने कहा कि आसन को एड्रेस करना चाहिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आसन की तरफ से मर्यादा आप भी तो रखिये कम से कम। जो सदस्य बोल रहे हैं उनको आपने रोकने की कोशिश नहीं की।

श्री सभापति : आसन की मर्यादा, सदन की मर्यादा रखना आसन का काम भी है, सदन के दोनों पक्षों के अधिकारियों का काम भी है, दोनों पक्ष के सचेतकों का काम भी है। वह अपनी-अपनी पार्टी के लोगों को, अपनी-अपनी पार्टी के सदस्यों को रेग्युलेट करें। इसमें मैं आप सबका, पूरे सदन का सहयोग चाहती हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, मैं कह रहा था कि तस्करी को रोकने के लिये माननीय सदन के नेता महोदय ने भी समय-समय पर काफी मुद्दे उठाये। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी रोकथाम के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठायेगी और किस तरह से पुलिस को फुल इक्विप्ड वैल इक्विप्ड करेगी। इसके साथ-साथ इस अभिभाषण में एक बात जिसका मुझे बहुत एतराज है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी का नाम लिखते हुए यह कहा गया कि 85 प्रतिशत धन-राशि जो है योजनाओं की, वह भ्रष्टाचार पर खर्च की जाती रही। यह बात कभी भी राजीव जी ने नहीं कही। राजीव जी यह कहते थे कि योजना का 70 प्रतिशत जो हिस्सा है वह प्रशासनिक व्यय हो जाता है, 15 प्रतिशत बिचोलिये और मध्यस्थों के बीच में बंट जाता है और 15 प्रतिशत गांव के व्यक्ति के पास पहुंचता है। इसको दुरुस्त करने के लिये उन्होंने जवाहर रोजगार योजना शुरू की, जिसका लगभग 98 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा ग्रामीण व्यक्ति के पास पहुंचेगा। उन्होंने व्यवस्था

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

को दुरुस्त किया और उसको अपने ढंग से मरोड़ना, मैं समझता हूं कि यह कोई राजनैतिक ईमानदारी नहीं है।

जहां तक सड़कों के मास्टर प्लान की बात है, सड़कों का मास्टर प्लान तो बन चुका है। राजस्थान में कहां-कहां पंचायत हैडक्वाटर्स को सड़कों से जोड़ना है इस बारे में मास्टर प्लान पूर्व में ही बन चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि इसको एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर के इम्पलीमेंट किया जाये।

सभापति महोदया, ट्यूरिज्म जो है बिना धुएं का उद्योग है, जिसमें कोई विशेष खर्चा नहीं होता। राजस्थान, जहां पर कला, संस्कृति, पुराने ऐतिहासिक किले, गढ़-गढ़इया, हवेलियां और यहां की जो लोक कलाएं हैं उसका विपुल भण्डार होने के कारण हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यटन से सम्बन्धित नीति बनाने की जो बात की गई है, मैं समझता हूं कि समय पर वह आयेगी और इसका लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा।

जहां तक बिजली की योजनाओं को, इरिगेशन से सम्बन्धित योजनाओं का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट और सूरतगढ़ धौलपुर और अन्य योजनाएं जो राज्य की हैं उनका भी समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर के इनको जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किया जाना चाहिए। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने जो प्रयास किये हैं उन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुये, उन योजनाओं को इम्पलीमेंट करने के लिये आगे आकर काम करना चाहिए। इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने कोई योजना बनाई है तो हम इसका विरोध करें या इसको हम आगे नहीं बढ़ायें।

जहां तक महिला शिक्षा का प्रश्न है, सभापति महोदया, कांग्रेस की हुकूमत ने पहली कक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी एजूकेशन, टैक्निकल एजूकेशन, सब में फीस माफ की। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हमने अटैण्डेंस स्कालरशिप प्रोवाइड की, लेकिन इसका जिक्र भी इस डाक्यूमेंट में किया नहीं गया। बहुत सी कहने की बातें हैं लेकिन समय बहुत हो रहा है।

अन्त में मैं इस अभिभाषण का और इसके ऊपर रखे हुये धन्यवाद प्रस्ताव का घोर विरोध करता हू और यह कहना चाहता हूं कि यह अभिभाषण नीतिपरक होना चाहिए। इसमें शिक्षा नीति, रोजगार नीति, कृषि नीति और परिवार कल्याण नीति, राजस्थान के ग्रामीण विकास की नीति का जिक्र न करके आलोचना का एक दस्तावेज जो प्रस्तुत किया है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री लालचन्द डूडी (अनुपस्थित) श्री खंगारसिंह चौधरी।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। लोकसभा चुनावों से लेकर विधान सभाओं के चुनावों में जनता ने अपना जनादेश जनता के हित के लिए

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

पूरे देश में विपक्ष को दिया जिसके लिये भारत व राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूं। पूरे भारत में कांग्रेस को उसके कुकृत्यों से हटाकर गत वर्षों में जनता के साथ, प्रशासन में....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदया, क्या कोई सदस्य लिखित भाषण पढ़ सकते हैं सदन के अन्दर ?

श्री खंगारसिंह चौधरी : पढ़ थोड़े ही रहा हूं, प्वाइंट नोट हैं।

श्री सभापति : कोट कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं।

श्री खंगारसिंह चौधरी : भ्रष्टाचार व जनहित के प्रति उदासीनता, अन्याय व कुकृत्यों के कारण कांग्रेस सरकार का पतन हुआ। इन लोगों ने किसानों के साथ व गरीब जनता के साथ जो अन्याय किया उसके कारणों से जनता ने मानस बनाकर के इस कांग्रेस सरकार को केन्द्र से व राज्यों से हटाया। पिछले वर्षों में राज्य व जनता के बीच काफी हद तक आपस में मन मुटाव रहा क्योंकि यह सत्ता के लोलुप थे और सत्ता के आधार पर यह जनता का शोषण किया करते थे। इन कारणों से जनता ने नाराज होकर के इनको हटाया। हटाने के बाद अब जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और किसानों के हित के लिये उन्होंने जो-जो समस्याएं बताई हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां पर कुओं से सिंचाई होती है, नहरों की सिंचाई बहुत कम है। यहां बांध वगैरह ज्यादा बने हुये नहीं हैं। जैसा कि हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर ज्यादा रेगिस्तानी एरिया है और अरावली पहाड़ हैं वह बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। उसके विकास के लिये आज तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया। गांवों में पीने के लिये पानी नहीं है। अगर अरावली पहाड़ का विकास करते तो शायद हो सकता था कि कुछ गांवों में पानी की समस्या हल हो जाती, खेती के लिये सिंचाई के साधन हो जाते।

अभी जो गेम सैंचुअरी एरिया बनाया उसके कारण से गांवों में खेती के लिये किसानों को बड़ी तकलीफ हो रही है। वहां नील गायों का इतना अत्याचार हो गया है कि काश्तकार खेती छोड़कर दूसरी मजदूरी करने के लिये मजबूर हो गये हैं। पचास-पचास, साठ-साठ के झुण्ड हर समय जंगलों में और गांवों में फिरते हैं। इधर तो कुओं में पानी नहीं है, उधर यह जंगली जानवर रात को नुकसान करते हैं। रात और दिन काश्तकार अपने खेत में बैठा रहने के बावजूद भी उस खेती को बचा नहीं सकता। इस कारण से मेरा यह निवेदन है कि इसके अन्दर यह रखना चाहिए कि गेम सैंचुअरी एरिया जो केन्द्र सरकार का है वह राज्य सरकार के जिम्मे होना चाहिए और इस पहाड़ी विकास के लिए इसके अन्दर कुछ और एनीकट और छोटे-छोटे बेस फ्लोर वगैरह बनाये जाने चाहिए।

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

इसके अलावा दरख्त लगाने में जो समस्याएं हैं उनको भी हल किया जा सकता है। अभी दो साल पहले हमारे यहां सुमेर बांध के लिये 1 करोड़ 35 लाख रुपये सैंक्शन हुये थे। उसका काम चालू हुआ। काम चालू होने के बाद गेम सैंच्युरी वालों ने उस काम को अटका दिया कि सेण्टर से इसकी मंजूरी आनी चाहिये। वह काम भी चालू नहीं हो सका। इसी प्रकार हमारे चौराहे से सामड़ी तक एक सड़क बन रही थी। सड़क पर थोड़ा एक किलोमीटर के अन्दर एक कटाव था पत्थर का। यह काम बन्द कर दिया और कहते हैं कि इससे तो हमारे जानवर चले जाते हैं, भड़क जाते हैं। यह योजना है केन्द्र की। इस योजना को जब तक राज्य सरकार हाथ में नहीं लेगी तब तक इस अरावली पहाड़ का विकास नहीं होगा। अरावली पहाड़ का विकास होगा तो प्रदूषण कम होगा और प्रदूषण कम होगा तो फायदा होगा। एनीकट यदि पहाड़ में बनेंगे तो जमीन में पानी का लेवल ऊंचा आयेगा। जहां-जहां बड़े-बड़े बांध बने हैं, जैसे रायपुर बांध है, सिरियारी बांध हैं, इसके नीचे के गाँव बिल्कुल सूखे पड़े हैं, कुएं बिल्कुल सूख गये हैं क्योंकि नदी के अन्दर पानी नहीं आता। थोड़ी बहुत बरसात होती भी है तो पानी बांध में रुक जाता है और नदियों में नहीं चलता। कुदरत की बात है कि नदियों के किनारे हमेशा से गांव बसे हुए हैं। जो कुएं मीठे हैं उनका जल स्तर नीचे चला गया है, क्योंकि ऊपर बांध बनने के कारण बरसात का पानी नहीं चलता। पानी नहीं चलने के कारण वहां खेती करने लायक विशेष जमीन नहीं है। पहाड़ में पानी रुक जाने से मैदानी एरिया में काफी बड़ा नुकसान होता है।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट।

कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार मुख्य सचेतक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं :—

"कार्य सलाहकार समिति ने सदन में दिनांक 21 मार्च, 1990 से 29 मार्च, 1990 तक विचारार्थ लिये जाने वाले विषयों पर विचार किया और निर्णय लिया कि कार्य के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :—

बुधवार, 21 मार्च, 1990 गुरुवार, 22 मार्च, 1990	] राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता) शुक्रवार, 23 मार्च, 1990	1. अनुपूरक अनुदान मांगें। (द्वितीय संकलन) वर्ष 1989–90
	2. वर्ष 1983–84 के लिए अतिरेक मांगें
	3. विनियोग व वित्त लेखे 1986–87 तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)
	4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1986–87
	5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 1987–88 का उपस्थापन।
	6. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार की ओर से उत्तर।
शनिवार, 24 मार्च, 1990 रविवार, 25 मार्च, 1990	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 26 मार्च, 1990	1. अनुपूरक अनुदान मांगें (द्वितीय संकलन) वर्ष 1989–90, तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण।
	2. वर्ष 1983–84 के लिए अतिरेक मांगें एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण।
अपराह्न 4.00 बजे	3. वर्ष 1990–91 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) और लेखानुदान का उपस्थापन।
मंगलवार, 27 मार्च, 1990	1. वर्ष 1990–91 के लिए लेखानुदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण।

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

2. राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 एवं

3. राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार।

बुधवार, 28 मार्च, 1990 — बैठक नहीं होगी।

गुरुवार, 29 मार्च, 1990 —

1. राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 एवं

2. राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1990 पर, अग्रेतर विचार एवं उनका पारण।

माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : सभापति महोदया, नियमों में यह प्रावधान है कि जब सदन चले तब सप्ताह में एक दिन प्राइवेट मैम्बर्स डे होता है। लोकसभा में भी होता है। पहले भी हम इस बात को कहते आये हैं। पहले मेरे साथी जो उधर बैठे हुए हैं वह कहते होंगे और अब हम कह रहे हैं, यह एक अधिकार है सदस्यों का। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि (व्यवधान) आप नये-नये हैं, सुनिये बात। आपके हक की पैरवी मैं कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि एक दिन इसके लिए अगर सदन को बढ़ाया जाय, तो मैं समझता हूं कि सदन के नेता महोदय को भी कोई एतराज नहीं होगा, ताकि जो सदस्य अपनी बात रखना चाहें, कोई मोशन आये या कोई और संकल्प हो, उनके ऊपर विचार हो सके।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : सदन का समय सदन की सहमति से यह प्रस्ताव पारित होने और माननीय सदस्य श्री खंगारसिंह चौधरी जी का भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, मेरे एतराज का जवाब तो आये किसी कार्नर से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, जिस तरह का समयाभाव है उसमें मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपकी विचारधारा के अनुसार समय निश्चित करने में असमर्थ हूं।

श्री रामसिंह बिश्नोई : परनाला तो यहीं पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परनाला नहीं पड़ेगा लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले सत्र में जो भी समय इसके लिए निर्धारित होगा, मैं उसके लिए तैयार हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री खंगारसिंह चौधरी : किसानों को खेती में प्रोत्साहित करने के लिए बीमा योजना लागू की जानी चाहिये। खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिये जिससे खेती का उत्पादन बढ़े और अपने देश को फायदा हो।

हमारी खारची तहसील के अन्दर करीब 1400 कृषि कुओं के कनेक्शन होने हैं। वहां पर 132 के. वी. सब-स्टेशन की जरूरत है। पहले 1980 के अन्दर इसका प्लान बना था, परन्तु 10 साल के दौरान हमारा एरिया 132 के. वी. सब-स्टेशन से वंचित रह गया। वंचित रहने के कारण खारची तहसील के अन्दर 1400 कुओं की फाइलें जमा हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बातें आपस में धीरे-धीरे करिये ताकि बोलने वाले सदस्य को व्यवधान न हो।

आप चालू रखें।

श्री खंगारसिंह चौधरी : 1400 कुओं की फाइलें जमा हैं। उनके लिए प्रायोरिटी हर समय अलग-अलग बनती है। 1980 से लगाकर अब तक 10 साल के अन्दर 1400 फाइलों का निपटारा कब होगा, इसका राम ही बेली है।

इसके अलावा अकाल राहत के अन्दर कई जगह खाद और बीज का वितरण किया गया जो फसल का टाइम निकलने के महीने और दो महीने के बाद किया गया, जिसमें गत सरकार ने करोड़ों रुपये का घोटाला किया और यहां तक कि नीचे तक भी इसका टांका चला गया जिसकी इन्क्वायरी के लिये कई दफा लिखा गया परन्तु इसकी इन्क्वायरी आज तक नहीं हुयी।

और भी कई समस्यायें हैं। सड़कों का मामला है। हमारे एरिया में सड़कें नहीं हैं, सड़कें होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है, पानी के लिए इलेक्ट्रिकल सर्वे करवाई जाकर कुएं गहरे करवाने के लिए सरकार काश्तकारों को प्रोत्साहित करे। इलेक्ट्रिकल सर्वे वाले बताते हैं कि 1 हजार फीट नीचे जमीन में पानी है। इतने नीचे का पानी इतना खर्चा लगाकर लेने में

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

काश्तकार को बहुत महंगा पड़ता है। इसके लिए कुछ न कुछ तजवीज हरेक पंचायत समिति में गवर्नमेण्ट एक्सपरीमेण्ट के तौर पर करवा कर प्रोत्साहित करे। पानी होने के बाद उस कुएं की पूरी कीमत 5–10 आदमी मिलकर दे सकते हैं। यह मेरा सुझाव है।

इस प्रकार से खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर पंचायत सर्किल पर एक ऐसा कुआं बनाने की स्कीम गवर्नमेण्ट अगर हाथ में लेती है तो भविष्य में यह पानी की समस्या हल हो सकती है। पीने के पानी के लिए यह मारवाड़ जंक्शन एरिया खारा एरिया है, मीठा पानी बहुत कम जगह है। इसका कारण यह है कि जहां नदियां चलती हैं वहां पर तो मीठा पानी है और जहां मैदानी एरिया हैं वहां पर पानी खारा है और गांवों में पीने के पानी के लिए जहां-जहां पर नदियों के किनारे स्रोत हैं सर्वे करवाया जाकर छोटे-छोटे गांव हैं उनको पानी छोटी-छोटी स्कीम बनाकर दिया जा सकता है, जिससे कि लोगों की पीने के पानी की समस्या हल हो सके।

खेती में और भी समस्यायें हैं, उन समस्याओं के हल के लिए भी कोई मास्टर प्लान बनाया जाकर खेती को प्रोत्साहन देने के लिये काश्तकारों को जंगली जानवरों से बचाने का माकूल इन्तजाम नहीं किया गया तो आने वाले सालों में खेती छोड़कर बैठ जायेंगे क्योंकि यह मैदानी एरिया में बहुत हैं। एक गाय जंगलात एरिया में जाती है तो उसका दण्ड 50 और 100 रुपया लेते हैं पर जो जंगली जानवर सूअर और नील गायें हैं उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था सरकार को करनी ही पड़ेगी नहीं तो खेती करने वाले लोगों को मजबूरन खेती करना बन्द करना पड़ेगा, क्योंकि कुओं में पानी भी थोड़ा है, बिजली कम मिलती है। दुःख की बात है कि इस सम्बन्ध में मैंने पहले कई बार विधान सभा में मामला उठाया है परन्तु उठाने के बावजूद गयी सरकार ने इसके लिए कोई इन्तजाम नहीं किया। मैं अब चाहता हूं कि हमारी सरकार काश्तकारों की तकलीफ के हल के लिए कुछ न कुछ कदम उठायेगी और इस मसले को हल करेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल बुधवार दिन 21 मार्च, 1990 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.03 बजे बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 1990 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई]

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची)

तहसील रामगढ़ के अन्तर्गत ग्रामों की सूची :—

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	रामगढ़	28.	बाड़ी पोखर
2.	निवाली	29.	करीरिया
3.	चन्दीगढ़ अहीर	30.	साहडोली
4.	सोनागढ़ अहीर	31.	ठेकीकाबास
5.	खोजाका	32.	मन्दू का बास
6.	अदीनाका	33.	डहर वाला बास
7.	खिलौरा	34.	अलाबड़ा
8.	दोहली	35.	मालपुर
9.	बर्डोद	36.	सहजपुर
10.	सरहेटा	37.	जहानपुर
11.	नंगला बलैया	38.	सींगराका
12.	चौकी	39.	मिलकपुर
13.	मोहा	40.	विलासपुर
14.	कोटाखुर्द	41.	नांगल अलफ
15.	मुकन्दबास	42.	पूठी
16.	वेराबास	43.	खेड़ी
17.	टोडली	44.	डोली
18.	बाघोड़ी	45.	इंदपुरा
19.	हिपरोली	46.	हसनपुर
20.	मस्ताबाद	47.	खानपुर खुर्द
21.	मेवखेड़ा	48.	तिलवाड़
22.	खानपुर कलां	49.	चिड़वाई
23.	नंगला बंजीरका	50.	सिरमौर
24.	साधनकाबास	51.	बरवाड़ा
25.	नाड़का	52.	गोविंदपुरा
26.	ऊंटवाल	53.	सैंथली
27.	नाकचपुर	54.	नयाबास सैंथली

121

क. सं.	नाम ग्राम
55.	लाडपुर
56.	साहडोली
57.	मंगलेशपुर
58.	बामनी खेड़ा
59.	ललावडी
60.	गूजरपुर खुर्द
61	मांडलाकलां
62.	मांदला खुर्द
63.	मुबारिकपुर
64.	नंगली मुबारिकपुर
65.	पाटा
66.	नंगला चिरावड़ा
67.	रूपवास
68.	रसवाड़ा
69.	खरखड़ा
70.	खरखड़ी
71.	नैवाड़ा
72.	नैवाड़ी
73.	पड़ावदा
74.	अकलीनपुर
75.	रघुनाथगढ़
76.	काला घाटा
77.	कलसावड़ा
78.	खोहड़ाकरमाली
79.	पाटनभान
80.	ओदाका
81.	बलरामपुर
82.	नीकच
83.	नासनोल
84.	कोटाकलां
85.	घनेटा
86.	गढी
87.	गूजरपुरकलां
88.	सम्मनपुर
89.	बूजाका
90.	शेखपुर
91.	मेघावास
92.	डावरी
93.	मंढापुर
94.	पोदीपुर
95.	बरामदा
96.	नोगांवा
97.	सुन्हेड़ा
98.	शेरपुर
99.	रब्बाका
100.	खुशपुरी
101.	टीकरी
102.	मंशीरपुर
103.	आलमपुर
104.	चीड़वा
105.	बहरीपुर
106.	बकायनका
107.	खैरथला
108.	नाहरपुर खुर्द
109.	कारोली जागीर
110.	रसगन
111.	अलावलपुर
112.	गोलकी
113.	मौहम्मदपुर
114.	मूनपुर करमला
115.	हाजीपुर
116.	खेडली
117.	खोहर
118.	तंगलीवाल

२८

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
119.	बीजवा	142.	अझारा
120.	कारोली खालसा	143.	जातपुर
121.	जकोपुर	144.	लालपुरी
122.	चौमू	145.	मीणापुर
123.	ओडेला	146.	चोरोटी इस्तमुरार
124.	माणकी	147.	मूण्डपुरी
125.	बांधोली	148.	बगड़राजपूत
126.	नांगल नंगली	149.	जुगरावर
127.	खोह	150.	गूगडोद
128.	वारिसपुर	151.	कानोर
129.	तिसमर	152.	चोसोडी पहाड़
130.	रसूलपुर	153.	वपराडा
131.	बहाला	154.	लोहरवाडी
132.	सांखला	155.	बलदण्डका
133.	गोलेटा	156.	खूंटेटाकलां
134.	केसरोली	157.	गूजरवास
135.	ढाढोली	158.	नसोपुर
136.	कमालपुर	159.	पाली
137.	वटेसरा	160.	खूटेटा खुर्द
138.	नंगलीमेघा	161.	नांगल टप्पा
139.	सहजपुर	162.	बाम्बोली
140.	मूनपुर	163.	रुंध धूनीनाथ (गैर आबाद)
141.	बगड मेव	164.	रुंध खूंटेटा (गैर आबाद)

ह०/–

जिला कलक्टर (भू० अ०)

अलवर

उपतहसील गोविन्दगढ़ के अन्तर्गत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
1.	कचरौटी	27.	कैमासा
2.	खेडामेहमूदे	28.	पागसेडी
3.	शाहपुर	29.	सैदमपुर
4.	मस्तपुर	30.	गोविन्दगढ़
5.	खेरली बहादुर	31.	न्याणा
6.	पलानखेडा	32.	चमरवाड़ा
7.	आसाका	33.	साकीपुर
8.	कोहरी	34.	आगरोका
9.	टिकरी	35.	बारोली
10.	छतरपुर	36.	अलधाना
11.	बीदूका	37.	गंदीका
12.	रतनाकी	38.	तालड़ा
13.	बूलाहेडी	39.	रामबास
14.	सैमलाखुर्द	40.	खरसनकी
15.	सलारपुर	41.	मूंडपुरीखुर्द
16.	छारेडा	42.	पथरोडा
17.	डाबरी	43.	सैमली दिलावर
18.	दौंगडी	44.	भैंसडावत
19.	बडबरा	45.	बन्धेड़ी
20.	बांसदौंगड़ी	46.	भजेड़ी
21.	नसवारी	47.	बडोदामेव
22.	मूंडपुरी कलां	48.	पीपलखेडा
23.	हरसौली	49.	महलकपुर
24.	भारकपुर	50.	रौणपुर
25.	ईटका	51.	शीतल
26.	दौडोली	52.	बुद्धियाना

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
53.	टरिरिया	62.	ईमलाली
54.	महराना	63.	मूलखेडी
55.	बाधका	64.	मौकलहेडी
56.	नीम्भेडा	65.	जयसिंहपुरा
57.	मौलिया	66.	निजामनगर
58.	बावडीका	67.	चकबहाडी (गैर आबाद)
59.	चिम्मनपुरा	68.	खोरपुरी
60.	दूसराहेडा	69.	बहरडी
61.	बडका	70.	बेड़ा

ह०/–
जिला कलक्टर (भू० अ०)
अलवर

125

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची

सड़कों से जुड़ा हुआ ग्राम पंचायत मुख्यालय

तहसील : राजगढ़

1	2	3	1	2	3
1.	बैरासर छोटा	बी. टी.	13.	धणाऊ	बी. टी.
2.	राधाबड़ी	,,	14.	चैनपुरा छोटी	,,
3.	नीमा	,,	15.	रतनपुरा	,,
4.	भीमसाना	,,	16.	डोक्वा	,,
5.	रामसरा	,,	17.	सूरतपुरा	ग्रेवल
6.	बीजावास	,,	18.	चांदगोठी	बी. टी.
7.	लाखलाण	डब्ल्यू. बी. एम.	19.	साखू	,,
8.	गुलपुरा	बी. टी.	20.	ददरेवा	,,
9.	लम्बोर छोटी	,,	21.	सिद्धमुख	,,
10.	गोठ्या बडी	,,	22.	गोलड	,,
11.	कालेरी	,,	23.	सेऊवा	,,
12.	हमीरवास	,,			

तहसील : तारानगर

1.	सोनीसर	डब्ल्यू. बी. एम.	8.	धीरवास	बी. टी.
2.	पुनरास	ग्रेवल	9.	भालेरी	,,
3.	आनन्दसिंहपुरा	,,	10.	बूचावास	,,
4.	रिडी	बी. टी.	11.	सात्यू	,,
5.	झाडसर कांधलान	,,	12.	राजपुरा	,,
6.	हडियाल	,,	13.	वायल	,,
7.	साहवा	,,	14.	रैया बूण्डा	,,

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सोजत तहसील के गांवों का भू-जल सर्वेक्षण

6. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत तहसील के ग्राम रूपावास, खारिया, नींव, बागड़ावास, चाड़वास, गांगूडा, बरियाला, वीरावास, रेपडावास, हाफत, रामासनी, सांदवान चौपडा, राजौला कलां, खोखरां, नया गांव, पांचूड़ा कलां व खुर्द इत्यादि गांवों में कृषि की सिंचाई के लिए खारा पानी उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र का सर्वे करवा कर प्रायोगिक तौर पर ट्यूबवैल लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि सर्वे कर लिया है तो सर्वे की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या गत राज्य सरकार ने सदन में यह आश्वासित किया था कि पाली जिले के सोजत व रायपुर तहसील क्षेत्र का पुन: सर्वे करा कर डाक जोन क्षेत्र से इन तहसीलों को निकाल दिया जायेगा ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई ?

उत्तर

(1) यह सही है कि प्रश्न में वर्णित सोजत तहसील के ग्राम रूपाबास, धागड़-वास, चाड़वास, बरियाला, रेपड़ावास, हाफत, रामासनी, सांदवान चौपड़ा, राजौला कलां, नया गांव, पांचूड़ा कला व खुर्द इत्यादि गांवों में भू-जल खारा होने के कारण कृषि सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, परन्तु ग्राम खारिया नींव, गांगूड़ा, वीरावास व खोखरा में भू-जल कृषि के लिए उपयुक्त किस्म का है । राज्य सरकार ने भू-जल विभाग के माध्यम से इन क्षेत्रों का पुन: भू-जल सर्वेक्षण कराया है परन्तु भू-जल की क्वालिटी यथास्थिति ही रही है । उक्त क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर नलकूप (ट्यूबवैल) लगाने को विभाग के पास कोई योजना नहीं है ।

पुन: सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इसका प्रतिवेदन किया जा रहा है ।

(2) पाली जिले के सोजत व रायपुर तहसील क्षेत्र का पुन: भू-जल सर्वेक्षण कराया गया है एवं भू-जल मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है ।

ग्राम रोटू (नागौर) में पेयजल व्यवस्था

7. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रोटू तहसील जायल, जिला नागौर को

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

ग्राम खियाला से जल प्रदाय किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई बार एक-एक महीने तक उक्त पाइप लाइन में पानी नहीं दिया जाता है जिससे वहां की जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या ग्राम रोटू को नियमित पेयजल प्रदाय के लिए कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या एवं उसे कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या ग्राम रोटू को नजदीकी ग्राम गुगरियाली से जोड़ने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ?

(5) क्या आगामी गर्मियों के मौसम में सरकार वहां जल प्रदाय की समुचित व्यवस्था कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। ग्राम खियाला में स्थित जल स्रोत पर विद्युत आपूर्ति कम होने के कारण कई बार गांव में पानी कम या बिल्कुल नहीं पहुंचता है।

(3) जी हां। तकनीकी मिशन के अन्तर्गत जल योजना घाटियाद रोटू स्वीकृत है। योजना पर कार्य आरम्भ हो गया है, एवं 2 नलकूप जायल में निर्मित किये जा चुके हैं।

(4) जी नहीं।

(5) घाटियादे रोटू योजना के अन्तर्गत 12 कि. मी. पाइप लाइन प्राप्त कर डालने व 12 कि. मी. विद्युत लाइन डालने का कार्य इस वर्ष गर्मी के मौसम तक पूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

बांदीकुई में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र

8. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जयपुर के कस्बा बांदीकुई में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) बांदीकुई में रेफरल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) बांदीकुई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है. जिसमें मातृ एवं शिशु सेवाएं उपलब्ध हैं।

(2) बांदीकुई में स्वीकृत रेफरल अस्पताल हेतु भवन की व्यवस्था जन-सहयोग से अपेक्षित है। वर्तमान में भवन निर्माण हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है।

सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, टौंक

9. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, टौंक में विगत 5 वर्षों में कितना-कितना लाभ अथवा हानि की स्थिति रही ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बैंक कई बर्षों से निरन्तर घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो किस कारण और इसके निराकरण हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) टौंक सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. में गत 5 वर्षों में हानि रही है। जिसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार हैं:–

क्र. सं.	वर्ष	हानि
1.	84–85	11·96 लाख
2.	85–86	6.98 लाख
3.	86–87	11.18 लाख
4.	87–88	21.41 लाख
5.	88–89	13.64 लाख

(31.3.89 तक)

(2) जी हां। हानि के प्रमुख कारणों में प्रबन्धन में अव्यवस्था तथा खर्चों पर अंकुश का नहीं होना एवं लक्ष्यानुसार ऋण वितरण नहीं होने से ब्याज की आमदनी कम होना हैं जबकि व्यवस्थापन व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। राज्य सरकार द्वारा सुधार हेतु समुचित कदम उठाये गये हैं जिनमें खर्चों में मितव्ययता बरतने सम्बन्धी निर्देश, नये पदों के सृजन की स्वीकृति नहीं देना और रिक्त पदों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाना शामिल है। बैंक में भर्ती, पदोन्नति एवं अन्य अनियमितताओं के लिए सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच प्रक्रिया में हैं।

नगरपालिकाओं/परिषदों के चुनाव

10. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा), **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

(2) क्या चुनावों से पूर्व राज्य में किन्हीं नगरों में नगर निगम स्थापित करने का विचार है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक ?

(3) क्या सरकार का चुनावों से पूर्व म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन करने का विचार है ? यदि हां, तो मुख्यतया किस-किस बाबत ?

उत्तर

(1) चुनाव की प्रक्रिया चालू करने के निर्देश दे दिये गये हैं। प्रक्रिया पूर्ण होते ही चुनाव करा दिये जायेंगे।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) राज्य के 5 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम स्थापित करने का सरकार का विचार है। इस दिशा में शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। अतिक्रमण व अवैध भवन निर्माण रोकने व हतोत्साहित करने के लिए संशोधन करने का विचार है।

राज्य की विद्युत परियोजनायें

11. श्री जियालाल बंशीवाल (दौसा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की कौन-कौनसी विद्युत परियोजनायें केन्द्रीय विद्युत अधिकरण, केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग तथा योजना आयोग के पास कब-कब से विचाराधीन है ? कृपया ऐसी योजनाओं की अनुमानित लागत, उत्पादन एवं अन्य विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन विचाराधीन विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृत कराने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रहीं है ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन राजस्थान की विभिन्न उत्पादन परियोजनाओं का विवरण तालिका "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उपरोक्त विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को स्वीकृत कराने हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल/राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है, जिसका संक्षिप्त विवरण उपरोक्त तालिका "क" में दर्शा दिया गया है।

(130)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन राजस्थान की विद्युत उत्पादन परियोजनायें

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजने की तिथि	वर्तमान स्थिति एवं किये जा रहे प्रयत्नों का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह	2 × 210	70880·00 (संशोधित)	23.5·84	केन्द्रीय सरकार से कोयले का अनुबन्ध नहीं दिये जाने के कारण योजना की स्वीकृति नहीं मिली है। कोयले के अनुबन्ध कराने हेतु कोयला विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार से रा. रा. वि. म./राज्य सरकार की बातचीत चल रही है।
2.	चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत गृह	2 × 210	45181.00	1.6.84	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 210 मेगावाट की 4–5 इकाईयों के एक बड़े ताप विद्युत गृह के लगाने हेतु किसी और जगह की तलाश करने की सलाह दी है। इसी बीच राज्य सरकार ने अप्रेल, 1978 में मै. सेन्चुरी टैक्सटाइल एवं इण्डस्ट्रीज लि. बम्बई को राज्य में निजी क्षेत्र में ताप विद्युत गृह लगाने का लाइसेन्स दे दिया है तथा नवम्बर, 1989 में उसे इस ताप विद्युत गृह को जिला चित्तौड़ में लगाने की इजाजत दे दी है।

1	2	3	4	5	6
3.	मॉडलगढ़ ताप विद्युत गृह	3×210	59903.00	8.8.84	विद्युत मण्डल द्वारा चयनित स्थान की राज्य पर्यावरण विभाग ने स्वीकृति नहीं दी है व अन्य स्थान चयनित करने के लिए कहा है। लेकिन अन्य उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्युत मण्डल ने पूर्व प्रस्तावित स्थल की स्वीकृति हेतु पर्यावरण विभाग से पुनः विचार करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जल उपलब्धता की प्रमाणिकता भी चाही गई है। इसके लिये विद्युत मण्डल ने राज्य के सिंचाई विभाग से इस विषय में आश्वासन चाहा है, जिसका जवाब अभी अपेक्षित है।
4.	धौलपुर ताप विद्युत गृह	3×210	83136·00	20.3.85 (संशोधित दि. 18.3.87)	प्रस्तावित स्थल पर्यावरण की दृष्टि से रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस पर पुनः विचार करने हेतु कहा है। इस स्थान के लिए पर्यावरण–अध्ययन कराने हेतु रिपोर्ट बनाने का काम मै. डेज़िन (दिल्ली) को दिसम्बर, 89 में दिया गया है।
5.	जवाहर सागर पम्प स्टोरेज स्कीम	2×100	16057.00	सितम्बर, 86	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सलाह पर उत्तरी क्षेत्र में ओफ-पीक विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता के अनुसार योजना को

1	2	3	4	5	6
					संशोधित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। योजना के लिए प्रारम्भ में जो स्थल चयन किया गया था वह अभयारण व गहन जंगल में स्थित होने की वजह से वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अत: इसके लिग दूसरे स्थान की तलाश जारी है।
6.	राहूघाट जल विद्युत योजना	4×40	41518.00	15.6.87	यह योजना अन्तर्राज्यीय होने की वजह से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश सरकार से अनुबन्ध करने की सलाह दी है जिसके लिए राजस्थान व मध्य प्रदेश के मुख्य अभियंताओं की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। यह समिति कोटा बैराज के नीचे चम्बल पर विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण कर रही है।
7.	माउण्ट आबू लघु जल विद्युत योजना	2×5	1546.55	8.9.83	योजना भिजवाने के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा समय-समय पर आर्थिक एवं तकनीकी मुद्दे उठाये गये थे जिनके स्पष्टीकरण दिये गये। परन्तु मार्च, 89 में के. वि. प्रा. ने सलाह दी है कि इस बहुउद्देशीय योजना को योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृत

1	2	3	4	5	6
					कराई जावे एवं कुछ तकनीकी मुद्दों पर पुनः स्पष्टीकरण चाहा गया है। उपरोक्त निर्देशानुसार योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति को परियोजना की प्रति जून, 89 में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्रदान करने के लिये अनुरोध किया गया है। इस योजना में करीब 80 हैक्टर वन भूमि आती है जिसके लिये सिंचाई विभाग से निर्धारित प्रपत्रों में सूचना चाही गई है। हालांकि अप्रैल, 89 में वन विभाग ने सिद्धान्तः इस हेतु वन-भूमि रिलीज करने पर असहमति प्रकट की है। तकनीकी मुद्दों पर आवश्यक हाइड्रोलोजी एवं अन्य आवश्यक सूचना सिंचाई विभाग से एकत्रित की जा रही है।
8.	जवाई लघु जल विद्युत योजना	2.4	610·52	मई, 1986	के. वि. प्रा. ने विद्युत मण्डल से जल उपलब्धता के दृष्टिकोण से योजना की हाइड्रोलोजी की पुनः समीक्षा करने का अनुरोध किया था। विद्युत मण्डल द्वारा जलदाय विभाग से इस विषय में सम्पर्क करने पर सूचना दी है कि मानसून की अनिश्चितता व जोधपुर शहर के पीने के पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने के कारण इस योजना में पानी की निश्चित उपलब्धता के लिये कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

(134)

1	2	3	5	5	6
9.	जाखम लघु जल विद्युत योजना	5.5	817.93	12.11.86	योजना भिजवाने के पश्चात विभिन्न आर्थिक एवं तकनीकी मुद्दों पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को समय-समय पर जवाब दिया गया। बाद में दिसम्बर, 89 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस योजना की 2.5 मेगावाट की दो यूनिटों का प्रतिवेदन भेजने के लिये कहा है जिस पर कार्यवाही चल रही है। इस योजना की वन भूमि के डी-रिजर्वेशन के लिये प्रपत्र राज्य सरकार ने फरवरी 90 में केन्द्रीय सरकार को भेज दिये हैं।

राज्यों की जेलों से फरार कैदी

12 श्री राजपालसिंह शेखावत (बनी पार्क) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 5 वर्षों में राज्य की किस-किस जेल, सब-जेल व पुलिस हिरासत से कौन-कौन व्यक्ति, कब-कब फरार हुए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन फरार कैदियों में से कौन-कौन गिरफ्तार हो गये ?

(3) इस कार्यवाही में कौन-कौन कर्मचारी व अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

(4) क्या इन घटनाओं के लिए वर्तमान जेल व्यवस्था जिम्मेदार है ? यदि हां, तो किस प्रकार और इस व्यवस्था में क्या-क्या सुधार अपेक्षित है ?

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में (1-4-84 से 31-3-69) विभिन्न कारागृहों एवं बन्दी खुले शिविरों से 47 बन्दी फरार हुए हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। उक्त अवधि में पुलिस हिरासत से फरार हुए जेल के बन्दियों की सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है जिसके अनुसार कुल 36 बन्दी फरार हुए है।

(2) सन्दर्भित अवधि में कारागृहों एवं बन्दी खुले शिविरों से फरार हुये बन्दियों में से 37 बन्दी गिरफ्तार हो गये हैं जिसका विवरण सदन के पटल पर रखे परिशिष्ट "अ" में दिया गया है। पुलिस अभिरक्षा में से फरार हुए जेल के बन्दियों में से 15 गिरफ्तार हो गये है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" में दिया गया है।

(3) इस सम्बन्ध में कारागार विभाग के दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखे गये परिशिष्ट "अ" में दिया गया है। पुलिस अभिरक्षा में फरार हुये बन्दियों के सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना पुलिस विभाग द्वारा दी जानी है।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

136

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची

क्रम सं.	जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या	उन ग्राम पंचायत मुख्यालयों की संख्या जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय है।
1	2	3	4
1.	अजमेर	265	238
2.	अलवर	435	367
3.	बांसवाड़ा	196	155
4.	बाड़मेर	253	199
5.	भरतपुर	300	232
6.	बीकानेर	125	90
7.	बूंदी	143	112
8.	चित्तौड़गढ़	307	266
9.	धौलपुर	150	83
10.	डूंगरपुर	173	150
11.	गंगानगर	387	290
12.	जयपुर	584	508
13.	जैसलमेर	93	39
14.	जालौर	215	175
15.	झालावाड़	209	134
16.	झुन्झुनू	246	236
17.	जोधपुर	245	242
18.	कोटा	289	234
19.	नागौर	358	301
20.	पाली	289	242

1	2	3	4
21.	सवाई माधोपुर	389	237
22.	सीकर	287	244
23.	सिरोही	130	105
24.	टौंक	192	168
25.	उदयपुर	550	487
26.	भीलवाड़ा	340	314
27.	चूरू	201	177
	योग—	7351	6025

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची

वर्ष 1988 से जनवरी, 90 तक जिला टोंक में स्वीकृत चिकित्सा संस्थान

क. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	खोलने का वर्ष
1	2	3
1.	रेफरल अस्पताल, उनियारा	1988-89
2.	,, ,, टोडारायसिंह	1989-90
3.	,, ,, मेहन्दबास	,, ,,
1.	प्रा० स्वा० केन्द्र, चनानी	1988-89
2.	,, ,, पराना	,, ,,
3.	,, ,, टोरडी	,, ,,
4.	,, ,, लवादर	1989-90
5.	,, ,, भरनी	,, ,,
6.	,, ,, बमोर	,, ,,
7.	,, ,, आवा	,, ,,
8.	,, ,, सांखना	,, ,,
9.	,, ,, गेहलोद	,, ,,
10.	,, ,, अरनिया केदार	,, ,,
11.	,, ,, काबरा	,, ,,
12.	,, ,, अरडा तुर्की	,, ,,
13.	,, ,, बगडी	,, ,,
14.	,, ,, अहमदपुरा चोकी	,, ,,
15.	,, ,, राहोली	,, ,,
16.	,, ,, राणोली	,, ,,

1	2		3
17.	प्रा. स्वा. केन्द्र	कठमाना	1989-90
18.	,, ,,	पासरोटिया	,, ,,
1.	उच्चीकृत उपकेन्द्र,	दाखिया	1989-90
2.	,, ,,	सोरण	,, ,,
3.	,, ,,	काबरा	,, ,,
4.	, ,,	सोनवा	1989-90
5.	,, ,,	लाम्बा	,, ,,
6.	,, ,,	काशीपुरा	,, ,,
7.	,, ,,	मण्डावर	,, ,,
8.	,, ,,	कुरेडा	,, ,,
9.	,, ,,	हथेना	1988-89
10.	,, ,,	राणोली	,, ,,
11.	,, ,,	भाडली	, ,,
12.	,, ,,	पाडली	,, ',
13.	,, ,,	डागरथल	,, ,,
14.	,, ,,	दुतवास	,, ,,
15.	,, ,,	सुरलेली	,, ,,
16.	,, ,,	फुलेता	,, ,,
17.	,, ,,	राजमहल	,, ,,
18.	,| ,,	आवां	,, ,,
19.	,, ,,	हमीरपुर	,, ,,
20.	,, ,,	बावडी	,, ,,
1.	प्रसूति सुविधाएं राज. डिस्पे.	हारडाहिन्द	1989-90
2.	,, ,,	तख्ता (टोंक)	,, ,,
1.	उपकेन्द्र	चारनेट	1988-89
2.	,, ,,	धाधोली	,, ,,

1	2		3
3.	उपकेन्द्र	जामडोली	1989-99
4.	,, ,,	सिदडा	,, ,,
5.	,, ,,	ललवाडी	,, ,,
6.	,, ,,	बोसरीया	,, ,,
7.	,, ,,	उखलाना	,, ,,
8.	,, ,,	कचोलिया	,, ,,
9.	,, ,,	खजूरिया	,, ,,
10.	,, ,,	भांसू	,, ,,
11.	,, ,,	मेहरू	,, ,,
12.	,, ,,	जिराना	,, ,,
13.	,, ,,	अरनिया	,, ,,
14.	,, ,,	सोडा बावडी	,, ,,
15.	,, ,,	सन्देडा	,, ,
16.	,, ,,	भेदवास	,, ,,
17.	,, ,,	सोरण	,, ,,
18.	,, ,,	बोरखण्डी कला	,, ,,
19.	,, ,,	कुरेडा	,, ,,
20.	,, ,,	हरचन्देडा	,, ,,
21.	,, ,,	भरणी	,, ,,
22.	,, ,,	श्योपरी	1989-90
23.	,, ,,	उम	,, ,,
24.	,, ,	वजीरपुरा	,, ,,
25.	,, ,,	हरीपुरा	,, ,,
26.	,, ,,	साखना	,, ,,
27.	,, ,,	सण्डीला	,, ,,
28.	,, ,,	बरोनी	,, ,,
29.	,, ,,	गिशोला	,, ,,

1	2		3
30.	उपकेन्द्र	प्रेमनगर	1989-90
31.	,, ,,	भम्माणा	,, ,,
32.	,, ,,	झालरा	,, ,,
33.	,, ,,	बीजवाड	1989-90
34.	,, ,,	थली	,, ,,
35.	,, ,,	प्यावडी	,, ,,
36.	,, ,,	ककराजकला	,, ,,
37.	,, ,,	लहन	,, ,,
38.	,, ,,	अरनिया केदार	,, ,,
39.	,, ,,	बगड़ी	,, ,,
40.	,, ,,	बाढजेरीकला	,, ,,
41.	,, ,,	पालडी	,, ,,
42.	,, ,,	रूपपरा	,, ,,
43.	,, ,,	देवपुरा	,, ,,
44.	,, ,,	भिवाड़ी	,, ,,
45.	,, ,,	हाडीखुर्द	,, ,,
46.	,, ,,	पीथावास	,, ,,
47.	,, ,,	मोहम्मदगंज	,, ,,
48.	,, ,,	कूडिया	,, ,,
49.	,, ,,	मदाईपुरा	,, ,,
50.	,, ,,	रहीमपुरा	,, ,,
51.	,, ,,	दुठिया	,, ,,
52.	,, ,,	कुरेडी	,, ,,
53.	,, ,,	किशनपुरा	,, ,,
54.	,, ,,	अलीमपुरा	,, ,,
55.	,, ,,	करीमपुरा	,, ,,
56.	,, ,,	देवपुरा (साखना)	,, ,,

1		2	3
57.	उपकेन्द्र	फरकाबाद (काबरा)	1989-90
58.	,, ,,	याकुबगंज	,, ,,
59.	,, ,,	बोरखण्डी	,, ,,
60.	,, ,,	रूपपुरा खेड़ा	,,
61.	,, ,,	साडागांव	,, ,,
62.	,, ,,	युशुफपुरा	,, ,,
63.	,, ,,	गुदालिया	,, ,,
64.	,, ,,	रूपपुरा	,, ,,
65.	,, ,,	कासीर	,, ,,
66.	,, ,,	नयागांव	,, ,,
67.	,, ,,	चोरू	,, ,,
68.	,, ,,	डाकार	,, ,,
69.	,, ,,	रानीपुरा	,, ,,
70.	,, ,,	उदाडिया	,, ,,
71.	,, ,,	बावडी	,, ,,
72.	,, ,,	रूपपुरा	,, ,,
73.	,, ,,	रूपाहेडी	,, ,,
74.	,, ,,	सीतारामपुरा	,, ,,
75.	,, ,,	सीतारामपुरा	,, ,,
76.	,, ,,	सांवरिया	,, ,,
77.	,, ,,	सन्देडा	,, ,,
78.	,, ,,	खादेडा बुजुर्ग	,, ,,
79.	,, ,,	बावता	,, ,,
80.	,, ,,	बस्सी	,, ,,
81.	,, ,,	बिलपडी	,, ,,
82.	,, ,,	श्रीरामपुरा	,, ,,
83.	,, ,,	बडागांव	,, ,,

1		2	3
84.	उपकेन्द्र	नला	1989-90
85.	,, ,,	उदावास	,, ,,
86.	,, ,,	कीकरिया	,, ,,
87.	,, ,,	बडोदिया	,, ,,
88.	,, ,,	सतारा	,, ,,
89.	,, ,,	नयागांव	,, ,,
90.	,, ,,	महगांव	,, ,,
91.	,, ,,	तोरण	,, ,,

टोंक जिले में 88 से जनवरी, 90 तक स्वीकृत संस्थाओं में स्वीकृत स्टाफ का विवरण

क्र. सं.	नाम पद	समु. स्वा. केन्द्र,			प्राथमिक स्वा. केन्द्र,			प्रसूति सुविधा			उच्चीकृत उपकेन्द्र			उपकेन्द्र		
		स्वी.	कार्यरत		स्वी.	कार्यरत	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	चिकित्सा अधिकारी	4	1	3	15	3	12	2	—	2	—	—	—	—	—	—
3.	मेलनर्स श्रेणी प्रथम	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	मेलनर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1	30	2	28	—	—	—	8	—	8	—	—	—
5.	एल. एच. वी.	—	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	प्रसाविका	—	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—	—	21	21	—
7.	स्वास्थ्य निरीक्षक	—	—	—	18	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	लेब. टेक्नीशियन	3	—	3	18	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	स्टाफ नर्स	11	1	10	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
10.	रेडियोग्राफर	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	वरिष्ठ लिपिक	3	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	कनिष्ठ लिपिक	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	बार्ड ब्वाय	—	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	स्वीपर	—	—	—	15	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	पार्टटाइम, वार्ड ब्वाय/ हरिजन	14	—	14	30	—	30	—	—	—	8	—	8	21	—	21

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1	2	3	1	2	3
1.	रा. उ. प्रा. वि.	रसगण	2.	रा. उ. प्रा. वि.	बीजवा
3.	”	बगड़राजपूत	4.	”	ऊटवाल
5.	”	भूनपुर	6.	”	मिलकपुर
7.	”	रामगढ़	8.	”	खिलोरा
9.	”	सैथली का बास	10.	”	नोकच
11.	”	पाटा	12.	”	खूटेटा काल
13.	”	बहाला	14.	”	रघुनाथगढ़
15.	”	नगली मेधा	16.	”	जातपुर
17.	”	चीमा	18.	”	डाबरी
19.	”	जुगरावर	20.	”	विलासपुर
21.	”	नसवारी	22.	”	काहरी
23.	”	खेड़ा महमूद	24.	”	रामबास
25.	”	सेमला खुर्द	26.	”	दोगड़ी
27.	”	सेदमपुर	28.	”	न्याना
29.	”	गोविन्दगढ़	30.	”	तिलवाड़ा
31.	”	छतरपुर	32.	”	तालेड़ा
33.	”	नोगावां (क)	34.	”	मुबारिकपुर (क)
35.	”	आलवाड़ा (क)			

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1.	रा. प्रा. वि.	रामगढ़किला	2.	रा. प्रा. वि.	खेड़ो
3.	”	डोली	4.	”	मेवखेड़ा
5.	”	चण्डीगढ़	6.	”	पुरी

1	2	3	1	2	3
7.	रा. प्रा. वि.	मादलाकला	8.	रा. प्रा. वि.	ललावाड़ी
9.	"	सैथली	10.	"	मंगलेशपुर
11.	"	टोडली	12.	"	दोहली
13.	"	खोह	14.	"	निवाली
15.	"	कोटाखुर्द	16.	"	मांगल अल्प
17.	"	जाडोली	18.	"	गोहाचोकी
19.	"	खानपुरकला	20.	"	बामनीखेड़ा
21.	"	मुकन्दबास	22.	"	पिपरोली
23.	"	मस्ताबाद	24.	"	खेजाका
25.	"	बरडोक	26.	"	सरहेटा
27.	"	मुबारिकपुर	28.	"	बारिसपुर
29.	"	पाटनभान	30.	"	कलसावाड़ा
31.	"	मंकलाचिरावड़ा	32.	"	अकलीमपुर
33.	"	नारवनोल	34.	"	कोटाकरमाली
35.	"	समनपुर	36.	"	बांधोली
37.	"	बूजाका	38.	"	कोटाकला
39.	"	बरामदा	40.	"	रसवाढा
41.	"	तिसमर	42.	"	नेवछा
43.	"	मेघावास	44.	"	घनेटा
45.	"	नोगांवा	46.	"	हाजीपुर
47.	"	मोहम्मदपुर	48.	"	खोहर
49.	"	नंगलीवाल	50.	"	चिड़वा
51.	"	शेरपुर	52.	"	आलमपुर
53.	"	अलावलपुर	54.	"	मण्डापुर
55.	"	सुनहेडा	56.	"	बहरीपुर
57.	"	मुनपुरकमला	58.	"	शेखपुर
59.	"	बगड़मेव	60.	"	बाम्बोली

1	2	3	1	2	3
61.	रा. प्रा. वि.	गूगडोद	62.	रा. प्रा. वि.	अज्ञारा
63.	"	नंगलावजीरका	64.	"	नांगलटप्पा
65.	"	पाली	66.	"	मीणापुरा
67.	"	चौरेटीइस्तमुरार	68.	"	गूजरबास
69.	"	सहजपुर	70.	"	नाडका
71.	"	नशोपुर	72.	"	लालपुरी
73.	"	खूटेटा कला	74.	"	लाडपुर
75.	"	कानौर	76.	"	सांखैला
77.	"	अलावड़ा	78.	"	नगलीअलावड़ा
79.	"	खुशपुरी	80.	"	माणको
81.	"	टीकरी	82.	"	मन्शीरपुर
83.	"	गूजरपुरखुर्द	84.	"	ओडेलो
85.	"	करोली खालसा	86.	"	कमालपुर
87.	"	ढाढोली	88.	"	करोरिया
89.	"	बाडीपोखर	90.	"	साहडोली
91.	"	बेरवास	92.	"	केसरोली
93.	"	चोरोटी का बसा	94.	"	बंटसरा
95.	"	लाहरवाड़ी	96.	"	चोपोटीपहाड़
97.	"	बलकण्डाका	98.	"	नाकचपुर
99.	"	चिपराडा	100.	"	गोलेटा
101.	"	साधन का बास	102.	"	रामगढ़ (क).
103.	"	बाम्बोली (क)	104.	"	सहजपुर
105.	"	बडवारा	106.	"	सीलराका
107.	"	जहानपुर	108.	"	मालपुर
109.	"	ईदपुर	110.	"	मारकपुर
111.	"	हरसोली	112.	"	मूडपुरी कला
113.	"	नसवारी	114.	"	ईटका

1	2	3	1	2	3
115.	रा. प्रा. वि.	बिडबई	116.	रा. प्रा. वि.	सिरमोर
117.	"	गोविन्दपुरा	118.	"	जयसिंहपुरा
119.	"	निजामनगर	120.	"	गोरखपुरी
121.	"	फाहरी	122.	"	आशाका
123.	"	बिन्दुका	124.	"	टिक्की
125.	"	मस्तपुर	126.	"	खोडली बहादुर
127.	"	पिलानखेड़ा	128.	"	गुडपुरी खुर्द
129.	"	खारसनकी	130.	"	सहमली दिलावर
131.	"	भेजड़ी	132.	"	मन्देडी
133.	"	भेसडावत	134.	"	सलालपुर
135.	"	रतनाकी	136.	"	बास डोडी
137.	"	भारेड़ा	138.	"	वेरबाड़ा
139.	"	डाबरी	140.	"	पाकसेडी
141.	"	बोडोली	142.	"	कैमाला
143.	"	बारौली	144.	"	अलसाना
145.	"	चिमरवाड़ा	146.	"	गन्देखा
147.	"	गोविन्दगढ़	148.	"	गोविन्दगढ़ (क)

अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित माध्यमिक विद्यालयों की सूची

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नौगांवा
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अलावड़ा
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बाम्बोली
4. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, साहडोली
5. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, धनेड़ा
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मालपुर
7. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़
8. राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय, गोविन्दगढ़

अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुबारिकपुर
3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दगढ़

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 की सूची

बाड़मेर जिले के अलाभान्वित ग्राम जिनमें मार्च, 1991 तक पेयजल योजना प्रस्तावित है।

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं०	तहसील
1.	ओलेचा	72	शिव
2.	चकलानी	136	बाड़मेर
3.	हापों की ढाणी	116	बाड़मेर
4.	सरली	211	बाड़मेर
5.	अमभर	225	बाड़मेर
6.	एकल	123	चौहटन

परिशिष्ट–"क"

जैसलमेर जिले के अलाभान्वित ग्राम जिनमें मार्च, 1991 तक पेयजल योजना प्रस्तावित है।

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं०	तहसील
1.	रेहरूण्ड	86	जैसलमेर
2.	गणेश की ढाणी	260	,,
3.	शेरों की ढाणी	252	,,
4.	मलिंगा	63	,,
5.	खैरूवाला	139	पोकरण
6.	पन्ना	10	,,
7.	खारिया	16	,,
8.	गलार	46	,,

(51)

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 7 की सूची

नगरपरिषद, टौंक द्वारा वर्ष 1985 से फरवरी, 1990 तक
विभिन्न कार्यों पर व्यय की गई राशि का मदवार विवरण

सफाई पर :—

वर्ष	कुल व्यय
1985–86	15,85,104/–
1986–87	16,50,657/–
1987–88	21,43,929/–
1988–89	25,13,895/–
1989–90 (28-2-90 तक)	23,91,923/–
रोशनी पर :—	
1985–86	1,36,854/–
1986–87	1,42,837/–
1987–88	1,78,401/–
1988–89	2,12,877/–
1989–90 (28-2-90 तक)	2,21,491/–
पेयजल पर :	
1987–88	60,000/–
1988–89	1,00,000/–

सड़कों एवं नालियों पर :—

1985–86	1,47,829/–
1986–87	1,81,216/–
1987–88	11,88,746/–
1988–89	4,17,455/–
1989–90	3,09,317/–

शौचालयों पर:—

1985–86 से 1988–89	—
1989–90	45,16,094/–

———

(153)

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची

जिला बाड़मेर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु भवन निर्माण

(1) गांगरिया	पंचायत समिति, बाड़मेर
(2) बिरद का पारा	—यथा—
(3) गगसरा	पंचायत समिति, धौरीमन्ना
(4) भूरिया	—यथा—
(5) सोनडी	—यथा—
(6) आंगोला	—यथा—
(7) मण्डाऊ	पंचायत समिति चौहटन
(8) केलनोर	—यथा—
(9) साथा	—यथा—
(10) बाखासर	—यथा—
(11) गडरारोड़	—यथा—

जिला बाड़मेर में डिस्पेन्सरी के भवनों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आवर्तन परिवर्तन

(1) रानी गांव	पंचायत समिति बाड़मेर
(2) कवास	—यथा—
(3) गान्धवकलां	पंचायत समिति, धौरीमन्ना
(4) भिवाड	पंचायत समिति, शिव
(4) सेडवा	पंचायत समिति, चौहटन

जिला जैसलमेर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु भवन निर्माण

(1) सम	पंचायत समिति, सम
(2) नोख	पंचायत समिति, जैसलमेर

जिला गंगानगर में डिस्पेन्सरी भवन को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवर्तन परिवर्तन

(1) मोहनगढ़	पंचायत समिति, जैसलमेर

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1,	14	9	राजस्थ	राजस्व
2.	37	22	श्रीचन्दनमल वैद	श्रीचन्दनमल बैद
3.	222	15	श्रीचन्दनमल वैद	श्रीचन्दनमल बैद